कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 67 अंक : 8 पृष्ठ : 56 जून 2021 मूल्य : ₹ 22

सतत और समावेशी ग्रामीण विकास

स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

बचें और बचाएं

अपने आपको और अपने प्रियजनों/सहकर्मियों को सुरक्षित रखने के लिए इन

पांच

व्यवहारों का टीकाकरण के बाद भी पालन करें

मास्क सही
से पहनें

हाथों को नियमित रूप से साबुन
व पानी से धोएं या सैनिटाइज़र का
प्रयोग करें

आपस में 2 गज की
दूरी बनाए रखें

लक्षण दिखने पर तुरंत खुद
को दूसरों से अलग रखें

लक्षण दिखने पर तुरंत
परीक्षण करवाएं

**हम सुरक्षित,
तो देश सुरक्षित!**

हेल्पलाइन नंबर: **1075** (टोल फ्री)

mohfw.gov.in @MoHFWIndia @MoHFW_INDIA @mohfwindia mohfwindia

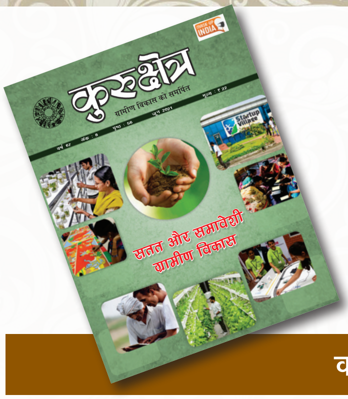

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

इस अंक में

वर्ष : 67 ★ मासिक अंक : 8 ★ पृष्ठ : 56 ★ ज्येष्ठ–आषाढ़ 1943 ★ जून 2021

वरिष्ठ संपादक : ललिता खुराना

उत्पादन अधिकारी : के. रामालिंगम

आवरण : राजिन्द्र कुमार

सज्जा : मनोज कुमार

संपादकीय कार्यालय
कमरा नं. 655, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 0 03
वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in
ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

व्यापार प्रबंधक
दूरभाष : 011-24367453

कुरुक्षेत्र मंगवाने की दरें
एक प्रति: ₹ 22, विशेषांक : ₹ 30, वार्षिक : ₹ 230, द्विवार्षिक : ₹ 430, त्रिवार्षिक : ₹ 610

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

कुरुक्षेत्र की सदस्यता का शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही पत्रिका प्राप्त न होने की शिकायत करें।

पत्रिका न मिलने की शिकायत हेतु इस पते पर मेल करें ई-मेल : pdjucir@gmail.com कुरुक्षेत्र की सदस्यता लेने या पुराने अंक मंगाने के लिए भी इसी ई-मेल पर लिखें या संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष: 011-24367453 पर संपर्क करें।

कुरुक्षेत्र की सदस्यता की जानकारी लेने तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें–

गौरव शर्मा, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003

समग्र ग्रामीण विकास का लक्ष्य — 5
–डॉ. जगदीप सक्सेना

कृषि क्षेत्र में नवाचारी प्रयास — 12
–सन्नी कुमार

ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा — 17
–सौविक घोष, उषा दास

ग्रामीण भारत में समावेशी विकास — 22
–आरुषि अग्रवाल

समावेशी, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा — 24
–राशि शर्मा

आत्मनिर्भर गांवों के लिए सामुदायिक रेडियो — 29
–निमिष कपूर

कोरोना के खिलाफ कारगर 'योग' — 35
–ईश्वर वी बसवरेड्डी

ग्रामीण विकास में कृषि की भूमिका — 39
–अशोक सिंह

आर्थिक गतिविधियों का विस्तार ज़रूरी — 44
–राजीव थियोडोर

ग्रामीण विकास में मददगार एसडीजी संकेतक — 50
–अभिषेक सुराना, डॉ. सुदीप कुमावत

जनभागीदारी से लड़ी कोरोना के खिलाफ जंग — 53
–हरि विश्नोई

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011-23890205
नवी मुंबई	701, सी-विंग, सातवीं मंज़िल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नई गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बैंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ विंग, केंद्रीय सदर, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-ए, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नैप्च्युन टॉवर, चौथी मंज़िल, एचपी पेट्रोल पंप के निकट, नेहरू ब्रिज कार्नर, आश्रम रोड, अहमदाबाद	380009	079-26588669

संपादकीय

"सतत विकास से तात्पर्य ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करता है।" सतत विकास के लिए ज़रूरी है कि संपदा सृजन की प्रक्रिया में पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वहीं समावेशी विकास से हमारा अर्थ अवसरों की समानता के साथ विकास को बढ़ावा देने से है यानी बिना किसी भेदभाव के सभी को शिक्षा, कौशल, रोज़गार, आवास, स्वच्छ जल, स्वास्थ्य सुविधाएं और सम्मान से जीने का अधिकार मिलना चाहिए।

समावेशी विकास न केवल आर्थिक विकास है बल्कि यह एक सामाजिक एवं नैतिक अनिवार्यता भी है। समावेशी विकास के अभाव में कोई भी देश अपना विकास नहीं कर सकता है। समावेशी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत की गई। इस योजना में समाज के सभी वर्गों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने और उन्हें अवसरों की समानता उपलब्ध कराने की बात कही गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2012–17) पूरी तरह से समावेशी विकास पर केंद्रित थी तथा इसका थीम 'तीव्र, समावेशी एवं सतत् विकास' था। इस योजना में गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आजीविका के अवसर प्रदान करने पर विशेष ज़ोर दिया गया ताकि योजना में निर्धारित 8 प्रतिशत की विकास दर को हासिल किया जा सके।

सरकार द्वारा समावेशी विकास की स्थिति प्राप्त करने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई है– प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, दीनदयाल अंत्योदय योजना, समेकित बाल विकास कार्यक्रम, मिड–डे मील, मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि। वित्तीय समावेशन के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों में प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना इत्यादि शामिल हैं।

महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए भी सरकार द्वारा मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वीमेन जैसी योजनाओं की शुरुआत की गई है। इसके अलावा, महिला उद्यमिता मंच तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे प्रयास भी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में शामिल हैं।

किसानों एवं कृषि कार्य हेतु वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

भारत सरकार की सतत ग्रामीण विकास लक्ष्यों को हासिल करने की नीतियों में स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना, रुर्बन मिशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री उज्जवला योजना तथा अन्य योजनाएं शामिल हैं। किंतु तमाम योजनाओं और प्रयासों के बावजूद गांवों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव अभी भी शहरों की तरफ पलायन को रोक नहीं पाया है। इसके चलते एक तरफ शहरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ता रहा है तो दूसरी तरफ, कृषि अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है जिससे कृषि उत्पादकता में कमी दर्ज की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी स्थायी एवं दीर्घकालीन रोज़गार साधनों की ज़रूरत है। मनरेगा एवं अन्य कई रोज़गारपरक योजनाओं का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में किया तो जा रहा है परंतु इन्हें रोज़गार के स्थायी साधनों में शामिल नहीं किया जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2030 तक गरीबी के सभी रूपों (बेरोज़गारी, निम्न आय, गरीबी इत्यादि) को समाप्त करने का लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य–1 में निर्दिष्ट किया गया है। चूंकि कृषि क्षेत्र देश में कुल श्रमबल के आधे श्रमबल को रोज़गार उपलब्ध कराता है; साथ ही, सरकार द्वारा भी वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है परंतु इस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उत्पादकता काफी कम है। यदि भारत में तीव्र समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होगी। देश में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि विकास के लाभ को समाज के सभी वर्गों और सभी हिस्सों तक कैसे पहुंचाया जाए! हाल हीं में शुरू किया गया डिजिटल इंडिया कार्यक्रम इस चुनौती का सामना करने के लिए एक अच्छी पहल है।

महात्मा गांधी ने कहा था– "भारत का भविष्य इसके गांवों में बसता है।" गांधीजी का यह कथन आज भी भारत के परिपेक्ष्य में सटीक बैठता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास विभाग के 2019 से 2024 के विज़न दस्तावेज में ग्रामीण भारत के सक्रिय सामाजिक – आर्थिक समावेशन, एकीकरण और सशक्तीकरण के माध्यम से जीवन और आजीविका को बदलने पर जोर दिया गया है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी और सतत विकास हासिल करने के उद्देश्य से विकास के लाभ समाज के निचले तबकों तक पहुंचे तथा गरीबों को अपने मौलिक अधिकार प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार हो जिससे वे एक बेहतर जीवन जी सकें।

विज़न दस्तावेज में ग्रामीण विकास विभाग के भारत की लगभग 70 प्रतिशत आबादी तक पहुंचने के साथ ही साक्ष्य आधारित संचार अभियान (प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के जरिए) की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। दूरदर्शन पर नुक्कड़ नाटकों, ग्रामीण चौपालों इत्यादि जैसे विभिन्न माध्यमों के जरिए लक्षित दर्शकों के बीच ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के बारे में गलत धारणाओं और अड़चनों को दूर करना भी इसका लक्ष्य है।

आर्थिक समीक्षा 2018–19 में बताया गया है कि भारत सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, संसाधन दक्षता और वायु प्रदूषण से संबंधित विभिन्न नीतियों और उपायों को शुरू और लागू करके अपने आर्थिक प्रगति के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। साथ ही, 2030 का वैश्विक एजेंडा अपनाने में देश गरीबी, लैगिंक भेदभाव, आर्थिक असमानता से मुक्त विश्व के निर्माण के लिए आगे आ रहा है जिससे भावी पीढ़ियों के लिए स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सके।

हालांकि कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को काफी धक्का पहुंचाया है। लॉकडाउन से गरीब तबका सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है लेकिन उम्मीद है कि हम इस संकट से जल्द ही उबरने में सफल होंगे और देश सतत और समावेशी विकास के अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हुए कामयाबी के नए मुकाम को हासिल करेगा।

समग्र ग्रामीण विकास का लक्ष्य

–डॉ. जगदीप सक्सेना

भारत सरकार की सहायक योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के कारण देश के ग्रामीण क्षेत्र आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मुख्य संचालक बन गये हैं। 'ग्राम उदय से भारत उदय' की संकल्पना तेजी से साकार हो रही है। परंतु ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण बाजारों में अभी आर्थिक प्रगति की अनेकानेक संभावनाएं मौजूद हैं। इनके दोहन के लिए समग्र और समावेशी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। आशा है कि वर्ष 2025 तक भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में देश के ग्रामीण क्षेत्र विकास की कुंजी सिद्ध होंगे।

भारत के लगभग 6.64 लाख छोटे–बड़े, मैदानी, पर्वतीय, रेगिस्तानी और सागर–तटीय गांव देश की पहचान हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हें देश की 'आत्मा' कहकर सम्मान दिया था। वर्तमान परिदृश्य में गांवों, इनसे जुड़े कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की धुरी माना जाता है।

भारत सरकार ने सन् 2016 में 'ग्रामोदय से भारत उदय' की संकल्पना विकसित की और इसे एक अभियान के रूप में देश भर में संचालित किया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेज़ और सशक्त बनाने के लिए अनेक प्रभावी रणनीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को वित्तीय सहायता के माध्यम से लागू किया जा रहा है। साथ ही निजी क्षेत्र के उद्यमियों को भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश के लिए आकर्षित किया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कारपोरेट भारत से देश के गांवों में निवेश करने का अनुरोध करते हुए कहा, 'यदि आप आज ग्रामीण या अर्ध–ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो वहां एक अप्रत्याशित दृश्य दिखाई देगा। आज ग्रामीण भारत में एक अद्‌भुत परिवर्तन दिखाई दे रहा है। क्या आप जानते हैं कि अब शहरों की तुलना में ग्रामीण भारत में सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या अधिक है? क्या आप जानते हैं कि अब भारत के आधे से अधिक स्टार्टअप्स टीयर–2 और टीयर–3 शहरों में है? ग्रामीण भारत की महत्वाकांक्षाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है, उन्हें भी सामाजिक–आर्थिक गतिशीलता चाहिए। इसलिए आप जैसे निवेशकों को गांवों और ग्रामीण भारत में निवेश करने के अवसर से चूकना नहीं चाहिए।'

ग्रामीण भारत में निवेश से ना केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होती है, बल्कि ग्रामीण आबादी का सामाजिक–आर्थिक सुधार भी होता है। विशेषकर ग्रामीण युवाओं को बेहतर आजीविका, कौशल विकास, क्षमता निर्माण और रोज़गार के अवसर प्राप्त होते हैं। साथ ही, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण बाजारों के उन्नयन का प्रयास देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए भी किया जा रहा है। इसके अनेक आर्थिक कारण हैं। नीति आयोग

की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था लगभग आधी राष्ट्रीय आय का स्रोत है और देश में दो–तिहाई रोज़गार ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होता है (2017)। निर्माण क्षेत्र (मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर) में देश के ग्रामीण क्षेत्र आधे से अधिक मूल्य वर्धन का योगदान देते हैं। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों ने वर्ष 2020–21 के दौरान देश की कुल सकल आय में 17.8 प्रतिशत का योगदान देकर अपना महत्व स्थापित किया है।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वर्तमान में भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका मूल्य 2.94 ट्रिलियन डॉलर आंका गया है। परंतु भारत सरकार ने सन् 2025 तक देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए एक ट्रिलियन डॉलर कृषि से, तीन ट्रिलियन डॉलर सेवा क्षेत्र से और एक ट्रिलियन डॉलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से प्राप्त करने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय स्तर पर हुए अनेक अध्ययन और विमर्श बताते हैं कि ग्रामीण भारत के विकास, आय और उपभोग के स्तर का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग के स्तर में वृद्धि होगी तो इससे बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था के चक्र की गति तेज होगी। कृषि व संबंधित क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाले कुछ अन्य प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं –

- ग्रामीण क्षेत्रों में हाल में स्थापित या परंपरागत रूप से सक्रिय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम वर्ग के उद्यम, जिन्हें सरकारी भाषा में एमएसएमई सेक्टर कहा जाता है;
- गांवों–कस्बों की दुकानों पर आम ग्रामीण उपभोक्ताओं की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली अनेक वस्तुएं, जिन्हें तकनीकी तौर पर एफएमसीजी सेक्टर यानी 'फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स' कहा जाता है; और
- हाल में ग्रामीण उपभोक्ताओं की जीवन शैली में जगह बनाने वाले मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, जिन्हें बाजार की भाषा में 'कंज्यूमर ड्यूरेबल्स' कहा जाता है।

कृषि एवं संबंधित क्षेत्र–बदलता स्वरूप, नई आशाएं

'मैन्युफैक्चरिंग' और सेवा क्षेत्र के बढ़ते प्रभुत्व के बीच कृषि एवं संबंधित क्षेत्र (पशुपालन, डेयरी, बागवानी, मछली पालन आदि) आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार हैं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की धुरी बने हुए हैं। देश की लगभग 60 प्रतिशत आबादी अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों पर सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। देश के अनेक बड़े उद्योग, जैसे चीनी, कपड़ा, जूट, अल्कोहल, रबर आदि के लिए कच्चे माल की आपूर्ति कृषि क्षेत्र द्वारा की जाती है। अनेकानेक कृषि उत्पादों का घरेलू व्यवसाय और निर्यात देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र के विकास से कुछ संबंधित उद्योगों में मांग और खपत सीधे बढ़ती है, जैसे बीज, रसायन व उर्वरक, कृषि मशीनरी व उपकरण, ऊर्जा और परिवहन उद्योग आदि।

हाल में कृषि क्षेत्र के विकास के साथ एफएमसीजी के व्यापार और ई–कॉमर्स में भी सीधे वृद्धि देखी गई है। इन कारणों से भारत सरकार ने अनेक प्रभावकारी नीतियों और योजनाओं का शुभारंभ करके किसानों की आमदनी को सन् 2022 तक दुगुना करने का बीड़ा उठाया है और ग्रामीण क्षेत्रों में गैर–कृषि कार्यों से होने वाली आय में भी वृद्धि करने का लक्ष्य तय किया है। आशा है कि यह क्षेत्र 12.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से विकास करते हुए सन् 2023 तक 88.2 लाख करोड़ रुपये मूल्य का कीर्तिमान स्थापित करेगा। कृषि क्षेत्र में विकास और वृद्धि से प्रसंस्करण उद्यम, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, वित्तीय सेवाओं जैसे सह–उद्योगों में भी तेज़ी आती है। कृषि संबंधी मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन्स) में निवेश एवं व्यापार के अनेक नए अवसर बने हैं, जिनका सार्वजनिक और निजी क्षेत्र लाभ उठा सकते है, इनमें प्रमुख हैं – बाजार से संपर्क और खेत से उपभोक्ता के द्वार तक उत्पाद पहुंचाने संबंधी सेवाएं; फसलों के रोग एवं कीट नियंत्रण संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने वाले स्टार्टअप्स और ऐप्स; किसानों को सीधे उनके मोबाइल फोन पर उपयुक्त सलाह/संदेश देने वाले ऐप्स; और अनुसंधान व विकास के माध्यम से सुधरी तकनीकों/किस्मों आदि का विकास।

भारत सरकार द्वारा किसानों की आमदनी बढ़ाने के संदर्भ में एक विशेष प्रयास के अंतर्गत कृषि बाजार व्यवस्था में सुधार के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं, ताकि किसानों को उनकी उपज की सर्वश्रेष्ठ कीमत मिल सके। भारत सरकार द्वारा संचालित ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक–राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी 'ई–नाम' एक सर्वप्रमुख कृषि बाजार व्यवस्था है, जो कृषकों को लाइसेंसिंग, मंडी शुल्क, परिवहन खर्च, भंडारण जैसी जटिलताओं से मुक्त करती है और उन्हें देश भर में कहीं भी उपज बेचने की स्वतंत्रता भी देती है। इससे कृषि व्यापारियों को भी कृषि उपज के व्यापार में विविधता लाने और पारदर्शी रूप से खरीद–बिक्री का अवसर मिलता है।

अभी तक देश के 18 राज्यों और तीन केंद्र शासित क्षेत्रों में स्थित एक हजार से अधिक कृषि मंडियों (एपीएमसी–एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी) को ई–नाम से जोड़ा जा चुका है। इसका मुख्य लक्ष्य भारत में 'एक देश, एक बाजार' की अवधारणा को कृषि में लागू करना है। ऑन–लाइन तथा पारदर्शी बोली प्रणाली के कारण बड़ी संख्या में किसानों और व्यापारियों ने ई–नाम को सहर्ष अपना लिया है। लगभग 1.70 करोड़ किसान और 1.55 लाख कृषि व्यापारी ई–नाम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। इस प्लेटफार्म पर मुख्य कृषि फसलों का 4.13 करोड़ मीट्रिक टन का व्यापार हो चुका है। वर्तमान में ई–नाम पर 26 प्रकार की खाद्यान्न फसलों (अनाज), 14 प्रकार की तिलहनी फसलों, 31 प्रकार के फलों, 50 प्रकार की सब्जियों, 16 प्रकार के मसालों और 38 प्रकार की अन्य विविध फसलों का ऑनलाइन व्यापार किया जा रहा है। इस सफलता से उत्साहित होकर भारत सरकार ने वर्ष 2021–22 के दौरान 1,000 अन्य कृषि मंडियों

को ई–नाम से जोड़ने का प्रावधान किया है। छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों के लिए कृषि उपज की उचित कीमत प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अक्सर उनके पास खुले बाजार तक उपज पहुंचाने या बाजार से संपर्क करने के लिए अपेक्षित संसाधनों का अभाव होता है। इसलिए इस वर्ग के किसानों को कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ–फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन) के रूप में संगठित करने का बीड़ा उठाया गया है। एक संगठन के रूप में किसानों की आर्थिक शक्ति बढ़ेगी और बाजार के साथ बेहतर संपर्क होने से उनकी आय में सीधे वृद्धि होगी।

भारत सरकार ने 6865 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान से देश के गांव–गांव में 10,000 से अधिक एफपीओ गठित करने की ठोस व्यवस्था की है। इसके अंतर्गत प्रत्येक एफपीओ को प्रारंभिक मार्गनिर्देशन के साथ 18 लाख रुपये की वित्तीय सहायता तीन वर्षों के लिए प्रदान की जाएगी। एफपीओ के माध्यम से किसानों को बेहतर आमदनी के साथ कुछ अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होंगी, जैसे उन्नत तकनीकें और प्रौद्योगिकी, संस्थागत ऋण, कृषि निवेशों की कम कीमत पर खरीद और कृषि बाजार का एक व्यापक दायरा। ग्रामीण क्षेत्रों में एफपीओ के गठन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और युवाओं को गांवों में ही रोज़गार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। वर्ष 2020–21 के दौरान 2200 नए एफपीओ गठित करने की योजना है, जिसमें फसल विशेष के लिए 100–100 विशिष्ट एफपीओ गठित किए जाएंगे, जैसे तिलहनी फसलें, जैविक उत्पाद आदि। एफपीओ को ई–नाम की सुविधा देने के लिए पोर्टल पर एक विशेष मॉड्यूल बनाया गया है, जिसके माध्यम से एफपीओ अपने संग्रह केंद्र से सीधे पोर्टल पर उपज की बिक्री कर सकेंगे, उन्हें उपज को कृषि मंडी यानी एपीएमसी तक ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

हाल में ई–नाम को अधिक उपयोगी बनाने के लिए इसमें एक 'वेयरहाउस ट्रेडिंग मॉड्यूल' भी जोड़ा गया है। यह किसानों को वेयरहाउस (भंडार) से प्राप्त 'इलेक्ट्रॉनिक–निगोशियेबल वेयरहाउस रिसीट' के आधार पर उपज की बिक्री की सुविधा प्रदान करता है। ऑनलाइन बाजार सुविधाओं में प्रसार के साथ यह आवश्यकता भी महसूस की गई कि इसके अनुरूप ज़मीनी–स्तर पर बुनियादी सुविधाओं का विकास हो यानी मंडियों को नई संचार सुविधाओं से लैस कर आधुनिक बनाया जाए। इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत सरकार ने 2000 करोड़ रुपये की एक विशेष निधि से एक विशिष्ट 'कृषि बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर फंड' का गठन किया है (2018–19)। इसके अंतर्गत 10,000 ग्रामीण कृषि बाजारों और 585 कृषि मंडियों में बाजार व्यवस्था को नया और आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। इस सुधार में प्रसंस्करण, भंडारण, 'लॉजिस्टिक्स' और उपज की गुणवत्ता जांच जैसी नई सुविधाएं भी शामिल हैं।

वर्ष 2020 में भारत सरकार ने तीन नए कृषि कानून बनाकर कृषकों को आर्थिक रूप से सशक्त और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने की पहल की है। ये कानून विशेष रूप से देश के छोटे और मंझोले किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए है, जिनका किसानों की कुल संख्या में 86 प्रतिशत अनुपात है। कृषि बाज़ार व्यवस्था पर बनाया गया विशिष्ट कानून किसान को अपनी उपज कहीं भी और किसी को भी बेचने की स्वतंत्रता देता है, इस कानून ने उपज को एपीएमसी की कृषि मंडियों में बेचने की बाध्यता समाप्त कर दी है। किसान अपने गांव या दरवाजे पर ही व्यापारी को आपसी सहमति के आधार पर तय कीमत पर उपज की बिक्री कर सकता है। इससे उसे परिवहन, मंडी शुल्क तथा अन्य संबंधित भुगतानों से छूट मिल जाएगी, जिससे अंततः लाभ में वृद्धि होगी।

अनुबंध खेती (कांट्रैक्ट फार्मिंग) के नए कानून के अंतर्गत किसान अपनी उपज को बुआई से पहले ही अनुमानित पैदावार के आधार पर कृषि–व्यापार कंपनियों को बेच सकते हैं और उनसे अग्रिम भुगतान भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कीमत का निर्धारण आपसी सहमति से करने का प्रावधान है। छोटे और मंझोले किसानों को इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि उन्हें बाज़ार के जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता, उनकी आमदनी निश्चित रहती है। एक अन्य कानून के अंतर्गत कुछ प्रमुख कृषि जिंसों (कमोडिटीज़) को आवश्यक जिंसों की सूची से बाहर करके इनके भंडारण और विक्रय को आसान बना दिया गया है। आशा है कि इस नई व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र का निवेश और भागीदारी बढ़ेगी। इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

हाल में भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी–मिनिमम सपोर्ट प्राइस) योजना को अधिक लाभकारी बनाने के उद्देश्य से यह तय किया है कि प्रत्येक फसल के लिए एमएसपी को उत्पादन लागत के ऊपर कम से कम 50 प्रतिशत लाभ के साथ निर्धारित किया जाएगा। किसानों को इसका आर्थिक लाभ मिलना शुरू हो गया है। कुछ चिह्नित फसलों के लिए किसानों को एमएसपी के अतिरिक्त बोनस के भुगतान का भी प्रावधान किया गया है। एमएसपी के लाभ को अधिकतम किसानों तक पहुंचाने के लिए वर्ष 2020–21 के दौरान फसल प्रग्रहण केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है और उपयुक्त बजट प्रावधान भी किए गए हैं।

भारत सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ अन्य नीतियां और योजनाएं भी लागू की हैं, जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाती हैं। उदाहरण के तौर पर कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देने वाली एक नई नीति लागू की गई है, जिसका लक्ष्य सन् 2022 तक कृषि निर्यात को दुगुना करना है। इस नीति से अगले कुछ वर्षों में कुल कृषि निर्यात का मूल्य 7.4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वर्ष 2019–20 के दौरान भारत ने 4,832 करोड़ रुपये के फलों का निर्यात किया, जो एक कीर्तिमान है। कोरोना महामारी के दौरान विदेशों में भारतीय गरम मसालों, अदरक और लहसुन की मांग बढ़ी है, जिसका लाभ किसानों तक पहुंच रहा है। नई निर्यात नीति के कारण अब भारतीय कृषि उपज के लिए नए बाज़ार भी खुले है,

जिनमें दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और कुछ अमेरिकी देश शामिल हैं।

पिछले वर्ष जब कोरोना महामारी के दौरान देश के अनेक औद्योगिक शहरों से ग्रामीण कामगारों का उनके गांव की ओर पलायन हुआ तो भारत सरकार ने तत्काल 50,000 करोड़ रुपये की लागत से 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' की शुरूआत की। इसे छह राज्यों के 116 जिलों में लागू करके उनके रोज़गार की उचित व्यवस्था की गई, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कोई क्षति नहीं पहुंची, उसकी गति बनी रही। भारत सरकार द्वारा देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना' में रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए 40,000 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिया गया है, जो बजटीय आवंटन के अतिरिक्त है। किसानों को सहजता और सरलता के साथ संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने में सहायक 'किसान क्रेडिट कार्ड योजना' को अब पशुपालकों, मछुआरों आदि के लिए भी लागू कर दिया गया है। इससे ग्रामीण बाज़ारों में नकद की बेहतर आपूर्ति होगी। वर्तमान में योजना और नीति के स्तर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन तथा सहायता देने वाले संशोधन और अनुकूलन किए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति में ग्रामीण विकास और ग्रामीण रोज़गार को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं को रियायतें तथा आर्थिक लाभ देने की सिफारिश की गई है। दीनदयाल उपाध्याय – ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को रोज़गारपरक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत देश के सभी गांवों को पक्की सड़क से राज्य व राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा जा रहा है। इन सड़कों का वृहद् उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मार्ग को प्रशस्त और सुदृढ़ करना है।

उद्यमों व उद्योगों से ग्रामीण विकास को गति

पिछले अनेक वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए अनेक प्रभावकारी प्रयास किए गए, जिनके लाभकारी परिणाम आज हमारे सामने हैं। नए उद्यमों की स्थापना के लिए आवश्यक लगभग सभी बुनियादी सुविधाएं आज ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हैं, जैसे बेहतर सड़क संपर्क, हाई–स्पीड इंटरनेट सुविधा, बिजली की लगभग निर्बाध आपूर्ति, अक्षय ऊर्जा के उपयोग के लिए बेहतर दशाएं, उचित कीमत पर स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता, कुशल तथा अकुशल कामगारों की उपलब्धता, बेहतर ऋण सुविधाएं आदि। दूसरी ओर, ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, क्योंकि इससे ग्रामीणों के लिए रोज़गार के अवसर उत्पन्न होते हैं, स्थानीय संसाधनों की उचित कीमत प्राप्त होती है, और उद्योगों से संबंधित अनेक स्थानीय सेवाएं आरंभ करने का अवसर भी मिलता है। अनेक औद्योगिक गतिविधियों के बीच कृषि या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक अनुकूल और लाभकारी हैं, क्योंकि प्रसंस्करण के लिए खाद्य सामग्री उचित कीमत पर सदैव उपलब्ध रहती है। इस क्षेत्र में व्यावसायिक संभावनाएं भी अधिक हैं, क्योंकि हमारे देश में खाद्य प्रसंस्करण की दर व्यावसायिक संभावनाओं और अपेक्षाओं से बहुत कम है। हाल के वर्षों में भारत सरकार के प्रयासों और योजनाओं से देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का तेज़ी से विस्तार और विकास हुआ है। वर्तमान में लगभग 40,000 पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में लगभग 11 लाख लोग कार्यरत हैं, जो लगभग 160 अरब डॉलर मूल्य के विविध उत्पाद तैयार करते हैं।

भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा (स्कीम फॉर एग्रो–मेरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ऐग्रो–प्रोसेसिंग क्लस्टर्स) योजना के नाम से एक व्यापक और महत्वाकांक्षी पहल की है। इसे वर्ष 2017 में 6,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक लागत से तीन वर्षों के लिए लागू किया गया और बाद में विस्तारित किया गया। इस योजना के माध्यम से 'सप्लाई चेन' प्रबंधन के लिए कुशल बुनियादी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिनमें निजी क्षेत्र भी निवेश और सहयोग कर रहे हैं। लक्ष्य यह है कि किसानों के खेतों से लेकर दुकानदारों के शेल्फ तक खाद्य पदार्थ पूर्ण गुणवत्ता के साथ पहुंच सकें और किसानों को इस अवसर का लाभ मिले। किसानों को घरेलू बाज़ारों और विदेशी बाज़ारों से जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। इन प्रयासों से उद्यमियों और किसानों के बीच फासला कम हो रहा है और अनेक युवा किसान उद्यमिता की ओर आकर्षित भी हो रहे हैं।

'संपदा' योजना के अंतर्गत विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 'मेगा फूड पार्क' और 'एग्रो–प्रोसेसिंग क्लस्टर्स' स्थापित किए जा रहे हैं, जहां सूक्ष्म और लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को अनेक आवश्यक सुविधाएं सुलभ होती हैं। बागवानी फसलों तथा अन्य शीघ्र खराब होने वाल कृषि उपजों को खेत/भंडार में होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सरकार द्वारा समेकित 'कोल्ड चेन' के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार ने देश भर में 37 'मेगा फूड पार्क' की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है, जिनमें से 21 सक्रिय हैं और 16 में अभी निर्माण/सुविधाओं संबंधी काम चल रहा है। वर्ष 2020 के दौरान विभिन्न राज्यों में 'खाद्य प्रसंस्करण' संबंधी 134 से अधिक परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 21 को एक ओर किसानों तो दूसरी ओर बाजार से जोड़ा गया है और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गईं हैं। आशा की जा रही है कि नई परियोजनाओं से निजी क्षेत्र से लगभग 2026 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा, जिससे लोगों की सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिलेगा। इस निवेश का लाभ मुख्य रूप से ग्रामीण समुदाय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को होगा। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों से डेयरी, फल और सब्जियां, पोल्ट्री और मीट (मांस) तथा मछली के रूप में आवश्यक सामग्री की पूर्ति हो रही है।

हाल में भारत सरकार ने 'एक जिला, एक उत्पाद'

(ओडीओपी–वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट) नामक एक अभिनव योजना प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ज़िले से उसके एक विशिष्ट देशी उत्पाद को चुनकर राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर बाज़ार–प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इसके लिए 'वैल्यूचेन' और बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। यह उत्पाद 'हैंडीक्राफ्ट' से संबंधित हो सकता है या कोई देशी खाद्य पदार्थ/व्यंजन या कृषि उत्पाद भी हो सकता है। इस योजना के अंतर्गत 728 ज़िलों से 135 विशिष्ट उत्पाद चुने गए हैं, जिनके बाज़ार प्रोत्साहन से ग्रामीण कारीगर, किसान, पशुपालक आदि लाभान्वित हो रहे हैं।

सूक्ष्म, लघु और मंझोले उद्योग (एमएसएमई/माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राजेज) ना केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति देते हैं, क्योंकि आधे से अधिक एमएसएमई ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। एमएसएमई की आर्थिक महत्ता इस तथ्य से आंकी जा सकती है कि राष्ट्रीय जीडीपी में इनका योगदान लगभग 30 प्रतिशत है; कुल निर्यात में इनकी भागीदारी लगभग 40 प्रतिशत है; और देश भर में लगभग 110 मिलियन लोग एमएसएमई में काम कर अपनी आजीविका चलाते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एमएसएमई की अहम् भूमिका को देखते हुए भारत सरकार ने इस सेक्टर के विकास के लिए अनेक सहायक योजनाएं लागू की है, जो एमएसएमई को बढ़ावा देने का काम करती हैं। एमएसएमई के कामकाज को सहज, सुचारू और लाभकारी बनाने के लिए इन्हें ऋण सहायता, बाज़ार–प्रोत्साहन, बुनियादी सुविधाएं और कई अन्य व्यावसायिक रियायतें दी जा रही हैं। हाल में एमएसएमई को अधिकाधिक वित्तीय लाभ पहुंचने के उद्देश्य से उनके वर्गीकरण में संशोधन किया गया है। नई परिभाषा के अनुसार........

- एक करोड़ रुपये से कम निवेश और पांच करोड़ रुपये से कम 'टर्न ओवर' वाली इकाइयां सूक्ष्म उद्यम हैं;
- 10 करोड़ रुपये से कम निवेश और 50 करोड़ रुपये से कम 'टर्न ओवर' वाली इकाइयां लघु उद्यम है; जबकि
- 50 करोड़ रुपये से कम निवेश और 250 करोड़ रुपये से कम 'टर्न ओवर' वाले उद्यमों को मंझोले वर्ग में रखा गया है।

संशोधित मानदंडों को लागू करने से लाभार्थी एमएसएमई की संख्या तेज़ी से बढ़ी है, जिसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ मिल रहा है। हाल में भारत सरकार ने एमएसएमई के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए 'उद्यम' नाम से एक विशेष सेवा प्रारंभ की है, जिस पर इच्छुक उद्यमी स्वयं–प्रमाणीकरण द्वारा आसानी से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इस पंजीकरण द्वारा एमएसएमई अनेक रियायतों और लाभों के हकदार बन जाते हैं, जैसे......

- पंजीकृत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बिल का भुगतान 45 दिन के अंदर करना अनिवार्य है, अन्यथा खरीदार को चक्रवर्ती ब्याज अदा करने का प्रावधान है;
- सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों, कंपनियों

आदि को अपनी कम से कम 25 प्रतिशत खरीद पंजीकृत एमएसएमई से करना अनिवार्य है;

- पंजीकृत एमएसएमई को बिना किसी गारंटी के ऋण, ब्याज में अनुदान, बाजार–सहायता, निर्यात–प्रोत्साहन जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं; और
- एमएसएमई को बिजली के बिल में भी रियायत मिलती है।

एमएसएमई को संस्थागत ऋण के माध्यम से निरंतर वित्त उपलब्ध कराने के लिए एक 'इमरजेन्सी क्रेडिट लाइन' शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत बैंक/वित्तीय संस्थान बिना किसी अतिरिक्त गारंटी के ऋण उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान महामारी के दौरान एक नयी 'सब–आर्डिनेट डेब्ट' योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत एमएसएमई को प्रमोटर के योगदान के 15 प्रतिशत के बराबर या 75 लाख रुपये (जो कम हो) का ऋण प्रदान किया जाता है। इससे नए एमएसएमई की स्थापना को प्रोत्साहन मिल रहा है। भारत सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये की निधि से एक 'फ्ंडस ऑफ फंड्स' योजना शुरू की है, जो व्यावसायिक संभावना वाले एमएसएमई को चुनकर वित्तीय राहत पहुंचाती है।

वर्तमान कोविड महामारी के दौरान एमएसएमई के उत्पादन की रफ्तार को बनाए रखने और तालाबंदी से बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने 1 जून, 2020 को एक विशेष 'चैम्पियन्स' (सीएचएएमपीआईओएनएस–क्रियेशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ) पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई को वित्त, कच्चा माल, श्रमिक, विभागीय स्वीकृति, आधुनिक तकनीकी, कौशल विकास संबंधी सहायता स्थानीय/ज़मीनी–स्तर पर प्रदान की जाती है। इसके लिए राष्ट्रीय–स्तर पर दिल्ली में एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष और 68 स्थानों पर राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। सरकारी और निजी क्षेत्र के अनेक प्रमुख बैंक और वित्तीय संस्थान इस पोर्टल से जुड़कर एमएसएमई की वित्तीय समस्याओं का तेज़ी से समाधान कर रहे हैं। हाल में विश्व बैंक ने एमएसएमई को आपातकालीन वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए 5,600 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इस पोर्टल की सहायता से एमएसएमई को बदलती आवश्कताओं के अनुरूप नए उत्पाद तैयार करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और संबंधित सहायता भी दी जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई के अलावा अनेक कुटीर उद्योग–धंधे भी सक्रिय रहते हैं, जिनकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनमें से अधिकांश इकाइयों में परंपरागत कारीगरों द्वारा विविध प्रकार के परंपरागत उत्पाद तैयार किए जाते हैं। परंतु हाल के वर्षों में बदलते बाज़ार और उपभोक्ता पसंद के कारण ये उद्योग–धंधे अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन उद्यमों के समग्र उत्थान और उद्धार के लिए भारत सरकार ने 'स्फूर्ति' (एसएफयूआरटीआई–स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज) नाम से एक नई योजना शुरू की है, जिसका दायरा केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित है। इसके अंतर्गत गांवों के परंपरागत उद्योगों और इनसे जुड़े हुनरमंद कारीगरों को एक समूह यानी 'क्लस्टर' के रूप में संगठित किया जाता है। इस तरह उन्हें वित्तीय स्थायित्व देने का प्रयास किया जाता है। 'स्फूर्ति' योजना के अंतर्गत परंपरागत उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए उन्हें नए उत्पादों, नई डिजाइन, आधुनिक पैकेजिंग और बाज़ार के नए तौर–तरीकों से परिचित कराया जाता है और संबंधित तकनीकी सलाह भी दी जाती है। परंपरागत कारीगरों को कौशल विकास, प्रशिक्षण और भ्रमण के जरिए नई क्षमताओं से सशक्त बनाया जाता है। ग्रामीण कारीगरों और उद्यमों को नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए देश भर में 18 एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो मांग के अनुरूप नई प्रौद्योगिकी का विकास करके ग्रामीण उद्यमों को सौंपते हैं। कोविड–19 की महामारी के दौरान इन केंद्रों में महामारी से संबंधित आवश्यक वस्तुओं के निर्माण संबंधी अनेक प्रौद्योगिकियां विकसित की गईं, जिन्हें एमएसएमई और 'स्फूर्ति' कलस्टर्स ने अपनाकर ना केवल अपनी आजीविका को सशक्त किया, बल्कि समाज की आवश्यकता भी पूरी की।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अनेक एमएसएमई ने पीपीई किट के कुछ भागों, कोरोना जांच किट के कुछ भागों, अनेक प्रकार के सेनिटाइजिंग मशीनों, फेस शील्ड्स, सेफ्टी गॉगल्स, पल्स ऑक्सीमीटर के प्रोटोटाइप आदि का निर्माण किया और इन्हें उचित कीमत पर बाज़ार/उपभोक्ताओं तक पहुंचाया। आपदा के समय यह एक बड़ी मदद थी। इसी श्रृंखला में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने खादी के मास्क बनाने शुरू किए, जिन्हें बार–बार धोकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पहल से एक ओर तो ग्रामीण कारीगरों को अपनी आमदनी बढ़ाने का अतिरिक्त साधन मिल गया और दूसरी ओर उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर गुणवत्तापूर्ण मास्क भी उपलब्ध हो गए। भारत सरकार द्वारा एमएसएमई सेक्टर को दी जा रही प्राथमिकता के कारण यह सेक्टर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी संबल प्रदान कर रहा है और मुख्य रूप से देश की ग्रामीण आबादी को रोज़गार व आजीविका के नए अवसर भी उपलब्ध करा रहा है।

घरेलू सामान–ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए वरदान

हाल के वर्षों में बढ़ती आबादी और बदलती जीवनशैली, आमदनी में वृद्धि, बढ़ती जागरूकता, आसान उपलब्धता और मीडिया पर विज्ञापनों के कारण दैनिक आवश्यकता वाली वस्तुओं/सामानों की बाज़ार मांग कई गुना बढ़ गई है। ऐसी वस्तुओं को बाज़ार की भाषा में तेज़ी से बिकने वाली वस्तुएं या एफएमसीजी (फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स) कहा जाता है। भारत में आर्थिक रूप से यह चौथा सबसे बड़ा सेक्टर है, जिसमें लगभग 30 लाख लोग काम करते हैं। इस सेक्टर को मुख्य रूप से तीन वर्गों में बांटा जाता है– पहला और सबसे बड़ा वर्ग है घरेलू और व्यक्तिगत देखरेख वाली वस्तुओं का, जिनकी भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत है; दूसरे वर्ग में 31 प्रतिशत भागीदारी के साथ खाद्य पदार्थ और

पेय आते हैं; और तीसरा वर्ग स्वास्थ्य संबंधी देखभाल वाली वस्तुओं का है, जिनकी साझेदारी लगभग 19 प्रतिशत है।

अनेक सामाजिक–आर्थिक दशाओं के कारण एफएमसीजी सेक्टर के राजस्व अर्जन में सबसे बड़ा योगदान शहरी क्षेत्रों से होता था। परंतु पिछले कुछ वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में हुए आर्थिक सुधार के कारण ग्रामीण भारत में एफएमसीजी के विकास/वृद्धि की दर शहरी क्षेत्रों आगे निकल गई है। ग्रामीण खर्च में एफएमसीजी उत्पादों की हिस्सेदारी लगभग 50 प्रतिशत तक पहुंच गई है। एफएमसीजी की मांग बढ़ाने वाली जो दशाएं शहरी क्षेत्रों में सक्रिय थीं, वही अब ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव का कारक बन गई हैं। साथ ही कृषि क्षेत्र में बढ़ते उत्पादन, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती रोज़गार की दर और कामगारों के वापसी पलायन के कारण भी ग्रामीण बाज़ारों में रौनक बढ़ रही है, कारोबार तेज़ हो रहा है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अनेक एफएमसीजी उत्पादक कंपनियों ने ग्रामीण बाजारों में स्टोर्स की श्रृंखला स्थापित करना शुरू कर दिया है और इसके सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर, गांवों में मोबाइल फोन की बढ़ती लोकप्रियता के कारण ई–कॉमर्स ने अपने पांव जमाने शुरू कर दिए हैं। एफएमसीजी के उत्पादों की ग्रामीण घरों तक 'डिलीवरी' शुरू हो गई है। एफएमसीजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता, रियायतें और बुनियादी सुविधाओं का निर्माण जैसी सहायक गतिविधियां भी शुरू की गई हैं।

आजकल एफएमसीजी के अलावा ग्रामीण बाज़ारों में फ्रिज, टीवी, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, पीसी, माइक्रोवेव जैसे आधुनिक उत्पादों की मांग भी बढ़ी है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि भारत सरकार द्वारा सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गई है और बिजली आपूर्ति की दशा में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। दूसरा प्रमुख कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय और रोज़गार में सुधार होना है। विशेष रूप से महिलाओं की आमदनी बढ़ने से घरेलू उपकरणों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। इन उत्पादों की निर्माता कंपनियां आसान किश्तों में भुगतान जैसे प्रावधान करके उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या को खरीद के लिए आकर्षित कर रही हैं। जन धन योजना, 'डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर' (डीबीटी) और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी वित्तीय योजनाओं ने ग्रामीण समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उनकी क्रयशक्ति बढ़ा दी है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ ग्रामीण उद्यमिता को भी बल मिला है।

भारत सरकार की सहायक योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के कारण देश के ग्रामीण क्षेत्र आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मुख्य संचालक बन गए हैं। 'ग्राम उदय से भारत उदय' की संकल्पना तेज़ी से साकार हो रही है। परंतु ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण बाज़ारों में अभी आर्थिक प्रगति की अनेकानेक संभावनाएं मौजूद हैं। इनके दोहन के लिए समग्र और समावेशी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। आशा है कि वर्ष 2025 तक भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में देश के ग्रामीण क्षेत्र विकास की कुंजी सिद्ध होंगे।

(लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में प्रधान संपादक रह चुके हैं।)

ई–मेल : jagdeepsaxena@yahoo.com

कृषि क्षेत्र में नवाचारी प्रयास

–सन्नी कुमार

कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग से आशय सिर्फ कृषि के मशीनीकरण से नहीं है बल्कि कृषि क्षेत्र के लिए अनुकूल 'प्रौद्योगिकीय पारिस्थितिकी' बनाने से है। एक तरफ यह प्रक्रिया कृषि क्षेत्र में शोध संस्थानों के माध्यम से पूरी होगी तो दूसरी तरफ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस–एआई) के उपयोग से। ऐसा नहीं है कि इस दिशा में कार्य नहीं हो रहा है। 'भारतीय कृषि प्लेटफार्म' (आईएपी) एक ऐसा ही मंच है जो एआई का उपयोग करके किसानों को बहु–उद्देश्यीय जानकारी उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तथा भारतीय मौसम विभाग से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर किसानों को अनुकूल कृषि हेतु समुचित जानकारी दी जा रही है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कृषि उसी तरह बुनियादी ज़रूरत है जैसे मानव शरीर के लिए रीढ़। रीढ़ जितनी मज़बूत होगी, शरीर उतना ही तना होगा। ठीक इसी प्रकार कृषि जितनी मज़बूत होगी, भारतीय अर्थव्यवस्था उतनी ही बेहतर स्थिति में होगी। अब यहां यह सवाल उठ सकता है कि आखिर कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसका पहला उत्तर तो यही है कि एक विशाल जनसंख्या वाले भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह न केवल अन्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो बल्कि सभी नागरिकों को 'पोषणयुक्त भोजन' उपलब्ध करा सकने में भी सक्षम हो। ज़ाहिर–सी बात है कि यह तभी होगा जब कृषि उन्नत दशा में होगी। यह तो हुई उपभोग–आधारित व्याख्या, इसके इतर देखें तो कृषि क्षेत्र भारतीय श्रमबल का लगभग आधा हिस्सा धारण करता है, यह देश में उपलब्ध कुल ताज़े जल का तीन चौथाई से भी अधिक का उपभोग करता है, यह कार्य लगभग आधे भू–भाग पर होता है। अतः स्वाभाविक ही है कि यह क्षेत्र बेहतर प्रदर्शन करे ताकि इस व्यापक संसाधन का बेहतर परिणाम राष्ट्र को मिल सके।

आवश्यकता क्यों?

देश की जीडीपी में कृषि का योगदान 19.9 प्रतिशत है वहीं कृषि निर्यात कृषि जीडीपी का करीब 10 प्रतिशत है (2020–21)। चूंकि भारत कृषि प्रधान देश है और यहां तकरीबन 68 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, ऐसे में यह आंकड़े बताते हैं कि अभी कृषि क्षेत्र पर बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा, व्यापक प्रच्छन्न बेरोज़गारी की दशा तथा आय–व्यय

के बिगड़ते संतुलन जैसे कुछ अन्य मुद्दे ऐसे हैं जो बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि की स्थिति ठीक नहीं है। अब इससे तो शायद ही किसी को इंकार हो कि यह स्थिति बदलनी चाहिए, तो फिर सवाल है कि यह बदलाव किस प्रकार मूर्त हो सकेगा?

वस्तुतः अब कृषि में कुछ नवाचारी प्रयास करने होंगे तथा परंपरागत कृषि नीति से आगे बढ़ना होगा। ऐतिहासिक विकासक्रम को देखें तो एक समय था जब भारत को अनाज का आयात करना पड़ता था और इससे उबरने के लिए 'हरित क्रांति' जैसे नवाचार प्रयोग में लाए गए। इसका सकारात्मक प्रभाव हुआ और देश अन्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। यहां इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि चूंकि उस समय उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत थी इसलिए 'उत्पादन आधारित' प्रयास ही अपनाए गए। अब जबकि देश इस अवस्था को पार कर चुका है तो ज़रूरत है इस नीति में भी परिवर्तन किया जाए और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल नीति तैयार हो। आज दिक्कत उत्पादन की नहीं बल्कि इस क्षेत्र को लाभदायक बनाने की है इसलिए जैसा कि कृषि विशेषज्ञ अशोक दलवई कहते हैं कृषि को 'आय क्रांति' की आवश्यकता है। यह तब होगा जब कुशल कृषि प्रबंधन किया जाएगा, बाज़ार की मांग आपूर्ति से कृषि का जुड़ाव होगा, नई तकनीकों का प्रवेश होगा, नई पूंजी आएगी तथा निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। आखिर जब नीदरलैंड जैसा छोटा देश इन्हीं उपायों को अपनाकर फल व सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन सकता है, इज़राइल एकदम विषम परिस्थितियों में कृषि कार्य कर सकता है तथा चीन लगभग भारत जैसी परिस्थिति में रिकॉर्ड बना सकता है तो फिर भारत क्यों नहीं?

कृषि प्रबंधन की आवश्यकता

कृषि को लाभदायक बनाने की दिशा में जो सबसे प्राथमिक उपाय किए जाने की ज़रूरत है वो कृषि निवेश को इस तरह प्रबंधित करना कि व्यय और आय का अनुपात संतुलित हो। वस्तुतः कृषि प्रबंधन का अर्थ कृषि आगत के रूप में सम्मिलित सभी अवयवों का विवेकपूर्ण तरीके से आकलन कर एक निश्चित लक्ष्य की पूर्ति के लिए निर्णय लेने से है। इसके अंतर्गत एक पक्ष मृदा के अनुकूल फसल चयन का है ताकि अधिकतम उत्पादकता को प्राप्त किया जा सके। इसका दूसरा अवयव सिंचाई प्रबंधन है। भारत में कुल सिंचाई युक्त कृषि भूमि की बात करें तो यह मात्र 34.5 प्रतिशत ही है। अर्थात् सीमित रूप से ही कृषि कार्यों हेतु जल की उपलब्धता है, इसलिए इसका समुचित प्रबंधन ज़रूरी है। वस्तुतः, सिंचाई प्रबंधन से आशय यह है कि कम जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में दलहन और तिलहन का उत्पादन किया जाना चाहिए। साथ ही, जहां जल की अधिक ज़रूरत हो ही, वहां ऐसी तकनीकों को अपनाना चाहिए जो अधिक से अधिक जल की बचत कर सकें। जैसे गन्ना और धान की खेती में 'एसआरआई' (सिस्टम ऑफ राइस इनटेंसिफिकेशन) जैसी तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए। वर्तमान में अधिक उत्पादन की चाह में जहां आवश्यकता से अधिक सिंचाई कर दी जाती है वहीं वाणिज्यिक दबाव में वायनाड जैसे धान उपजाने वाले क्षेत्र से धान की कृषि भूमि सीमित हो गई और अधिक पानी की आवश्यकता वाले गुलाब की खेती शुरू हो गई। ऐसे विरोधाभास से उबरकर एक बेहतर जल प्रबंधन ही कृषि उत्पादकता और उसकी सतता को बचा सकता है। कृषि प्रबंधन का तीसरा अवयव है उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग। दरअसल, भारतीय संदर्भ में मुख्यतः नाइट्रोजन (एन), फॉस्फोरस (पी) तथा पोटेशियम (के) का उपयोग किया जाता है। दिलचस्प बात है कि जहां एनपीके उर्वरक को 4:2:1 के अनुपात में उपयोग करने की सलाह दी गई वहीं इसे 6.7:2:4.1 के अनुपात में उपयोग किया जा रहा है। जाहिर–सी बात है कि इस बढ़े हुए अनुपात से कृषि लागत में भी वृद्धि हो रही है और दीर्घकाल में उत्पादकता भी प्रभावित हो रही है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इसे उचित रूप से प्रबंधित किया जाए। बेहतर तो यह है कि जैविक उर्वरकों का अधिकाधिक उपयोग हो ताकि कम लागत में स्थानीय रूप से उर्वरक भी प्राप्त हो जाएं और मृदा की उर्वरता भी बनी रहे।

कृषि क्षेत्र में नवाचारी प्रौद्योगिकी का उपयोग

कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग से आशय सिर्फ कृषि के मशीनीकरण से नहीं है बल्कि कृषि क्षेत्र के लिए अनुकूल 'प्रौद्योगिकीय पारिस्थितिकी' बनाने से है। एक तरफ यह प्रक्रिया कृषि क्षेत्र में शोध संस्थानों के माध्यम से पूरी होगी तो दूसरी तरफ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस–एआई) के उपयोग से। वस्तुतः सेंसर, मौसम पूर्वानुमेयता, उपग्रह, ड्रोन तथा कैमरा आदि की मदद से एक 'स्मार्ट कृषि पारिस्थितिकी' निर्मित की जा सकती है जो कृषि के लिए आवश्यक निवेश की जानकारी, महत्वपूर्ण डाटा, ज़रूरी सलाह, वित्तीयन, बाज़ार तक पहुंच से लेकर जलवायु परिवर्तन, मृदा चयन, सिंचाई तथा उत्पादन तक की संपूर्ण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सार रूप में कहें तो 'कृषि प्रबंधन' के दृष्टिकोण से प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बेहतर परिणाम देने वाला हो सकता है।

ऐसा नहीं है कि इस दिशा में कार्य नहीं हो रहा है। 'भारतीय कृषि प्लेटफार्म' (आईएपी) एक ऐसा ही मंच है जो एआई का उपयोग करके किसानों को बहु–उद्देश्यीय जानकारी उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तथा भारतीय मौसम विभाग से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर किसानों को अनुकूल कृषि हेतु समुचित जानकारी दी जा रही है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में नवाचारी प्रयासों को लागू करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से 'राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना' लागू है। यह परियोजना निम्नांकित उद्देश्यों के साथ कार्य कर रही है :

- कृषि को एक व्यावसायिक उद्यम बनाने व ग्रामीण भारत के लिए कृषि को सुरक्षित आजीविका बनाने के लिए प्रौद्योगिकी विकास पर बल।
- सार्वजनिक, निजी व नागरिक समुदाय को साथ लेकर कृषि

शोध पर कार्य करना।

- साझा उद्देश्य व साझी ज़िम्मेदारी तथा लाभ की दिशा में कार्य करना।
- प्रतिस्पर्धात्मक नवाचार के लिए वित्तीयन।

इसके अलावा, अन्य सरकारी प्रयास देखें तो आज स्थिति यह है कि करीब 1.25 लाख पंचायत ब्रॉडबैंड सेवा से जोड़ दिए गए हैं जबकि पांच वर्ष पूर्व इसकी संख्या मात्र 100 थी। इसी प्रकार 'सामान्य सुविधा केंद्र' की संख्या भी बढ़कर 3 लाख हो गई है। 24 अप्रैल को 'पंचायत दिवस' के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 'एकीकृत ई–ग्राम स्वराज पोर्टल' तथा मोबाइल एप को लॉच किया। इसके साथ ही 'स्वामित्व' योजना को भी शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य राजस्व वसूली एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति संबंधी अधिकारों को पारदर्शी बनाना है। इसके अतिरिक्त, सरकार 'डिजिटल इंडिया' के माध्यम से देश को डिजिटली सशक्त अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है। इसके अंतर्गत 'NeGP' जैसा कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका उद्देश्य आईसीटी के उपयोग के माध्यम से नागरिक सेवाओं को उपलब्ध कराना था। साथ ही, ग्रामीण जनसंख्या को तकनीकी रूप से साक्षर बनाने के लिए 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' शुरू किया गया जिसका उद्देश्य 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है। ऐसी तमाम सरकारी योजनाएं चलाई गईं जिसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तकनीकी रूप से उन्नत बनाना है। कृषि उत्पादों को भी प्रौद्योगिकी की मदद से आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (NAM) इसी उद्देश्य को पूरा करता है। इससे किसान अपनी उपज सीधे बाज़ार तक पहुंचा सकेंगे और बिचौलियों की समाप्ति से उन्हें अधिक कीमत मिल सकेगी। वस्तुतः, राष्ट्रीय कृषि बाज़ार एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है जिससे देश की लगभग 500 मंडियां जुड़ी हुई हैं। इस प्रकार देशभर के व्यापारी सीधे स्थानीय किसानों से जुड़कर उत्पादों की खरीद कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, इस ऑनलाइन प्लेटफार्म से 'ग्रामीण खुदरा कृषि बाज़ार (GrAMs)' को जोड़ दिया जाएगा जिससे कृषि विपणन क्षेत्र का विकास होगा और किसानों का उपभोक्ताओं से सीधा जुड़ाव हो जाएगा।

कृषि क्षेत्र से संबद्ध स्टार्टअप

भारतीय कृषि को लाभदायक बनाने के लिए आवश्यक है कि इससे नए उद्यमियों को जोड़ा जाए तथा विनिर्माण व सेवा क्षेत्र की तरह स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया जाए। इससे न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि कृषि उत्पादों को अनुकूल बाज़ार भी मिल पाएगा। साथ ही, इससे नई संभावनाओं का भी उदय होगा। अभी भारत में ऐसे स्टार्टअप एकदम नवजात अवस्था में हैं। भारतीय एग्रीटेक बाज़ार का वर्तमान मूल्य लगभग 204 मिलियन डॉलर है जबकि इसके 24 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि अभी तक मात्र एक प्रतिशत संभावना का ही दोहन किया जा सका है। इसी संदर्भ में कुछ अन्य आंकड़े देखें तो वित्तीय वर्ष 2019–20 में भारतीय एग्रीटेक स्टार्टअप ने कुल 1 बिलियन डॉलर निवेश को प्राप्त किया। साथ ही, 2019 में भारतीय कृषि उत्पाद का निर्यात बढ़कर 37 बिलियन डॉलर हो गया। वस्तुतः जैसे ही कृषि का जुड़ाव बाज़ार की गतियों से होने लगा, इसका आय संवर्धन हुआ।

कृषि क्षेत्र में उद्यमिता विकसित करने का सबसे बड़ा लाभ यह मिल रहा है कि आय का एक सुचक्र स्थापित हो रहा है, जिसमें उत्पादन की उन्नत प्रविधि से लेकर बाज़ार तक पहुंच शामिल है। उदाहरण के लिए 'एगजॉन एग्रो' नामक स्टार्टअप किसानों तक उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्त्वों, बायो उर्वरक तथा कीटनाशक जैसे उत्पादों की आसान पहुंच सुनिश्चित कर रहे हैं। 'बोहेको' (Boheco) नामक स्टार्टअप भविष्य के लिए सतत कृषि के उद्देश्य के साथ काम कर रहा है और यह कृषि को उद्योग से जोड़कर इसे लाभदायक बनाने की कोशिश है। यह कृषकों को उन्नत बीज व बाज़ार की मांग के अनुकूल उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहित करता है। इसी कड़ी में देखें तो 'एसफार्म इंडिया' नामक वेबपेज भूखंडों का रिकॉर्ड रखता है ताकि कृषि कार्य के लिए बिना किसी मध्यस्थ के भूमि को किराये पर लिया जा सके या खरीदा जा सके। एक अन्य नवाचारी प्रयोग देखें तो 'खेतीगाड़ी' नामक प्लेटफार्म ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि संबंधी मशीनों की खरीद–बिक्री या किराये पर लेने की सुविधा उपलब्ध कराता है। इस तरह के अनेक स्टार्टअप हैं जो कृषि उत्पादन को सुगम बना रहे हैं तो दूसरी तरफ बिक्री आधारित उद्यम भी हैं जो कृषि उत्पादों को बेहतर बाज़ार दिलाकर कृषकों की आय में वृद्धि कर रहे हैं। आवश्यकता है इस क्षेत्र को और विकसित करने की ताकि कृषि क्षेत्र 'आय क्रांति' के लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

नए कृषि कानून और किसानों को बाज़ार के लाभ से जोड़ना

किसानों की स्थिति अच्छी न होने के वैसे तो बहुत से कारण हैं लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि कृषि और कृषकों के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए गए उनसे इनका संबंध बाज़ार व्यवस्था से कट गया। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक ही था कि कृषि एक सीमित आर्थिक हैसियत तक सिमट गई। दरअसल, अन्य क्षेत्र जो मुक्त बाज़ार व्यवस्था से जुड़कर जोखिम और लाभ की व्यापक दुनिया में प्रवेश कर गए वहीं कृषि को जोखिम से सुरक्षा के नाम पर सीमित लाभ तक समेट दिया गया। इसके कारण किसान और अन्य पेशेवर में आय अंतराल बढ़ता गया। अर्थव्यवस्था के शेष क्षेत्र एक–दूसरे से जुड़कर लाभ बढ़ाते गए लेकिन कृषि इस तरह से जुड़ नहीं पाया। नए कृषि कानून इन अंतरालों को भरने की कोशिश करते हैं।

दरअसल, कृषि से संबंधित तीन परिवर्तनों के लिए पहले अध्यादेश लाया गया था जो अब संसद द्वारा पारित हो गए हैं। इनमें से एक है 'किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020' यह विधेयक मुख्य रूप से किसानों को

अपनी उपज बेचने के अन्य विकल्प प्रदान करता है। अब किसान अपने उत्पादों को एक राज्य से बाहर भी बेच सकेंगे। साथ ही, उनके पास यह विकल्प भी होगा कि वो एपीएमसी (कृषि उत्पाद विपणन समिति) द्वारा निर्धारित मंडी के बाहर भी अपने उत्पाद बेच सकेंगे। इस प्रकार की बिक्री किसी भी प्रकार के शुल्क से मुक्त होगी। इसके अतिरिक्त, कृषि उत्पादों की खरीद के लिए इलेक्ट्रॉनिक खरीदों को भी सहमति दी गई है। दूसरा कानून 'मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता विधेयक 2020' है। यह कानून मुख्यतः संविदा कृषि पर ज़ोर देता है। यानी किसान अपने उत्पादों की बिक्री के लिए किसी स्पॉन्सर से संविदा करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिनमें परस्पर सहमति से कीमत व अन्य शर्तें तय की जा सकेंगी। 'अनिवार्य वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020' इस कड़ी का तीसरा कानून है। यह कानून आवश्यक खाद्य पदार्थों के स्टॉक को विनियमित करता है ताकि उसकी उपलब्धता सुनिश्चित होती रहे। नए संशोधन में यह तय किया गया है कि सरकार सिर्फ आपात स्थितियों में ही इन खाद्य पदार्थों को विनियमित करेगी। साथ ही, स्टॉक निर्धारण भी तब तक नहीं किया जाएगा जब तक बागवानी रिटेल मूल्यों में 100 प्रतिशत तथा नष्ट न होने वाले कृषि उत्पादों के रिटेल मूल्यों में 50 प्रतिशत की वृद्धि नहीं हो जाती।

इसमें पहले कानून से किसानों को यह लाभ होगा कि वो अपनी मर्ज़ी से मंडी के बाहर भी अपने उत्पाद बेच सकेंगे तथा मध्यस्थों के हाथ जाने वाली कमीशन से बच सकेंगे। साथ ही, इससे 'किसान उत्पादक संगठनों (पीएफओ)' के विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरी ओर, संविदा कृषि कई संभावित लाभों की अगुवा हो सकती है। जैसे कॉरपोरेट पूंजी बेहतर कृषि अवसंरचना विकास, बेहतर कृषि तकनीक, प्रौद्योगिकी इनपुट, शोध, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, उच्च गुणवत्ता के कृषि उत्पाद इत्यादि को प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। इससे कृषकों की आय भी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। गड़बड़ी की दशा में सरकार के पास कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार होगा ही। तीसरे कानून को देखें तो खाद्य पदार्थों को सामान्य स्थिति में रेगुलेशन मुक्त करने से यह संशय तो उत्पन्न होता ही है कि इससे कालाबाज़ारी बढ़ सकती है। हालांकि विधेयक कीमतों की एक स्थिति तक पहुंच जाने के बाद रेगुलेशन की बात करता है। सरकार को इस संबंध में और सुरक्षात्मक उपाय करने चाहिए ताकि आम जनमानस की आवश्यक खाद्य पदार्थों तक आसान पहुंच बनी रहे। इस परिवर्तन से यह होगा कि बेहतर भंडारण अवसंरचना विकसित हो सकेगी, जिससे न केवल खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाया जा सकेगा बल्कि दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए इसे जमा भी रखा जा सकता है। एक अन्य नज़रिये से देखें तो अभी तक अर्थव्यवस्था में शेष वस्तुओं की कीमत भी मुक्त बाज़ार द्वारा ही निर्धारित हो रही हैं। ऐसे में इसका 'अतार्किक कीमत' तक पहुंच जाना अस्वाभाविक घटना ही होगी।

संबद्ध क्षेत्रों के विकास पर बल

वर्तमान में कृषि के अलाभदायक होने में एक बड़ा कारक इस पर अत्यधिक भार का होना है। अगर कृषि अर्थव्यवस्था से ही जुड़े संबद्ध क्षेत्रों को लाभदायक बनाने की कोशिश की जाए तो काफी हद तक कृषि से भार कम होगा और प्रच्छन्न बेरोज़गारी की स्थिति दूर होगी। अतः संबद्ध क्षेत्र यानी पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन में नवीन प्रयोगों को शामिल करना होगा। पशुपालन का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि वर्ष 2014–15 से 2018–19 के दौरान इस क्षेत्र ने 8.24 प्रतिशत दर से वृद्धि की। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार कुल कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में पशुपालन का योगदान 2018–19 में लगभग 28.63 प्रतिशत रहा। यही नहीं दूध उत्पादन में भारत पूरी दुनिया में पहले पायदान पर है। वर्ष 2019–20 में दुग्ध उत्पादन बढ़कर 198.4 मिलियन टन हो गया। ये तमाम आंकड़े संबद्ध क्षेत्र के महत्व को दर्शाते हैं। हालांकि इसमें ऐसे अनेक पहलू शामिल हैं जिन पर कार्य करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हम अभी भी इस क्षेत्र में व्याप्त तमाम संभावनाओं का दोहन नहीं कर पा रहे हैं। हमारी उत्पादकता कमज़ोर है। इसके अलावा, लाभदायक पशुपालन में क्षेत्रवार बहुत अंतर है। जहां पंजाब, हरियाणा जैसे क्षेत्रों में यह उन्नत अवस्था में है वहीं बिहार जैसे राज्यों में यह अपेक्षाकृत पिछड़ी अवस्था में है। अतः आवश्यक है कि इस क्षेत्रीय विषमता को दूर किया जाए, ताकि इसमें संलग्न कृषकों की आय बढ़े।

इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों जैसे रेशम पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन तथा मत्स्य पालन आदि के लिए भी उचित अवसंरचना विकसित करने की ज़रूरत है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें थोड़े से निवेश से ही वृहद आय सृजन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह कि ये कृषकों को अतिरिक्त आय प्रदान करेंगे जो कृषकों को उन्नत प्रौद्योगिकी में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस प्रकार यह आय का एक सुचक्र स्थापित कर सकेगा। इसी संदर्भ में इस बात को भी शामिल करना होगा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को अपेक्षित विस्तार दिए बिना कृषि को लाभदायक बनाने का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। वर्तमान में यह उद्योग लगभग 10 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि कर रहा है। अगर कृषि कार्य को बाज़ार की मांग से जोड़ दिया जाता है तो निश्चित ही कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग दोनों को लाभ मिल सकेगा। इससे स्थानीय–स्तर पर रोज़गार के अवसर भी सृजित होंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित स्टार्टअप क्रांतिकारी भूमिका निभा सकते हैं। वस्तुतः, किस क्षेत्र में किस प्रकार के खाद्य उत्पादों की संभावना उर्वर है, अगर किसानों को रियल टाइम में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त हो जाती है तो निश्चित ही वो बाज़ार के अवसर को भुना सकता है। सार रूप में कहें तो कृषि संबद्ध क्षेत्र में नवाचारी प्रयोग क्रांतिकारी बदलाव लाने में सक्षम है।

निर्णायक नीति की आवश्यकता

वस्तुतः कृषि क्षेत्र को लाभदायक बनाने के लिए वर्तमान समय की मांग के अनुकूल नीति निर्माण की ज़रूरत है। आज हम कृषि क्षेत्र में शोध के लिए जीडीपी के अनुपात में एक प्रतिशत से भी कम खर्च कर रहे हैं वहीं चीन, ब्राज़ील और जापान जैसे देश इसमें व्यापक निवेश कर रहे हैं। जब तक उन्नत प्रौद्योगिकी की दिशा में कार्य नहीं किया जाएगा, तब तक कृषि को लाभदायक बनाने के उद्देश्य को नहीं पाया जा सकता है। इसी प्रकार कृषि के अनुकूल बाज़ार अवसंरचना को विकसित करने की आवश्यकता है। इसमें प्राथमिक रूप से अन्न आधिक्य वाले प्रदेश व अन्न अभाव वाले प्रदेश के बीच समन्वय तथा बाज़ार आधारित उत्पादन पर ज़ोर देना होगा। किसानों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से जोड़ना होगा ताकि वो उसके अनुकूल उत्पादन भी कर सकें और मध्यस्थों से अपनी आय बचा सकें। राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (NAM) इसी उद्देश्य को पूरा करता है। इससे किसान अपनी उपज सीधे बाज़ार तक पहुंचा सकेंगे और बिचौलियों की समाप्ति से उन्हें अधिक कीमत मिल सकेगी। वस्तुतः, राष्ट्रीय कृषि बाज़ार एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है जिससे देशभर की करीब एक हज़ार मंडियां जुड़ी हुई हैं और कुछ जुड़ने की प्रक्रिया में है। इस प्रकार देशभर के व्यापारी सीधे स्थानीय किसानों से जुड़कर उत्पादों की खरीद कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त इस ऑनलाइन प्लेटफार्म से 'ग्रामीण खुदरा कृषि बाज़ार (GrAMs)' को जोड़ दिया जाएगा जिससे कृषि विपणन क्षेत्र का विकास होगा और किसानों का उपभोक्ताओं से सीधा जुड़ाव हो जाएगा। साथ ही, निजी निवेश को भी अधिक–से–अधिक प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। बिना निजी निवेश के कृषि कार्य संभव तो है लेकिन इसे लाभदायक नहीं बनाया जा सकता है। अतः यह आवश्यक ही है कि सरकार इस दिशा में निर्मित कानूनों का सही अनुपालन सुनिश्चित करे। अगर एक बेहतर दृष्टिकोण के साथ कृषि क्षेत्र में काम किया जाए तो निश्चित ही इसे लाभदायक बनाया जा सकता है। इस दिशा में बेहतर परिणाम मिलने शुरू भी हो गए हैं। जैसे–जैसे नवाचारी प्रयासों को लागू किया जाता रहेगा, ये परिणाम और बेहतर होते चले जाएंगे।

(लेखक 'दृष्टि' समूह में क्रिएटिव हेड के रूप में कार्यरत हैं। लेख में व्यक्त विचार उनके निजी हैं।)
ई–मेल : sunnyand65@gmail.com

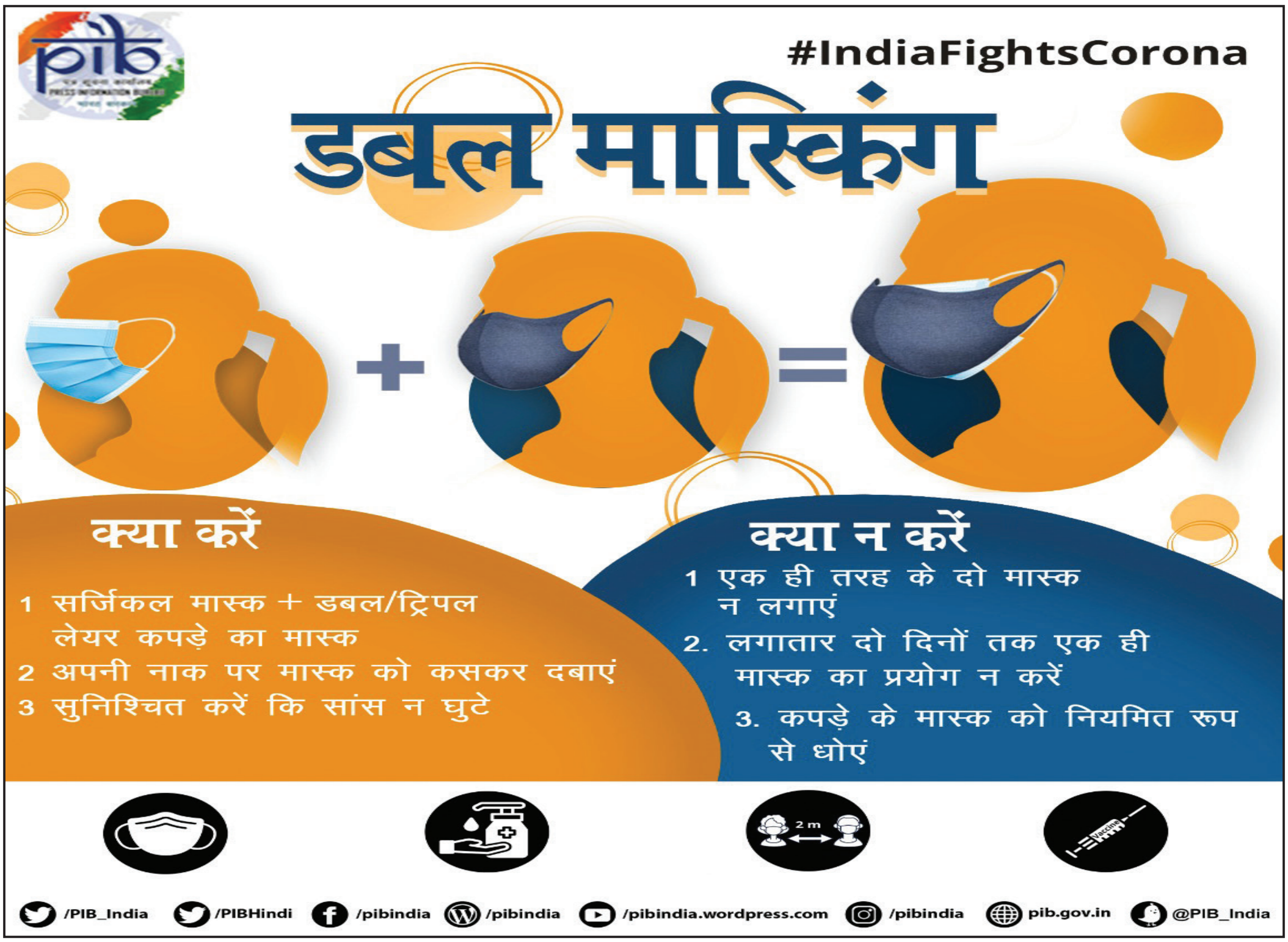

ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा

–सौविक घोष, उषा दास

ग्रामीण उद्यमिता न सिर्फ लोगों की आय बढ़ाने में सहायक है, बल्कि इससे ग्रामीण समुदायों का जीवन–स्तर भी बेहतर होता है और दूरदराज के इलाकों में भी समृद्धि देखने को मिलती है। साथ ही, यह समावेशी विकास के लिए भी गुंजाइश बनाती है। ग्रामीण उद्यमों का वजूद कायम रहे, इसके लिए नीतिगत–स्तर पर असरदार ढंग से पहल करने की ज़रूरत है।

"भारत गांवों का देश है और इसकी आत्मा गांवों में निवास करती है।" महात्मा गांधी का यह कथन अब भी प्रासंगिक बना हुआ है। ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा बेरोज़गारी की समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में रोज़गार की तलाश में लोगों का गांवों से शहरों में पलायन होता है। हालांकि, ग्रामीण इलाकों में उद्यमिता का विकास करके बेरोज़गारी की चुनौती से निपटा जा सकता है। आर्थिक विकास में उद्यम संबंधी गतिविधियों का अहम योगदान होता है और इन गतिविधियों की मदद से ग्रामीण इलाकों में भी आय और रोज़गार के अवसर में बढ़ोत्तरी संभव है। साथ ही, स्थानीय श्रम और कच्चे माल का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो सकेगा।

भारतीय उद्यम का ढांचा अब भी बड़े पैमाने पर पारंपरिक है और इसमें बड़े बदलाव की आवश्यकता है। इसके तहत उन व्यवहारों और गतिविधियों को भी छोड़ना होगा जो सतत विकास के दायरे से बाहर हैं। भारत में ज़्यादातर उद्यमों के लिए सतत विकास का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। सतत विकास को लेकर संयुक्त राष्ट्र के 2030 के एजेंडे की वजह से हमारे उद्यमों को इस हिसाब से तैयारी करनी होगी। अगर हम भारतीय संदर्भ में सतत विकास की बात करें, तो हमें लोगों और परिवारों समेत समग्र संसाधनों की चुनौतियों से निपटना होगा। हालांकि, भारत में ग्रामीण समुदाय अब भी इन संसाधनों की अहमियत को लेकर पूरी तरह जागरूक नहीं है।

उद्यमिता का मतलब किसी उद्यमी की ऐसी गतिविधि/क्रियाकलाप से है जो आमतौर पर थोड़ा जोखिम उठाकर लाभ कमाने के मकसद से किया जाता है। 'आंत्रप्रेन्योर (उद्यमी)' मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ग्रामीण उद्यमिता को वैसी गतिविधियों के तौर पर पारिभाषित किया जा सकता है, जिनके जरिए लोग गांवों में किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हैं, ताकि आर्थिक रूप से लाभ हासिल किया जा सके। इससे ग्रामीण संसाधनों को ज़्यादा उपयोगी बनाया जा सकता है और ग्रामीण आबादी के बड़े हिस्से को काम मुहैया कराया जा सकता है। ग्रामीण उद्यमियों में अलग–अलग तरह के समूह शामिल हैं। इन्हें मोटे तौर पर इन श्रेणियों में बांटा जा सकता हैः कृषि उद्यमी, कारीगर उद्यमी, व्यापार से जुड़े उद्यमी, जनजातीय उद्यमी और सामान्य उद्यमी। ग्रामीण उद्यमिता के तहत उद्यम संबंधी गतिविधियों से जुड़ी ग्रामीण प्रतिभाओं की पहचान की जाती है और ग्रामीण आबादी के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करके गांवों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाता है। देश की आज़ादी के बाद से ग्रामीण उद्यमिता के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कई नीतियां और कार्यक्रम लागू किए हैं। हालांकि, इस दिशा में अब तक उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई है। ग्रामीण इलाकों में उद्यमिता का विकास ज़रूरी है, ताकि सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके।

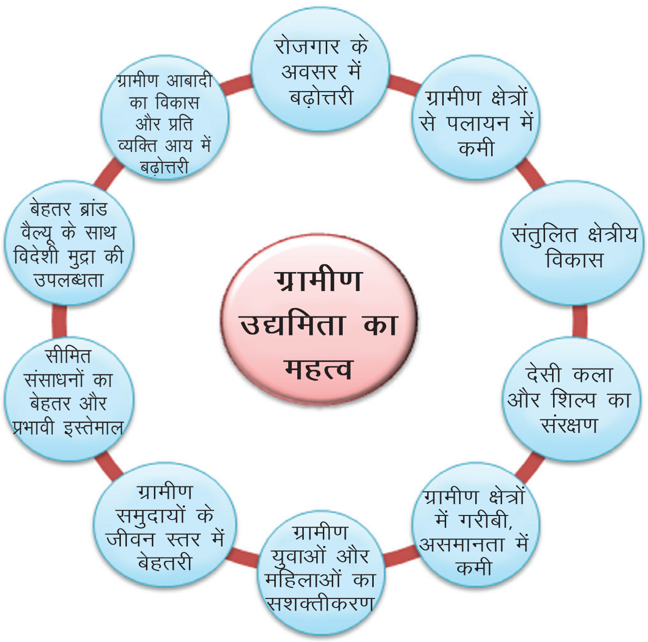

ग्रामीण उद्यमिता क्यों ज़रूरी है?

शहरी क्षेत्रों के विपरीत देश के ग्रामीण इलाकों में बेरोज़गारी की समस्या ज़्यादा गंभीर है। साथ ही, छिपी हुई और मौसमी बेरोज़गारी जैसी चुनौतियां भी हैं। बड़े शहरों में पलायन की वजह से गांव खाली हो जाते हैं और ग्रामीण संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। इसके अलावा, आधारभूत संरचना, बाज़ार और वित्तीय सुविधाओं की कमी से ग्रामीण इलाकों में आजीविका हासिल करने की चुनौती और गंभीर हो जाती है। असंगठित ढांचा और बाज़ार की कमी के कारण गांवों के प्रशिक्षित कारीगरों के लिए आजीविका हासिल करना बड़ी चुनौती है। साथ ही, ग्रामीण इलाके के लोगों की क्रयशक्ति भी कम हो रही है, जबकि शहरों में इसमें बढ़ोत्तरी हो रही है। देश के ग्रामीण इलाकों से जुड़े उत्पादन में पारंपरिक ग्रामीण उद्योगों का योगदान बेहद सीमित है। ज़ाहिर तौर पर, ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिक विकास में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति और नई तकनीक ने अब तक बड़े पैमाने पर बदलावकारी भूमिका नहीं निभाई है। इन वजहों के आधार पर कहा जा सकता है कि ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन और बेरोज़गारी की समस्या से प्राथमिकता के आधार पर निपटा जा सके।

ग्रामीण उद्यमिता मूल रूप से ग्रामीण औद्योगीकरण ही है। इससे स्वरोज़गार के अवसर पैदा करने, स्थानीय श्रम का इस्तेमाल कर औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और स्थानीय तौर पर उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करने में मदद मिलती है। भारत में 1956–57 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की स्थापना के साथ ही ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने की शुरुआत हुई थी। इसका मकसद ग्रामीण इलाकों में रोजगार मुहैया कराना, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीणों के बीच सामुदायिक भावना विकसित करना है। पिछले कुछ समय में ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता से जुड़ी गतिविधियों में बढ़ोत्तरी हुई है। हालांकि, यह मुख्य रूप से विनिर्माण गतिविधियों और छोटे उद्यमों तक सीमित है।

भारत में उद्यमिता की प्रगति

पिछले कुछ दशकों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के मज़बूत और गतिशील क्षेत्र के तौर पर उभरकर सामने आया है। एमएसएमई क्षेत्र न सिर्फ बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर मुहैया कराने में अहम भूमिका निभा रहा है, बल्कि इससे ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में औद्योगीकरण में भी मदद मिल रही है। इससे क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के साथ–साथ राष्ट्रीय आय और संपत्ति का अपेक्षाकृत संतुलित बंटवारा सुनिश्चित होता है। इसके तहत, उद्यमिता को बढ़ावा देकर देश में आर्थिक और सामाजिक विकास हो सकता है। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसकी हिस्सेदारी तकरीबन 29 प्रतिशत है। इसके अलावा, विनिर्माण उत्पादन और निर्यात (2018–19) में एमएसएमई की हिस्सेदारी क्रमशः 45 प्रतिशत और 48 प्रतिशत है और कृषि के बाद यह क्षेत्र सबसे बड़ा रोज़गार प्रदाता (11.10 करोड़) है। वित्तवर्ष 2016–17 के दौरान, कुल सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में एमएसएमई से जुड़े सकल मूल्य वर्धन की हिस्सेदारी 31.8 प्रतिशत रही (पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, एमएसएमई मंत्रालय, 22 जुलाई, 2019 और 1 जून, 2020)। भारत में उद्यमों को उनके सालाना निवेश और कुल बिक्री के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एमएसएमई अधिनियम, 2006 के मुताबिक किए गए वर्गीकरण में पिछले साल निम्न संशोधन किए गए हैं (एमएसएमई अधिसूचना, भारत का राजपत्र, 1 जून, 2020) और 1 जुलाई, 2020 से लागू:

क. सूक्ष्म उद्यम में मशीन/संयंत्र/उपकरण पर निवेश एक करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कुल बिक्री (टर्नओवर) 5 करोड़ रुपये तक हो।

ख. छोटे उद्यम में मशीन/संयंत्र/उपकरण पर निवेश 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कुल बिक्री (टर्नओवर) 10 करोड़ रुपये तक हो।

ग. मध्यम उद्यम में मशीन/संयंत्र/उपकरण पर निवेश 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कुल बिक्री (टर्नओवर) 250 करोड़ रुपये तक हो।

वित्तवर्ष 2014–15 से 2020–21 के दौरान, सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) से जुड़ी कुल बढ़ोत्तरी में क्षेत्रीय योगदान में काफी फैलाव है (एनएसएसओ, 2020)। उद्योग और सेवाएं जैसे क्षेत्रों के लिए ग्रोथ नेगेटिव है, जबकि सिर्फ कृषि एकमात्र क्षेत्र है, जो लगातार पॉज़िटिव ज़ोन में है। हालांकि, दिलचस्प बात यह है कि कम योगदान के बावजूद सेवा क्षेत्र को निवेश मिल रहा है, जबकि कोरोना जैसी महामारी के समय में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कृषि क्षेत्र में अब तक उल्लेखनीय निवेश देखने को नहीं मिला है। उद्योगों की कहानी कमोबेश कृषि जैसी ही है।

73वें राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के मुताबिक, देश में एमएसएमई की तकरीबन 6,33,88,000 इकाइयां हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी इन इकाइयों के जरिए तकरीबन 11.10 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद 3,24,88,000 इकाइयों ने 4,97,78,000 लोगों को रोजगार दिया। ज़्यादा विनिर्माण इकाइयां ग्रामीण इलाकों में मौजूद हैं, जबकि कारोबार और अन्य सेवाएं शहरी क्षेत्रों में हैं। अहम बात यह है कि भारत में रोज़गार मुहैया कराने में बड़े उद्योगों के मुकाबले एमएसएमई इकाइयों की ज़्यादा अहम भूमिका है। गतिविधियों के हिसाब से देखा जाए, तो बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर मुहैया कराने वाली ग्रामीण क्षेत्रों की एमएसएमई इकाइयों में 35 प्रतिशत व्यापार क्षेत्र से, 33 प्रतिशत अन्य सेवा क्षेत्र से और 32 प्रतिशत विनिर्माण क्षेत्र से हैं। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में 51 प्रतिशत एमएसएमई हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों का यह आंकड़ा 49 प्रतिशत है यानी ग्रामीण इलाकों में ही ज्यादा एमएसएमई हैं। हालांकि, रोज़गार मुहैया कराने के मामले में स्थिति इसके उलट है। इससे पता चलता है कि ग्रामीण इलाकों में उद्यम संबंधी अवसर ज़्यादा होने के बावजूद, इसकी संभावनाओं को पूरा–पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया है। एमएसएमई के मामले में राज्यवार योगदान के विश्लेषण के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में उद्यमों की संख्या सबसे ज़्यादा (14.20 प्रतिशत) है। इसके बाद, पश्चिम बंगाल का स्थान है, जहां देशभर की कुल 13.99 प्रतिशत एमएसएमई इकाइयां हैं। हालांकि, समावेशी ग्रामीण विकास के मकसद से पश्चिम बंगाल में ग्रामीण उद्यमिता के विकल्प पर काफी काम किया गया है। ऐसे सबसे ज़्यादा ग्रामीण उद्यम पश्चिम बंगाल (17.44 प्रतिशत) में हैं। इसके बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश ((14.93 प्रतिशत), बिहार (7.39 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (5.99 प्रतिशत), महाराष्ट्र (5.94 प्रतिशत) और कर्नाटक (5.42 प्रतिशत) का स्थान है।

एमएसएमई को बढ़ावा देने वाली वैधानिक संस्थाएं

एमएसएमई के तहत कई वैधानिक संस्थाओं को शामिल किया गया है, जो ग्रामीण परिवारों के लिए सतत रोज़गार से जुड़े अवसर मुहैया कराने की दिशा में काम करती हैं। ऐसी कुछ इकाइयों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), तकनीकी केंद्र, कॉयर बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) लिमिटेड, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमजीआईआरआई), राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान शामिल हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के ज़रिए हर गांव में परिवारों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं जिन्हें 6 श्रेणियों में बांटा जा सकता है–कृषि आधारित खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग (एबीएफपीआई), खनिज आधारित उद्योग, स्वास्थ्य और सौंदर्य प्रसाधन उद्योग (डब्ल्यूसीआई), हाथ से बनने वाला कागज, चमड़ा और प्लास्टिक उद्योग, ग्रामीण इंजीनियरिंग और नई तकनीक से जुड़ा उद्योग और सेवा उद्योग। साथ ही, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने समावेशी ग्रामीण विकास के लिए कई तरह की पहल की हैं। इनमें प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), संशोधित बाज़ार विकास सहायता (एमएमडीए) योजना, खादी से जुड़े कारीगरों के लिए खास योजना, आम आदमी बीमा योजना का प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में समायोजन, सौर चरखा मिशन, कुम्हार सशक्तीकरण योजना, पारंपरिक उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए फंड (स्फूर्ति), हनी मिशन आदि शामिल हैं। खेती पर आधारित बेरोज़गार युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण मुहैया कराने में तकनीकी केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे कुल 18 केंद्रों की स्थापना की गई है। रोज़गार सृजन, विकास आदि में इन केंद्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कोरोना महामारी के दौरान इन केंद्रों की अहम भूमिका से भी इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दरअसल, जब ज़्यादातर लोगों की नौकरियां छूट रही थीं और लोग वापस अपने घरों को लौट रहे थे, तब एमएसएमई से जुड़े ये तकनीकी केंद्र कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न उत्पादों, जैसे कोरोना टेस्टिंग किट, फेस मास्क, बचाव के लिए चश्मे, सैनिटाइज़र बोतल पंप, पीपीई किट, अस्पताल से जुड़े फर्नीचर, ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र मशीन की डिज़ाइनिंग से लेकर विनिर्माण के क्षेत्र में रोज़गार मुहैया करा रहे थे। यह सिलसिला अब भी जारी है। ऐसे मौजूदा 18 तकनीक केंद्रों के अलावा, 15 और केंद्र व 100 एक्सटेंशन केंद्र तैयार किए गए गए हैं। ग्रामीण उद्यम सिर्फ खादी और ग्रामोद्योग आयोग और तकनीक केंद्रों से जुड़े क्षमता निर्माण तक सीमित नहीं हैं। ये कॉयर बोर्ड और लघु उद्योगों से भी जुड़े हुए हैं। ऐसी तमाम गतिविधियां टिकाऊ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ग्रामीण औद्योगीकरण की रफ्तार तेज़ करने में मददगार हैं और ग्रामीण उद्यमिता के लिए अवसर भी उपलब्ध कराती हैं।

चित्र–2 : ग्रामीण उद्यमिता अवसरों से जुड़े क्षेत्र

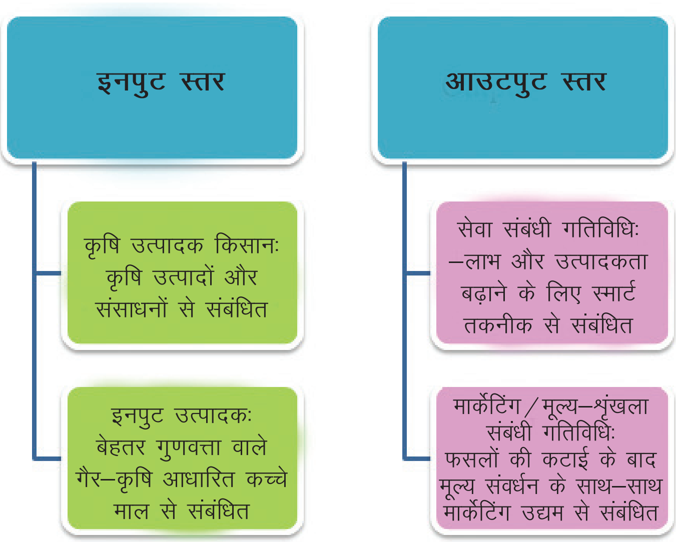

ग्रामीण उद्यमिता में चुनौतियां और अवसर

एक ग्रामीण उद्यमी के लिए कई तरह के जोखिम होते हैं, जैसे कि तकनीक संबंधी जोखिम (तकनीक प्रणाली, तकनीक और सामग्री आदि से संबंधित), आर्थिक जोखिम (बाज़ार संबंधी जोखिम, कीमतों

में उतार–चढ़ाव), आर्थिक जोखिम (बाज़ार जोखिम, कीमतों में उतार–चढ़ाव आदि से संबंधित) और सामाजिक जोखिम (पर्यावरण, संस्कृति और मान्यताओं से संबंधित)। ग्रामीण उद्यमिता की राह में कई तरह की चुनौतियां हैं, मसलन वित्तीय चुनौतियां, सामाजिक चुनौतियां, शिक्षा का अभाव, अनुभव की कमी और विशेषज्ञता, सीमित क्रयशक्ति, शहरी उद्यमियों से खतरा, अपारदर्शी बाज़ारों की गतिविधियां, तकनीकी चुनौतियां, बिचौलियों की मौजूदगी, आधारभूत संरचना और लॉजिस्टिक सुविधाओं की कमी, जोखिम से जुड़े पहलू, कच्चे माल की कमी, सुरक्षा की कमी आदि।

हालांकि, उपरोक्त चुनौतियों के अलावा, ग्रामीण उद्यमियों के लिए कुछ अवसर भी हैं:

- उद्योग शुरू करने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता
- कच्चे माल की उपलब्धता
- प्रतिस्पर्धात्मक लाभ
- शहरी उद्यमों की तुलना में उत्पादन की कम लागत
- उत्पादों का अधिकतम उपयोग
- सरकारी नीतियों और सब्सिडी की मदद
- रोज़गार सृजन के ज़रिए स्थानीय लोगों को समर्थन और प्रेरणा
- प्रचार–प्रसार के लिए कम खर्च
- उत्पादों के लिए ग्राहक की उपलब्धता
- ग्रामीण ढांचे में विदेशी उद्यम की बजाय ग्रामीण उद्यमों के लिए अपनी जगह बनाना ज़्यादा आसान
- ग्रामीण उद्यमिता से जुड़े अवसरों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है (चित्र–2)।

इस दिशा में नियमित तौर पर बेहतरी की कोशिश जारी रहने पर ग्रामीण परिवारों और लोगों को लाभ मिलता है। साथ ही, खेती से होने वाली कुल आय इन वजहों से टिकाऊ बन पाती है–

क. लाभ (कीमत के बेहतर स्तर, लागत में बचत आदि की वजह से मिलने वाले बेहतर मार्जिन के आधार पर)

ख. नकदी के प्रवाह की गतिशीलता (बाज़ार में ग्रामीण उद्यमियों की बेहतर हिस्सेदारी के कारण आय में होने वाली बढ़ोत्तरी के आधार पर)

ग. वैल्यूएशन मल्टीपल (बहुमूल्यांकन) (किसी कारोबार में शामिल जोखिम और नकद पूंजी के लिहाज से)

ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए पहल

सरकार ने ग्रामीण उद्योगों की स्थापना और इन्हें बढ़ावा देने, कर्ज़ और वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने, कौशल विकास के प्रशिक्षण, तकनीक को बेहतर बनाने, आधारभूत संरचना के विकास और मार्केटिंग संबंधी सहायता के लिए कई योजनाओं को लागू किया है। पुरानी योजनाओं के अलावा, सरकार ने ग्रामीण उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए कई नई योजनाओं की भी शुरुआत की है। एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की कुछ योजनाएं इस तरह हैं:

1. ग्रामीण उद्यमों को कर्ज़ और वित्तीय सहायता के लिए योजना

क. प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)
ख. कर्ज़ पर दी जाने वाली सब्सिडी (सीएलसीएसएस)
ग. एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटीएमएसई)
घ. एमएसएमई से जुड़े कर्ज़ के लिए ब्याज पर सब्सिडी योजना

2. कौशल विकास और प्रशिक्षण से जुड़ी योजनाएं

क. नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता (एसपीआईआरआई) को बढ़ावा देने से जुड़ी योजना
ख. उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)
ग. ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीआई)

3. आधारभूत संरचना के विकास से जुड़ी योजना

क. पारंपरिक उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए फंड योजना (स्फूर्ति)
ख. सूक्ष्म और लघु उद्यमों से जुड़ी योजना–क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई–सीडीपी)

4. मार्केटिंग संबंधी सहायता के लिए योजना

- एमपीडीए के तहत खादी संस्थानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए योजना

5. तकनीकी बेहतरी और प्रतिस्पर्धा के लिए योजना

- जेडईडी प्रमाणपत्र वाली एमएसएमई इकाइयों को वित्तीय सहायता

6. देशभर की एमएसएमई इकाइयों के लिए अन्य योजनाएं

क. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब
ख. उत्तर–पूर्व क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई को बढ़ावा देने से जुड़ी योजना
ग. एमएसएमई के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) को लेकर जागरूकता बढ़ाना।

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत छोटे और लघु उद्यमों में 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18 और 2018–19 के दौरान क्रमशः 3.58 लाख, 3.23 लाख, 4.08 लाख, 3.87 लाख और 5.87 लाख रोज़गार सृजित हुए। भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की शुरुआत की गई है, ताकि सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र के लिए आसानी से कर्ज़ उपलब्ध कराया जा सके (पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, एमएसएमई मंत्रालय, 22 जुलाई, 2019)।

उद्योगों के समेकित विकास के लिए कुल 18 टूल रूम स्थापित किए गए हैं। इसके तहत उद्योगों को बेहतर टूल मुहैया कराए गए हैं। वित्तवर्ष 2017–18 और 2018–19 के दौरान क्रमशः 1.47 लाख और 2.08 लाख लोगों को टूल और उन्नत तकनीक आदि का प्रशिक्षण दिया गया, जिससे उन्हें स्वरोज़गार हासिल करने में मदद मिली। सरकार मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं को लागू कर रही है जिसका मकसद रोज़गार में बढ़ोत्तरी करना है। स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप

और मुद्रा योजनाओं की भी शुरुआत की जा गई है।

एमएसएमई मंत्रालय के तहत काम करने वाले संगठन नौकरी और स्वरोज़गार के लिए कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण मुहैया करा रहे हैं। कौशल विकास के तहत, मौजूदा उद्यमियों और कार्यबल को भी उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि उनका प्रदर्शन बेहतर हो सके। वित्त वर्ष 2020–21 में कुल 1,27,380 लोगों को प्रशिक्षित किया गया (एमएसएमई मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट 2020–21)।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई घोषणाओं में एमएसएमई को लेकर भी काफी घोषणाएं की गई हैं। इस पैकेज के तहत, एमएसएमई क्षेत्र को न सिर्फ बड़े पैमाने पर आवंटन मिला है, बल्कि अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के मकसद से किए जाने वाले उपायों में भी इस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। एमएसएमई मंत्रालय ने 'चैंपियंस' नामक पोर्टल शुरू किया है। यह पोर्टल न सिर्फ मौजूदा एमएमएसई इकाइयों की मदद कर रहा है, बल्कि नए कारोबार के अवसर हासिल करने के लिए दिशा–निर्देश भी मुहैया करा रहा है (पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, 1 जून, 2020)

उद्यमिता के ज़रिए ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण

ग्रामीण उद्यमिता के ज़रिए ग्रामीण महिलाओं को नए आर्थिक अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। साथ ही, अर्थव्यवस्था के विकास में इसकी अहम भूमिका हो सकती है। उद्यमी के तौर पर काम कर रहीं महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक बेहतरी और गरीबी कम करने में योगदान कर सकती हैं। साथ ही, वे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास से जुड़े पांचवें लक्ष्य को हासिल करने में भी भूमिका निभा सकती हैं, जिसके तहत महिलाओं के सशक्तीकरण की बात है।

ग्रामीण महिलाएं उद्यम से जुड़े ऐसे क्षेत्र में काम करती हैं, जहां जोखिम कम होता है और संगठन संबंधी कौशल की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, मसलन डेयरी उत्पादों, अचार, फल जूस, पापड़, गुड़ आदि तैयार करना। हालांकि, एमएसएमई क्षेत्र में महिला उद्यमियों की संख्या कम है। इस क्षेत्र में महिलाओं का हिस्सा कुल पंजीकृत उद्यमों का तकरीबन 14 प्रतिशत है। इसके तहत 57,452 इकाइयों में कुल 18,848 महिला उद्यमी हैं। महिलाओं के नाम पर पंजीकृत सबसे ज़्यादा उद्यम तमिलनाडु (9,618) में हैं। इसके बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश (7,980), केरल (5,487), पंजाब (4,791), महाराष्ट्र (4,339), गुजरात (3,872), कर्नाटक (3,822) और मध्य प्रदेश (2,967) का स्थान है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमियों की संख्या कम होने की कई वजहें हैं, जैसे कि घर और कारोबार की दोहरी ज़िम्मेदारी की चुनौती, संसाधनों पर मालिकाना हक का अभाव, ज्ञान, कौशल और उद्यमिता संबंधी प्रेरणा की कमी, शिक्षा का अभाव, जोखिम लेने की क्षमता और परिवारिक सहयोग की कमी, सामाजिक–सांस्कृतिक बंदिशें, वित्तीय सहायता मिलने में दिक्कत, वित्तीय स्वतंत्रता का अभाव, आधारभूत संरचना की गड़बड़ी, मार्केटिंग संबंधी क्षमता का अभाव आदि।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने क्षमता निर्माण संबंधी कई पहल की हैं। इसके तहत कई योजनाओं व अभियानों को लागू किया गया है, जिनमें महिला प्रशिक्षण और रोज़गार कार्यक्रम सहयोग योज़ना, महिला ई–हाट, व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता और विकास योजना, स्टैंडअप इंडिया आदि शामिल हैं।

महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए कई तरह के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, मसलन भारत सरकार की राष्ट्रीय महिला कोष योजना, आईडीबीआई की महिला उद्यमी योजना, एसबीआई स्त्री शक्ति पैकेज, बैंक ऑफ इंडिया की प्रियदर्शिनी योजना। नीति आयोग ने 8 मार्च, 2018 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला उद्यमिता मंच की स्थापना की। इसका मकसद महिलाओं को उनकी उद्यमिता संबंधी आकांक्षाओं के बारे में बेहतर ढंग से बताना, नई योजनाओं को पेश करना और दीर्घकालिक कारोबारी रणनीति तैयार करना है। इसके तहत, तीन स्तंभों के ज़रिए महिला उद्यमियों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने का लक्ष्य है– इच्छा शक्ति (इच्छुक उद्यमियों को अपना उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना), ज्ञान शक्ति (महिला उद्यमियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए जानकारी और अन्य सहायता उपलब्ध कराना) और कर्म शक्ति (उद्यमियों को अपना उद्यम/व्यापार स्थापित करने और बढ़ाने के लिए मदद देना)।

सतत ग्रामीण समृद्धि का लक्ष्य

ग्रामीण उद्यमिता के ज़रिए ग्रामीण इलाकों में सामाजिक–आर्थिक बदलाव का मार्ग प्रशस्त होता है। यहां यह भी बताना ज़रूरी है कि ग्रामीण उद्यमिता को अलग–थलग तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इस पर पूरे ग्रामीण समुदाय को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक नज़रिए से विचार किया जाना चाहिए। ग्रामीण उद्यमिता न सिर्फ लोगों की आय बढ़ाने में सहायक है, बल्कि इससे ग्रामीण समुदायों का जीवन–स्तर भी बेहतर होता है और दूरदराज के इलाकों में भी समृद्धि देखने को मिलती है। साथ ही, यह समावेशी विकास के लिए भी गुंजाइश बनाती है। ग्रामीण उद्यमों का वजूद कायम रहे, इसके लिए नीतिगत स्तर पर असरदार ढंग से पहल करने की ज़रूरत है। इसके तहत, गांव के लोगों के लिए उद्यमिता संबंधी माहौल तैयार करना, बाज़ार के साधनों को बढ़ावा देना, ब्रांड को अहम बनाने के लिए प्रयास करना आदि शामिल हैं।

संक्षेप में, ग्रामीण इलाकों में उद्यमिता की रफ्तार तेज़ होने से गांवों के विकास से जुड़ी कई बाधाएं दूर हो सकेंगी। इससे गरीबी उन्मूलन, रोज़गार बढ़ाने, प्रति व्यक्ति आय का स्तर बढ़ाने और गांवों में आजीविका का विकल्प तैयार करने में मदद मिलेगी। ग्रामीण उद्यमिता के ज़रिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी बदलावों से समावेशी और सतत ग्रामीण विकास सुनिश्चित हो सकेगा।

(सौविक घोष कृषि संस्थान, विश्व भारतीय विश्वविद्यालय, श्रीनिकेतन, बीरभूम, प. बंगाल में प्रोफेसर हैं। ई–मेल : souvik.ghosh@visva-bharati.ac.in उषा दास डॉक्टोरेट स्कॉलर, जी.बी. पंत कृषि और तकनीक विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखंड हैं। ई–मेल : usha24.das@gmail.com)

ग्रामीण भारत में समावेशी विकास

–आरुषि अग्रवाल

ग्रामीण भारत में स्वशासन और संकल्प के ज़रिए मज़बूत आधारभूत संरचना तैयार करने में मदद मिली है। शहरी और ग्रामीण भारत के बीच की खाई को पाटने के लिए भारत की आधारभूत संरचना का विकास ज़रूरी है। इससे लोगों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ–साथ आर्थिक बेहतरी के अवसर भी मिल सकेंगे। दूरदराज और पिछड़े इलाकों को सड़कों से जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) गांवों और शहरों के बीच की दूरी को पाटने की दिशा में ठोस प्रयास है।

'सबका साथ सबका विकास अभियान' में समावेशी विकास, समृद्धि और सभी के लिए एक समान अवसर जैसे लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक शामिल किया गया है। यह भारत सरकार की नीतियों का प्रमुख आधार है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस से भारत में आर्थिक गतिविधियों के बदल रहे केंद्र के बारे में पता चलता है। दरअसल, टीयर–2 और टीयर–3 और अन्य छोटे शहर भी अब नवाचार और कारोबार के मामले में सफलता के प्रतिमान गढ़ रहे हैं। साथ ही, इस बदलते हुए परिदृश्य से ग्रामीण भारत को जोड़ने से विकास का आत्मनिर्भर और समावेशी मॉडल तैयार हो सकेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के इस दिशा में ठोस प्रयासों के चलते कई योजनाओं के क्रियान्वयन में तेज़ी आई है जिसमें भारतीय गांवों के विकास की ज़रूरतों को प्राथमिकता में रखा गया है।

शहरी और ग्रामीण भारत के बीच की खाई को पाटने के लिए भारत की आधारभूत संरचना का विकास ज़रूरी है। इससे लोगों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ–साथ आर्थिक बेहतरी के अवसर भी मिल सकेंगे। दूरदराज और पिछड़े इलाकों को सड़कों से जोड़ने वाली, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) गांवों और शहरों के बीच की दूरी को पाटने की दिशा में ठोस प्रयास है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत फिलहाल 6,63,972 किलोमीटर की कुल 1,62,640 सड़कों का निर्माण हो चुका है। गांवों को शहरों से जोड़ने की सुविधा बेहतर होने से कृषि से होने वाली आय में भी बढ़ोत्तरी होती है। इससे गांवों के लोगों के लिए बाज़ार की पहुंच ज़्यादा आसान होती है और रोज़गार के अवसर और सामाजिक सेवाओं के अवसर भी मिलते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत और स्वतंत्र बनाने यानी ग्राम स्वराज में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बेहद अहम भूमिका है, जिसका सपना गांधीजी ने एक शताब्दी पहले देखा था। सांसद आदर्श ग्राम योजना भी

महात्मा के सपने को पूरा करने को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका मकसद राष्ट्रीय स्वाभिमान, देशभक्ति, सामुदायिक भावना, आत्मविश्वास और आधारभूत संरचना को आगे बढ़ाना है। इसके जरिए देशभर के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

बेघर लोगों के लिए 'घर' बनाने का लक्ष्य मज़बूत ग्रामीण आधारभूत संरचना का अहम हिस्सा है। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत काम किया जा रहा है। सरकार ने साल 2022 तक 'सभी के लिए घर' उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत बेघर और कच्चे और जर्जर मकान में रहने वाले तमाम लोगों को बुनियादी सुविधाओं से लैस पक्का घर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के ज़रिए मैदानी इलाकों में 1.20 लाख रुपये (पहले यह राशि 70,000 रुपये थी) मुहैया कराए जाते हैं, जबकि पहाड़ी राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और एकीकृत कार्ययोजना वाले ज़िलों में यह राशि 75,000 रुपये से 1.30 लाख रुपये के बीच है। आवास

योजना देश के ग्रामीण इलाको में गरीबी हटाने को लेकर किए जा रहे समेकित प्रयासों का हिस्सा है, जो व्यापक आर्थिक उत्पादन, बेहतर शिक्षा और रोज़गार के बेहतर अवसरों का रोडमैप तैयार कर सकती है।

इसी तरह, डिजिटल इंडिया का लक्ष्य भी डिजिटलीकरण के फायदों को आम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना है। यह न सिर्फ करोड़ों भारतीयों को जानकारी और मनोरंजन के लिए इंटरनेट की दुनिया से रूबरू कराने का अवसर देता है, बल्कि तमाम लोगों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच को भी आसान बनाता है। इसकी मदद से ग्रामीण भारत को भी डिजिटल बैंकिंग के दायरे में लाना मुमकिन हुआ है। जनवरी 2021 के मुताबिक, भारत में 53 करोड़ से भी ज्यादा टेलीफोन उपभोक्ता हैं। इसमें ग्रामीण उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी 45 प्रतिशत से भी ज़्यादा है। ग्रामीण भारत में डिजिटल क्रांति ने सामाजिक और आर्थिक क्रांति के दरवाज़े खोल दिए हैं, जहां उपयोगकर्ताओं के पास कारोबारी अवसरों, रोज़गार, सेवाओं और नए आइडिया की बेहतर उपलब्धता है।

डिजिटल इंडिया ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) को मज़बूती प्रदान की है। इस योजना का मकसद राष्ट्रीय–स्तर पर वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हासिल करना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। इसके तहत हर घर में कम से कम एक बैंक खाता उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। साथ ही, वित्तीय साक्षरता, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराने की बात है। साल 2018 में 'हर परिवार के लिए बैंक खाता' का लक्ष्य बदल कर 'हर बालिग व्यक्ति के लिए बैंक खाता' कर दिया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना तेज़ी से बदल रहे देश के वित्तीय कैनवास में असरदार भूमिका निभा रही है। अब तक इससे जुड़े कुल 42.31 करोड़ लाभार्थी हैं और इन खातों में कुल 143,297.84 करोड़ राशि जमा है। ऐसे कुल खातों में 7.59 करोड़ खाते क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में हैं और इन खातों में कुल जमा राशि 27322.77 करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के भुगतान का एकीकृत प्लेटफॉर्म है। इसके तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई) और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) शामिल हैं।

ग्रामीण भारत को वित्तीय रूप से मज़बूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2020 में एक और अहम ऐलान किया। अप्रैल 2020 में पंचायत दिवस के मौके पर उन्होंने स्वामित्व योजना की शुरुआत की। केंद्र सरकार की इस योजना का मकसद ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत प्रॉपर्टी वैलिडेशन समाधान पेश करना है, जिसके तहत गांवों में घरों के मालिक अपनी प्रॉपर्टी के बदले बैंक से कर्ज़ या अन्य वित्तीय लाभ हासिल कर पाएंगे। इस बजट में योजना के लिए आवंटन को 79.65 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

केंद्रीय बजट 2021–22 में पंचायती राज मंत्रालय के लिए 913. 43 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें पिछले साल के मुकाबले 32 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। पंचायती राज मंत्रालय का काम पंचायती राज संस्थानों का सशक्तीकरण कर उन्हें जवाबदेह बनाना है, ताकि सामाजिक न्याय के साथ समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जा सके और ग्रामीण भारत को बेहतर सेवाएं उपलब्ध हो सके। केंद्र सरकार ने 2018 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की शुरुआत की, जिसका मकसद पंचायती राज या सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना है। इस अभियान में मुख्य फोकस अंत्योदय योजना के साथ एकीकरण और 117 संभावनाशील ज़िलों में पंचायती राज संस्थानों को मज़बूत करने पर है। इससे साफ है कि ग्रामीण इलाकों में सतत विकास के लिए स्वशासन बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा, ग्रामीण भारत में स्वशासन और संकल्प के ज़रिए ग्रामीण इलाकों में मज़बूत आधारभूत संरचना तैयार करने में मदद मिली है। इससे जुड़ा सबसे हालिया उदाहरण कोरोना महामारी के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) का इस्तेमाल कर ग्रामीण परिवार तक सरकारी फायदा पहुंचाना है, जिससे देशभर में होने वाले लॉकडाउन से उपजी मुश्किलों के दौर में लोगों को इस योजना का फायदा मिल सका। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020–21 में इस योजना के ज़रिए 77,849.11 करोड़ रुपये का भुगतान किया। मनरेगा योजना के तहत 740 ज़िलों की 2,68,983 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। इसके ज़रिए देश के हर हिस्से में रोज़गार का साधन सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। आने वाले महीनों में अर्थव्यवस्था के धीरे–धीरे खुलने के साथ ही मनरेगा योजना एक बार फिर से एक जैसे अवसर प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगी।

इसी तरह, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू–जीकेयू) का मकसद भी ग्रामीण इलाकों में रोज़गार के अवसर पैदा करना है। हालांकि, इसमें विशेष ध्यान ग्रामीण इलाकों में मौजूद 15 से 35 साल की युवा आबादी (तकरीबन 18 करोड़) पर है। डीडीयू–जीकेयू योजना का मकसद ग्रामीण परिवारों में अलग–अलग तरीके से आय के साधन पैदा करना और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना है। स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया के साथ–साथ रोज़गार से जुड़ी यह योजना भी ऐसी नई पीढ़ी तैयार कर रही है जो देश के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में आर्थिक और सामाजिक विकास की कमान संभालेंगे। केंद्र सरकार की इन योजनाओं का मकसद ग्रामीण इलाकों को फायदा पहुंचाना और वहां स्थिति बदलना है। इस तरह, इन क्षेत्रों में सतत विकास के लिए गुंजाइश बन सकेगी। दरअसल, ये योजनाएं ग्रामीण भारत की संभावनाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का जरिया हैं, जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था।

(लेखिका इन्वेस्ट इंडिया की स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट रिसर्च यूनिट में रिसर्चर हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

समावेशी, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

–राशि शर्मा

शिक्षा का उद्देश्य केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं या शैक्षिक उत्कृष्टता तक ही सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक क्षमताओं और प्रवृत्तियों को सुनिश्चित करने के लिए भी है। शिक्षा से अपेक्षा की जाती है वह लोगों को 21 वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करे इसलिए इसे अनुभवात्मक, समग्र, एकीकृत, अन्वेषण–संचालित, आविष्कार–उन्मुख, शिक्षार्थी–केंद्रित, चर्चा–आधारित, लचीला और साथ ही आनंददायक होना चाहिए।

स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की ओर अग्रसर भारत संस्कृति, धर्म, भाषा में विविधता के बावजूद भावनात्मक एकजुटता वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है, जो इसकी यशस्वी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। राष्ट्र की युवा आबादी के सपने और आकांक्षाएं प्रचुर हैं और शिक्षा व्यक्तियों और समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच, जिसके मूल में समानता और समावेशिता है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि समाज यहां जाति, धर्म और भाषा से विभाजित है। जाति व्यवस्था ने समाज में विभिन्न स्तरों को उत्पन्न किया है जहां कोई व्यक्ति एक प्रमुख जाति में अपने जन्म के आधार पर दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है। परिणामस्वरूप जनसंख्या का एक बड़ा भाग सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूह में चला गया। संविधान निर्माताओं ने इस जटिल प्रणाली और समाज पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को महसूस किया और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए 'आरक्षण' के रूप में प्रावधानों को शामिल किया। हालांकि, यह इस समस्या का समग्र समाधान नहीं हो सकता है और इसलिए शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यदि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने में सक्षम होते हैं तो यह एक बेहतरीन समकारी सिद्ध हो सकती है।

रोज़गार के अवसर पैदा करने और सभी के लिए समान अवसर प्रदान करने में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को, चाहे वे कहीं भी रहते हों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली प्रदान करना अनिवार्य है खासतौर पर ऐतिहासिक रूप से हाशिए में पड़े, वंचित और अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों के विद्यार्थियों को। इसके अलावा, दिव्यांग बच्चों को आरंभिक स्तर से उच्च शिक्षा तक नियमित पढ़ाई–लिखाई प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाना चाहिए। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को 'शिक्षा की प्रणाली' के रूप में परिभाषित करता है जिसमें दिव्यांग

या अन्य विद्यार्थी साथ–साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं और शिक्षण और सीखने की प्रणाली को विभिन्न प्रकार के दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है। शिक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे समूहों के सभी विद्यार्थियों को जन्मजात बाधाओं के बावजूद शैक्षिक प्रणाली में शामिल होने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विभिन्न लक्षित अवसर मिलें। सतत विकास लक्ष्य 4 (एसडीजी 4) का मकसद भी 2030 तक "समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना" है।

स्वातंत्र्योत्तर काल

स्वतंत्रता के बाद शिक्षा को न्यायसंगत और निष्पक्ष समाज की स्थापना के महत्वपूर्ण साधन के रूप में मान्यता मिली। स्वतंत्रता के बाद हमारी शिक्षा प्रणाली का अभूतपूर्व विकास हुआ। हमारी साक्षरता दर जो 1951 में 18 प्रतिशत थी, 2011 में 73 प्रतिशत हो गई। वर्तमान में भारत में स्कूल शिक्षा प्रणाली दुनिया में सबसे बड़ी है जिसमें लगभग 15 लाख स्कूल, 94 लाख शिक्षक और 25 करोड़ विद्यार्थी शामिल हैं।

पूर्ववर्ती नीतियां और आयोग

स्वतंत्रता के बाद अनेक आयोगों का गठन हुआ जिन्होंने शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों की सिफारिश करने के लिए सर्वेक्षण, अध्ययन और निरीक्षण किए। विश्वविद्यालयी शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा 1948 में डा.एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ। 1952 में डा.ए. लक्ष्मणस्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ। आयोग ने शिक्षा के द्वितीय चरण को हमारी शिक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में समझा क्योंकि यह व्यक्ति को व्यवसाय के साथ–साथ उच्च शिक्षा के लिए भी तैयार करती है। इसके बाद डा. दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में 14 जुलाई, 1964 को सर्वाधिक प्रचलित कोठारी शिक्षा आयोग का गठन किया गया। शिक्षा आयोग (1964–1966) की रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 1968 में शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति की घोषणा की, जिसने "अति सुधारवादी पुनर्गठन" और शैक्षिक अवसरों की समानता का आह्वान किया ताकि राष्ट्रीय एकता और वृहद् सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास हासिल किया जा सके। इसने देश के सभी हिस्सों में व्यापक रूप से समान शैक्षिक संरचना को अपनाने को बढ़ावा दिया यानी 10 + 2 + 3 पैटर्न।

इसके बाद शिक्षा पर दूसरी राष्ट्रीय नीति (एनपीई) को मई 1986 में संसद द्वारा मंजूरी दी गई। इस नई नीति में "असमानताओं को दूर करने और समान शैक्षिक अवसर पर विशेष ज़ोर देने" का आह्वान किया गया। एनपीई (1986) ने शिक्षा की योजना और प्रबंधन में संपूर्ण सुधार की सिफारिश की। एनपीई की समीक्षा करने और उसमें संशोधनों की सिफारिशों के लिए मई 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की गई। राष्ट्रीय–स्तर पर श्री एन. जनार्धन रेड्डी की अध्यक्षता में जुलाई 1991 में एक (सीएबीई) केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य एनपीई में संशोधनों पर विचार करना यानी शैक्षिक विकास की समीक्षा करना, व्यवस्था को सुधारने के लिए आवश्यक परिवर्तनों का निर्धारण करना और कार्यान्वयन की निगरानी करना था। इस समिति ने जनवरी 1992 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे शिक्षा कार्ययोजना के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों (1968 और 1986 जो 1992 में संशोधित हुई) की श्रृंखला में तीसरी है और 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय अस्मिता पर आधारित शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके भारत को न्यायसंगत और जीवंत ज्ञान समाज में बदलने में सीधे योगदान देता है और इस तरह भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनने के मार्ग पर अग्रसर कर रहा है।**

कार्यक्रम/योजनाएं

नीतियों के अलावा लक्षित लाभों को प्रदान करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की परिकल्पना को लागू करने के लिए कई कार्यक्रम/योजनाएं जारी थी। 1980 और 1990 के दशक में कई योजनाबद्ध कार्यक्रमों द्वारा इन प्रयासों में तेज़ी लाई गई जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड (ओबीबी), शिक्षाकर्मी परियोजना (एसकेपी), आंध्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परियोजना (एपीपीइपी), बिहार शिक्षा परियोजना (बीइपी), उ.प्र. बेसिक शिक्षा परियोजना (यूपीबीईपी), महिला समाख्या कार्यक्रम (एमएस), लोक जुंबिश प्रोजेक्ट (एलजेपी), ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीइपी) और देशभर में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा (यूईई) के लिए राज्य सरकारों के साथ भागीदारी में केंद्र प्रायोजित प्रमुख योजना– सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)।

2009 में शुरू की गई राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना (आरएमएसए) ने माध्यमिक शिक्षा प्रणाली के प्रति सरकार की महत्वाकांक्षा प्रकट की जो भारत के विकास और प्रगति में सहायक हो सकती है। वर्ष 2013–14 में माध्यमिक शिक्षा के लिए चार अन्य केंद्र–प्रायोजित योजनाएं जैसे कि स्कूलों में आईसीटी, बालिका छात्रावास, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए व्यावसायिक शिक्षा और माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा को आरएमएसए के अधीन किया गया। केंद्र प्रायोजित अध्यापक शिक्षा पुनर्गठन एवं पुनर्संरचना योजना (सीएसएसटीई) की शुरुआत 1987 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई 1986) की रचना के अनुरूप की गई थी। 2018 में एसएसए, आरएमएसए और सीएसएसटीई जैसी पूर्ववर्ती योजनाओं को 'समग्र शिक्षा' नामक स्कूली शिक्षा में सम्मिलित करके एक एकीकृत योजना शुरू की गई। समग्र शिक्षा का उद्देश्य पूर्व–प्राथमिक से

उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा को समान रूप से देखना है और यह एसडीजी (4) के लक्ष्यों के अनुरूप है।

शिक्षा का अधिकार (आरटीई)

वर्ष 2002 में सबसे महत्वपूर्ण बात भारत के संविधान में 86वां संशोधन रही जिसमें अनुच्छेद 21ए को यह सुनिश्चित करने के लिए डाला गया कि प्रत्येक बच्चे को विधिवत स्कूल में कुछ मानकों पर खरी उतरने वाली संतोषजनक और न्यायसंगत गुणवत्ता की पूर्णकालिक प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसके परिणामस्वरूप बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 पारित किया गया, जिसने 6–14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का कानूनी अधिकार दिया। भारत उन 135 देशों में शामिल हो गया जिन्होंने शिक्षा को हर बच्चे का एक मौलिक अधिकार बनाया है। आरटीई अधिनियम में शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता, समानता, और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान हैं जैसे उपयुक्त सरकार द्वारा कमज़ोर और वंचित समूह की अधिसूचना और उनके लिए निजी गैर–सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों का आरक्षण, शिक्षा परिणामों में सुधार और निरंतर और व्यापक मूल्यांकन (सीसीई), भेदभावपूर्ण रहित शिक्षा प्राप्ति का माहौल और बच्चे का समग्र विकास।

गुणात्मक कदम और सुझाव

शिक्षा का उद्देश्य केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं या शैक्षिक उत्कृष्टता तक ही सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक क्षमताओं और प्रवृत्तियों को सुनिश्चित करने के लिए भी है। शिक्षा से अपेक्षा की जाती है कि वह लोगों को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करे इसलिए इसे अनुभवात्मक, समग्र, एकीकृत, अन्वेषण–संचालित, आविष्कार–उन्मुख, शिक्षार्थी–केंद्रित, चर्चा–आधारित, लचीला और साथ ही आनंददायक होना चाहिए। इसके अलावा, जैसाकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पित किया गया है, शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य तर्कसंगत सोच और कार्य करने में सक्षम एवं निपुण व्यक्तियों का विकास करना है, जिनमें करुणा और संवेदना, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक प्रवृत्ति और रचनात्मक कल्पना हो और साथ ही प्रचुर नैतिक बल और मूल्य हों। इसका उद्देश्य हमारे संविधान में परिकल्पित समतामूलक, समावेशी और बहुआयामी समाज के निर्माण के लिए सतत रूप से संलग्न, उपयोगी और योगदान करने वाले नागरिकों की रचना करना है।

सभी नीतियों/योजनाओं/कार्यक्रमों/अधिनियमों आदि का केंद्र बिंदु हमेशा समान व्यवहार और परिणाम सुनिश्चित करना रहा है। स्वतंत्रता के बाद से इन सतत प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। शिक्षा के लिए एकीकृत ज़िला सूचना प्रणाली यू डाइस (UDISE) 2018–19 (अनंतिम) के अनुसार, अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों के लिए प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) क्रमशः 104.9 और 107 है और अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों के लिए क्रमशः 106.6 और 105 है जो सभी श्रेणियों के जीईआर से अधिक है हालांकि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नामांकन अनुपात पर अधिक ध्यान देने और सुधार की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति का नामांकन प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन का 19.16 प्रतिशत है, माध्यमिक–स्तर पर 18.46 प्रतिशत और उच्चतर माध्यमिक–स्तर पर 17.20 प्रतिशत है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति का नामांकन अनुपात प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन का 10.52 प्रतिशत, माध्यमिक स्तर पर 9.13 प्रतिशत और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 7.41 प्रतिशत है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्लूएसएन) को देखा जाए तो ऐसे 23.45 लाख बच्चे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नामांकित हैं। हालांकि प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक पहुंचने की दर कम है, माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप–आउट दर यू डाइस 2018–19 (अनंतिम) के अनुसार 17.9 प्रतिशत है और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के अनुसार विद्यार्थियों के सीखने के कम स्तर चुनौतीपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए संबोधित किया जाना आवश्यक है।

यद्यपि अतीत में शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां हाल के वर्षों में कदम उठाए गए हैं या भविष्य में उठाए जाने की आवश्यकता है, जो नीचे दिए गए हैः

1. प्रारंभिक वर्षों को महत्व दिया जाना : बच्चे के संचयी मस्तिष्क का 85 प्रतिशत विकास 6 वर्ष की आयु से पहले होता है जो स्वस्थ मस्तिष्क के विकास को सुनिश्चित करने के लिए शुरुआती वर्षों में मस्तिष्क की उचित देखभाल और प्रेरणा के महत्व को दर्शाता है। इसलिए बाल्यावस्था पूर्व देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) में प्रचुर निवेश सभी बच्चों को इस तरह की पहुंच प्रदान करने में सक्षम होता है जो उन्हें जीवन भर शैक्षिक प्रणाली में भाग लेने और फलने–फूलने में सक्षम बनाता है। आंगनवाड़ियों और प्रारंभिक विद्यालयों दोनों में गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई सुनिश्चित करने के लिए, एनसीईआरटी ईसीसीई के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहा है, जिसे सभी द्वारा अपनाया जाएगा।

दूसरा, कक्षा तीन तक सभी बच्चों द्वारा मूलभूत कौशल प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्राथमिकता के आधार पर मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जा रही है। यह 'आत्मनिर्भर भारत' की घोषणा का एक भाग है और एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है। बुनियादी अध्ययन बच्चे के भावी अध्ययन का आधार है। पढ़ना, लिखना और बुनियादी गणित की प्रक्रियाओं को समझने के मूलभूत कौशल हासिल नहीं करने के कारण कक्षा 3 के बाद के पाठ्यक्रम की जटिलताओं से जूझने के लिए बच्चा सक्षम नहीं हो

पाता है। मिशन पांच क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा– स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में बच्चों को शिक्षा प्राप्ति की पहुंच प्रदान करना और उन्हें उससे जोड़े रखना, शिक्षक क्षमता निर्माण, विद्यार्थी और शिक्षक संसाधनों का उच्च–स्तरीय और वैविध्यपूर्ण विकास/शिक्षण सामग्री, और सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रगति की निगरानी करना।

2. सीखने के प्रतिफलों पर बल : हालांकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम धारा 29(2) में बच्चे के सर्वांगीण विकास, विभिन्न क्रियाकलापों, अन्वेषण और खोज के माध्यम से सीखने और बच्चे के ज्ञान और उसके व्यावहारिक प्रयोग को समझने की क्षमता के सतत और व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) के बारे में बात की गई है फिर भी वस्तुस्थिति यह है कि सीखने के लिए रटने को बढ़ावा दिया जाता रहा है। हालांकि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक बदलाव किया गया जिसके अंतर्गत फरवरी, 2017 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नियमों में संशोधन किया गया और पहली बार कक्षा आठ तक कक्षावार और विषयवार परिणाम घोषित किए गए। इसके अलावा 13 नवंबर, 2017 को बच्चों की दक्षताओं को परखने के लिए सीखने के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए एक राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) आयोजित किया गया। इसके माध्यम से सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 700 ज़िलों के 1.10 लाख स्कूलों से कक्षा तीन, पांच और आठ के लगभग 22 लाख छात्रों के सीखने के स्तर का मूल्यांकन किया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा विकसित सीखने के प्रतिफलों को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अपनाया गया है। पद्धति में इस बदलाव से शिक्षाशास्त्र, मूल्यांकन और शिक्षकों की क्षमता के मामले में ज़मीनी–स्तर पर अपेक्षाकृत सुधार आएगा।

3. शिक्षकों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार : यदि कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमे सुधार की अत्यंत और तत्काल आवश्यकता है तो वह शिक्षकों की शिक्षा है। 1993 में एनसीटीई अधिनियम (नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन एक्ट) के पारित होने के बाद 1995 में गठित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) देशभर में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास को प्रोत्साहित करने, शिक्षक शिक्षा प्रणाली के मानकों और मापदंडों के नियमन और उचित रखरखाव और उससे जुड़े मामलों से संबंधित अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सका। एनसीटीई को दिया गया अधिकार क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसमें स्कूलों में पूर्व–प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों और गैर–औपचारिक शिक्षा, अंशकालिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा और दूरस्थ (पत्राचार) शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों का संपूर्ण विस्तार है जिसमें विभिन्न स्तरों में पढ़ाने के लिए अनुसंधान और लोगों का प्रशिक्षण शामिल है। लेकिन देशभर में शिक्षक शिक्षा संस्थानों (टीईआई–टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस) के तेज़ी से और अनियोजित विकास ने शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। परिणामस्वरूप, शिक्षकों की गुणवत्ता प्रभावित हुई है और उनका रवैया उत्साहविहीन हो गया है। एनसीटीई ने केवल शिक्षक शिक्षण संस्थानों को अनुमति देने से संबंधित विनियामक कार्य तक ही अपने को सीमित रखा और दुर्भाग्यवश टीईआई के मानदंडों, मानकों और गुणवत्ता के पालन के प्रति लापरवाही बरती गई। एनईपी 2020 ने इस तथ्य का संज्ञान लिया और इस क्षेत्र में सुधार के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश की। प्रमुख सिफारिशों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चार वर्षीय बी.एड. एकीकृत कार्यक्रम को वरीयता देना, निम्न कोटि के टीईआई को बंद करना, पूर्व–प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक सभी चरणों में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी–टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट) का विस्तार, स्कूल शिक्षा और एनसीटीई के नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (एनसीएफ) के आधार पर भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई–हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया) का हिस्सा बनने के लिए शिक्षक शिक्षा के नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना (एनसीएफटीई–नेशनल क्यूरीकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन) शामिल हैं। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन से इस क्षेत्र में व्यापक वांछित सुधार आने की उम्मीद है।

4. शिक्षकों की क्षमता का निर्माण : शिक्षक किसी भी शिक्षा प्रणाली के मूलभूत स्तंभ हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और विद्यार्थियों में मूल्यों और नैतिकता के भाव मन में बैठाने की पूरी ज़िम्मेदारी शिक्षकों के कंधों पर टिकी हुई है। इसलिए सेवा–पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम और सेवाकाल के दौरान शिक्षकों का निरंतर शिक्षण सम्बन्धी विकास महत्वपूर्ण हो जाता है और शिक्षा प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। भारत में कई शिक्षकों के पास एनसीटीई द्वारा अनिवार्य घोषित पेशेवर योग्यता नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए 2017 में आरटीई अधिनियम, 2009 में संशोधन किया गया था कि सभी सेवारत प्राथमिक शिक्षक 31 मार्च, 2019 तक अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लें क्योंकि इससे शिक्षकों और शिक्षण प्रक्रियाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित होगा जिसके फलस्वरूप बच्चों के सीखने का स्तर बेहतर होगा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एनआईओएस) ने अप्रशिक्षित सेवारत प्राथमिक शिक्षकों को मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम (ओपन डिस्टेंस लर्निंग) प्रणाली के माध्यम से अनिवार्य प्रशिक्षण दिया। ऑनलाइन डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन (D.El.Ed.) पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया गया है और 10 लाख से अधिक सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।

इसके अलावा, शिक्षकों का सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) सुनिश्चित करने के लिए, जिसकी सिफारिश एनईपी 2020 ने भी की थी, एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल 'निष्ठा' (NISHTHA–नेशनल इनीशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स

हालिस्टिक एडवांसमेंट) 21 अगस्त, 2019 को शुरू किया गया है जिसके माध्यम से प्राथमिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों में सुधार अपेक्षित है। इस एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य लगभग 42 लाख शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों, एससीईआरटी और ज़िला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) के संकाय सदस्यों और ब्लॉक संसाधन समन्वयकों और क्लस्टर संसाधन समन्वयकों की क्षमता का निर्माण करना था। हालांकि, कोविड–19 महामारी के मद्देनजर इस कार्यक्रम को महामारी के दौरान शिक्षण और सीखने की ज़रूरतों में बदल दिया गया और 100 प्रतिशत ऑनलाइन कर दिया गया है। प्राथमिक शिक्षकों के लिए 'निष्ठा' ऑनलाइन एनसीईआरटी के दीक्षा प्लेटफॉर्म पर 6 अक्टूबर, 2020 को शुरू किया गया। इसमें इंटरेक्शन के कई तरीके शामिल हैं यानी वीडियो के साथ टेक्स्ट मॉड्यूल, डीटीएच स्वयंप्रभा टीवी चैनल और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम पर राष्ट्रीय–स्तर के विशेषज्ञों के साथ लाइव सत्र। इसके अलावा, प्रत्येक मॉड्यूल में मूल्यांकन शामिल है और पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद प्रतिभागियों को ऑनलाइन प्रमाणपत्र भी स्वचालित रूप से प्राप्त हो जाएगा।

5. मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार : परीक्षा केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली ने उच्चस्तरीय सोच, कौशल या महत्वपूर्ण सोच के बजाय रटने से सीखने को बढ़ावा दिया है। आंकलन को सीखने के परिणामों के साथ जोड़ा जाना चाहिए और उसे आकलनकर्ताओं की क्षमताओं पर आधारित होना चाहिए। इसलिए एनईपी 2020 बोर्ड परीक्षाओं को कम महत्व देकर और एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित समग्र प्रगति कार्ड की शुरुआत करके मूल्यांकन पैटर्न में परिवर्तन की परिकल्पना करता है। यह एक 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट है जो संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर कार्यक्षेत्रों (डोमेन) में प्रत्येक शिक्षार्थी की विशिष्टता के साथ–साथ प्रगति को विस्तार से दर्शाती है। इसमें शिक्षक मूल्यांकन के साथ स्व–मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन, और प्रोजेक्ट–आधारित और अन्वेषण–आधारित शिक्षा, प्रश्नोत्तरी, रोल प्ले, समूह कार्य, पोर्टफोलियो आदि में बच्चे की प्रगति शामिल होगी। जैसाकि एनईपी 2020 में परिकल्पित है कि मूल्यांकन अब विद्यार्थियों में सीखने और विकास को बढ़ावा देने के लिए और अधिक नियमित, औपचारिक और अधिक योग्यता–आधारित होगा। इसके अलावा, यह विश्लेषण, महत्वपूर्ण सोच और वैचारिक स्पष्टता जैसे उच्च–स्तरीय कौशल का भी परीक्षण करेगा। मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य वास्तव में विद्या प्राप्ति के लिए होगा; यह शिक्षक और विद्यार्थी और समस्त स्कूली शिक्षा प्रणाली में मदद करेगा, सभी विद्यार्थियों के लिए सीखने और विकास को अनुकूलतम बनाने के लिए अध्यापन–शिक्षण प्रक्रियाओं को सतत रूप से संशोधित करेगा।

सभी स्तरों पर समानता और समावेशन : समानता और समावेशन का सभी नीतियों और सुधारों का केंद्रबिंदु होने के कारण हमने काफी प्रगति की है क्योंकि लिंग समानता सूचकांक अब एक शिक्षा है जो लड़कियों की समान भागीदारी दर्शाता है। इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए कई विशेष कदम उठाए गए हैं जैसे कि स्कूली शिक्षा में समग्र शिक्षा के तहत, जो एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना है, पाठ्य पुस्तकों के लिए प्रावधान, वर्दी, बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण, लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय (केजीबीवी), विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए सहायक उपकरण आदि सभी स्तरों पर समानता और समावेश को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत किया गया है। हालांकि इन प्रयासों को विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए सशक्त करने की महती आवश्यकता है ताकि उन्हें समान अवसर मिल सकें।

जैसाकि एनईपी 2020 में उल्लेख किया गया है कि अधिकांश कक्षाओं में सीखने की असामान्य अक्षमता वाले बच्चे हैं जिन्हें निरंतर सहायता की आवश्यकता होती है। शोधकार्य स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि जितना जल्दी ऐसी पहलें शुरू होती हैं, प्रगति की संभावनाएं भी उतनी बेहतर होती हैं। इसलिए शिक्षकों को सीखने की अक्षमता वाले ऐसे बच्चों की आरंभिक अवस्था में पहचान करने और उनको दूर करने के लिए विशेष रूप से योजना बनाने में मदद की जानी चाहिए। प्रत्येक बच्चे के गुणों का लाभ उठाने के लिए लचीले पाठ्यक्रम के साथ बच्चों को उपयुक्त टेक्नोलॉजी के उपयोग द्वारा अपनी गति से काम करने की छूट और सक्षम बनाना तथा उचित मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए एक परितंत्र बनाने से निश्चित रूप से संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में समावेशन को समाहित करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

शिक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उपरोक्त सूची बिल्कुल भी अंतिम नहीं है, ये व्यापक क्षेत्र है जो प्रणाली की प्रत्येक विस्तृत श्रेणी की मोटे तौर पर चर्चा करते हैं। अब जबकि देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हमें याद रखना चाहिए कि "शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना वैश्विक मंच पर आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति की कुंजी है" जैसा कि एनईपी 2020 में सही उल्लेख किया गया है।

(लेखिका शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में निदेशक (शिक्षक शिक्षा) हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई–मेल : rashi.edu@gov.in

कुरुक्षेत्र का आगामी अंक

जुलाई, 2021 : ग्रामीण अवसंरचना

आत्मनिर्भर गांवों के लिए सामुदायिक रेडियो

–निमिष कपूर

सामुदायिक रेडियो या कम्युनिटी रेडियो भारत के ग्रामीण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, जिसमें गांव और खेती से जुड़ी स्थानीय महत्व की बातों को क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। देश के सामुदायिक रेडियो केंद्रों में ग्रामीण विकास की नई इबारत जिन रेडियो प्रसारकों और प्रस्तोताओं द्वारा लिखी जा रही है वे गांव के किसान, महिला किसान या मछुआरा समुदाय से आते हैं। सामुदायिक रेडियो द्वारा स्थानीय भाषा में नई जानकारियों का प्रसार ग्रामीण भारत के सतत और समावेशी विकास को परिभाषित कर रहा है।

रेडियो का ग्रामीण विकास से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। आज से कुछ दशक पूर्व जब कृषि वैज्ञानिकों ने धान की एक नई प्रजाति विकसित की और आकाशवाणी पर उसकी चर्चा आरंभ हुई तो देश के किसानों के बीच धान की वह किस्म रेडियो राइस के नाम से प्रचलित हो गई। सामुदायिक रेडियो या कम्युनिटी रेडियो भारत के ग्रामीण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, जिसमें गांव और खेती से जुड़ी स्थानीय महत्व की बातों को क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। देश के सामुदायिक रेडियो केंद्रों में ग्रामीण विकास की नई इबारत जिन रेडियो प्रसारकों और प्रस्तोताओं द्वारा लिखी जा रही है वे गांव के किसान, महिला किसान या मछुआरा समुदाय से आते हैं। सामुदायिक रेडियो द्वारा स्थानीय भाषा में नई जानकारियों का प्रसार ग्रामीण भारत के सतत और समावेशी विकास को परिभाषित कर रहा है।

सामुदायिक रेडियो एक प्रकार की रेडियो सेवा है जो वाणिज्यिक और सार्वजनिक सेवा से परे रेडियो प्रसारण के एक सामुदायिक भागीदारी मॉडल पर आधारित है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो त्रि–स्तरीय मॉडल पर काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर ग्रामीण जनता की सेवा कर रहे हैं। सामुदायिक रेडियो, जो "समाज के लिए, समाज द्वारा और समाज के लोगों द्वारा प्रबंधित" मॉडल पर कार्य करते हैं, समाज की आवश्यकताओं, लाभों और उद्देश्यों में मदद करने वाले कार्यक्रमों का निर्माण करके सीधे जनता से जुड़ते हैं। सुदूर क्षेत्रों में ग्रामीण विकास को समर्पित सामुदायिक रेडियो उन विषयों और मुद्दों पर अपनी राय और विचार व्यक्त करने की एक उत्कृष्ट संभावना भी प्रदान करते हैं जो मुख्यधारा के मीडिया से अछूते रहते हैं।

ग्रामीण विकास से सीधे जुड़ते सामुदायिक रेडियो

ग्रामीण जीवन में सामुदायिक रेडियो का महत्वपूर्ण स्थान है। देश के सामुदायिक रेडियो के कार्यक्रम ग्रामीण विकास, खेती, लिंग भेदभाव, सुधार, सामाजिक परेशानियों, स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित हैं। कई शोध अध्ययनों से स्पष्ट हो चुका है कि ग्रामीण सामुदायिक रेडियो दूरस्थ किसान समुदायों

'कदल ओसाई' सामुदायिक रेडियो का एंकर मछुआरे से बात करते हुए

से कृषि जानकारी साझा करने के मूल्यवान उपकरण हैं। इनके कार्यक्रमों की लोकप्रियता श्रोताओं के बीच स्थानीय भाषाओं के प्रयोग के कारण है। एक अध्ययन में सार्वजनिक प्रसारक के रूप में सामुदायिक रेडियो की भूमिका का मूल्यांकन किया गया और पाया गया कि सामुदायिक रेडियो ने देश के सुदूर क्षेत्रों में जनता को प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने में मदद की है। सामुदायिक रेडियो के महत्व का कारण ग्रामीण विकास प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की उच्च भागीदारी है। किसानों और महिला श्रोताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम विभिन्न मुद्दों को उठाते हैं। इन कार्यक्रमों में नवीन कृषि तकनीकें, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।

देश के हर ग्रामीण क्षेत्र में खेती–किसानी और विकास के मुद्दों से जुड़ी अपनी–अपनी जटिल समस्याएं होती हैं; कहीं सिंचाई की समस्या तो कहीं बाढ़, कहीं सूखा तो कहीं भूस्खलन, कहीं फसल में कीड़े तो कहीं मिट्‌टी में क्षारीयता या अम्लता। ऐसी कई समस्याएं हैं जो क्षेत्र–दर–क्षेत्र पर निर्भर करती हैं। सामुदायिक रेडियो उन किसानों को उनके क्षेत्रों और ज़रूरतों के अनुसार समाधान और परामर्श देता है जोकि उनकी भाषा में ही होता है। शोध से भी पता लगा है कि दूसरी भाषाओं की तुलना में श्रोता अपनी भाषा में जानकारी या तथ्यों को ज़्यादा और अच्छी तरह से ग्रहण करते हैं। सामुदायिक रेडियो स्थानीय बाज़ार, मंडी का भाव, कृषि संबंधी स्कीम, बीजों की जानकारी भी देते हैं। किसान या मछुआरों द्वारा निर्मित और प्रस्तुत रेडियो कार्यक्रम उनके समुदाय के लिए सूचनाओं का सर्वश्रेष्ठ स्रोत साबित हुए हैं।

देश के सुदूर ग्रामीण इलाकों में स्थापित सामुदायिक रेडियो के संचालन का ज़िम्मा किसानों, ग्रामीण युवाओं और विशेषकर महिला किसानों को दिया गया है। विभिन्न अध्ययनों में यह तथ्य सामने आया है कि ग्रामीण महिलाओं और किसानों को बड़ी संख्या में सामुदायिक रेडियो प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है जो सतत और समेकित ग्रामीण विकास में अपना प्रत्यक्ष योगदान दे रहे हैं। सामुदायिक रेडियो स्टेशन के प्रसारण क्षेत्रों में कार्यक्रम निर्माताओं द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग मुख्य रूप से वहां के समुदायों के लोगों के साथ बातचीत को रिकॉर्ड और संपादित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग का एक सस्ता व सुलभ साधन है। इस प्रकार कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने और प्रसारण के लिए स्टूडियो में भेजा जाता है।

सामुदायिक रेडियो के स्टूडियो से सीधा प्रसारण

वायुतरंगों के सार्वजनिक संपत्ति के ऐतिहासिक निर्णय के साथ हुआ सामुदायिक रेडियो का जन्म

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 9 फरवरी, 1995 को एक ऐतिहासिक निर्णय दिया कि "वायुतरंगें या आवृत्तियां एक सार्वजनिक संपत्ति हैं" और "स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार में जानकारी प्राप्त करने और प्रदान करने का अधिकार शामिल है..." इस निर्णय के चलते भारत सरकार ने सामुदायिक रेडियो स्टेशन (कम्युनिटी रेडियो स्टेशन–सीआरएस) आरंभ करने की अनुमति प्रदान की। इस निर्णय के बाद देश में प्रायोगिक तौर पर अहमदाबाद स्थित एक गैर–सरकारी संगठन ने 1999 में भारत की पहली "नैरो कास्टिंग" सामुदायिक रेडियो परियोजना की शुरुआत की। 'नैरो कास्टिंग' से तात्पर्य है कि सीमित लोगों के लिए किसी खास उद्देश्य से स्थानीय प्रसारण।

वर्ष 2002 में, भारत सरकार ने देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को अपने परिसर में सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सेवा क्षेत्र में रहने वाले समुदाय के लोगों को रेडियो कार्यक्रमों के प्रसारण में शामिल किया जाए। यहां समुदाय का अर्थ है सेवा क्षेत्र में उपलब्ध जनसंख्या अर्थात संस्था की परिधि में 10 किमी. के दायरे में रह रहे लोग, जोकि रेडियो प्रसारण से लाभान्वित हो सकें। वर्ष 2004 में सामुदायिक रेडियो नीति लागू हुई, जिसे 2006 में संशोधित किया गया। लगभग 10 वर्षों के लंबे विचार मंथन के बाद, यह ऐतिहासिक नीति लागू हुई, जिसे सामुदायिक रेडियो नीति के रूप में जाना जाता है। इस नीति के अनुसार गैर–लाभकारी संगठन या संस्थाएं और शैक्षणिक संस्थान सीमित क्षमता वाला एफएम रेडियो लगा सकते हैं, जिसका दायरा लगभग 10 किलोमीटर होता है और इसे ही सामुदायिक रेडियो या कम्युनिटी रेडियो का नाम दिया गया। यह पहली बार था जब सरकार ने मीडिया के तीसरे स्तर यानी सामुदायिक रेडियो को मान्यता दी।

पहला सामुदायिक रेडियो प्रसारण 1 फरवरी, 2004 में अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई के गिंडी परिसर में शुरू किया गया। इसका संचालन एजुकेशन एंड मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर (ई.एम.आर.सी.) करता है। 2006 में, भारत सरकार ने गैर–सरकारी संगठनों को भी अपने सेवा क्षेत्र में सीआरएस स्थापित करने की अनुमति दी और 2014 में, भारत सरकार द्वारा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि आनुसंधान संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्रों में सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान की गई।

निजी एफएम रेडियो के विपरीत सामुदायिक रेडियो अपने समुदाय विशेष के श्रोताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास के मुद्दों पर कार्यक्रम प्रसारित करते हैं और समुदाय के सदस्यों की कार्यक्रम निर्माण में भागीदारी भी सुनिश्चित की जाती है।

ग्रामीण विकास को समर्पित कुछ प्रमुख सामुदायिक रेडियो स्टेशन

आंध्र प्रदेश राज्य के मेडक जिले के पस्तापुर गांव का 'संगम रेडियो' एक गैर–सरकारी संगठन को मिले लाइसेंस से संचालित देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, जो 15 अक्टूबर, 2008 को आरंभ किया गया। 'संगम रेडियो' आंध्र प्रदेश के 75 गांवों में महिलाओं के समूहों द्वारा संचालित किया जाता है। आंध्र प्रदेश का ही एक अन्य सामुदायिक रेडियो 'अला' गोदावरी नदी के इर्द–गिर्द बसे मछुआरों को स्थानीय सूचनाओं के साथ समुद्री तूफान आदि से जागरूक करने का कार्य कर रहा है। इस रेडियो के माध्यम से मछुआरे अपनी समस्याओं को प्रशासन के सामने रखते हैं और प्रशासन उनका समाधान देता हैं।

मध्य प्रदेश राज्य के ओरछा में 23 अक्टूबर, 2008 को 'ताराग्राम' में भारत का दूसरा गैर–सरकारी संगठन संचालित सामुदायिक रेडियो स्टेशन 'रेडियो बुंदेलखंड' आरंभ हुआ। दिसंबर 2009 तक, ग्रामीण समाज द्वारा संचालित जिन सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की शुरुआत हुई उसमें शामिल हैं– संगम रेडियो (पस्तापुर, मेडक ज़िला, आंध्र प्रदेश), रेडियो बुंदेलखंड (ओरछा, मध्य प्रदेश), मन देशी तरंग (सतारा, महाराष्ट्र), क्लांजीअम समुगा वानोली (नागापत्तीनम, तमिलनाडु) और बेयरफुट (तिलोनिया, राजस्थान)।

कर्नाटक का सामुदायिक रेडियो स्टेशन 'रेडियो सारंग' मंगलौर की एक अकादमिक सोसाइटी द्वारा संचालित है जो स्थानीय समुदायों की ओर अधिक उन्मुख है। यह किसान, मछुआरे, मरीज़ों, विक्रेताओं, तकनीकी कर्मियों, चर्मकारों आदि जैसे स्थानीय जनता के साथ, उनके लिए और उनके द्वारा कार्यक्रम बनाता है। एक विशेष बात यह भी है कि रेडियो सारंग कोंकणी, कन्नड़, तुलु और अंग्रेजी भाषा में प्रतिदिन और मलयालम, बेरी (स्थानीय मुसलामानों की मातृभाषा) और हिन्दी भाषाओं में भी साप्ताहिक प्रसारण करता है। कर्नाटक का ही 'सिद्धार्थ' और 'नाम्मा ध्वनि' सामुदायिक रेडियो ग्रामीण एवं निर्धन लोगों की आवाज़ को कन्नड़ भाषा में बुलंद करता है। इन रेडियो के माध्यम से ग्रामीन समाज को शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, जीविकोपार्जन के साधनों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

उत्तराखंड के सुपी में स्थानीय समुदायों के लिए एक साझा मंच बनाने के उद्देश्य के साथ मार्च 2010 में एक सामुदायिक रेडियो सेवा 'कुमाऊं वाणी' का आरंभ किया गया। 'कुमाऊं वाणी' का उद्देश्य है समुदायों की सक्रिय भागीदारी के साथ स्थानीय भाषा में पर्यावरण, कृषि, संस्कृति, मौसम और शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसारण करना।

बिहार के पटना से प्रसारित केवीके सामुदायिक रेडियो कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसका मुख्य कार्य किसानों की प्रतिदिन की जीवनचर्या से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण करना है।

बुंदेलखंड के लोग 'अपना रेडियो' के कार्यक्रम सुनते हुए

चंडीगढ़ से प्रसारित 'ज्योति ग्राम्या' सामुदायिक रेडियो केंद्र पंजाब विश्वविद्यालय के संरक्षण में प्रसारित हो रहा है। इस रेडियो के माध्यम से चंडीगढ़ के आसपास के 22 गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

दिल्ली से प्रसारित 'अपना सामुदायिक रेडियो' भारतीय जनसंचार संस्थान द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह रेडियो विद्यार्थियों के विचारों को मंच प्रदान करता है। इस रेडियो के माध्यम से समाज, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

गुजरात के जूनागढ़ से प्रसारित 'जनवाणी' सामुदायिक रेडियो केंद्र जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस रेडियो के माध्यम से किसानों में जागरूकता का प्रचार–प्रसार किया जाता है। यह रेडियो गुजराती में प्रसारित होता है।

हरियाणा से प्रसारित 'अल्फाज़ ए मेवात' सामुदायिक रेडियो मेवात ज़िले के 225 ग्रामीण समुदायों की आवाज़ बन गया है। रेडियो कार्यक्रमों के माध्यम से यह सामुदायिक रेडियो ग्रामीण जनमानस में जागरूकता एवं सशक्तीकरण का कार्य कर रहा है।

केरल से प्रसारित जनवाणी सामुदायिक रेडियो समाज के कमज़ोर वर्गों को सशक्त कर रहा है। इस रेडियो के माध्यम से ग्रामीण विकास हेतु कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। यह रेडियो मलयालम भाषा में प्रसारित होता है। इसी तरह वायानाड, केरल में स्थित 'रेडियो मत्तोली' भी ग्रामीण समुदाय को समर्पित है।

मध्य प्रदेश के चांडा से प्रसारित सामुदायिक रेडियो वन्य प्रधान जनजाति से संवाद करने के लिए संचालित किया जा रहा है। यह सामुदायिक रेडियो केंद्र बेगानी बोली में प्रसारित किया जाता है। इस रेडियो के माध्यम से जनजातीय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए सामुदायिक रेडियो से लोकगीत इत्यादि प्रसारित किए जाते हैं।

मछुआरों द्वारा संचालित और मछुआरों को समर्पित सामुदायिक रेडियो कदल ओसाई

तमिलनाडु के पंबन शहर में स्थानीय मछुआरों को समर्पित 'कदल ओसाई सामुदायिक रेडियो' के कार्यक्रम प्रस्तोता या पत्रकार के रूप में जो लोग काम करते हैं, वे सभी मछुआरे समुदाय से हैं। रेडियो स्टेशन की महिला प्रबंधक के अलावा अन्य 12 कर्मचारी मछुआरा समुदाय से आते हैं। कदल ओसाई के संचालक आर्मस्ट्रांग फर्नांडो, जो स्वयं एक मछुआरे हैं, ने 15 अगस्त, 2016 को कदल ओसाई 90.4 एफएम नाम से मछुआरों के लिए भारत का एकमात्र सामुदायिक रेडियो आरंभ किया।

कदल ओसाई (समुद्र की ध्वनि) सामुदायिक रेडियो 2016 से रामेश्वरम द्वीप क्षेत्रों में मछुआरों को विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य रामनाथपुरम ज़िले के तटीय गांवों के मछुआरों और सभी समुदायों को एक मंच पर लाकर उन्हें जागरूक करना है। मछुआरों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, मछुआरे बच्चों की शिक्षा और रोज़गार पर जागरूकता, मछुआरे महिलाओं के लिए विशेष रोज़गार और प्रशिक्षण में भी कदल ओसाई शामिल है। मछली पकड़ने जाने वाले हज़ारों मछुआरों के लिए सूनामी, तूफान और समुद्री ज्वार जैसे खतरे के समय में मछुआरों को क्या करना चाहिए? समुद्र में खतरनाक क्षेत्र कौन से हैं? किन जगहों पर अधिक मछलियां उपलब्ध हैं? ऐसे कई जागरूकता से ओत–प्रोत कार्यक्रम कदल ओसाई पर प्रसारित किए जा रहे हैं।

तमिलनाडु के रामनाथपुरम का पंबन द्वीप एक ऐस क्षेत्र है जहां मुख्यधारा के मीडिया की पहुंच बहुत कम है, वहां कदल ओसाई सामुदायिक रेडियो मछुआरा समुदाय को सशक्त बनाने के अलावा, इस क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं की आवाज़ भी बन गया है। इस स्टेशन के संचालन का ज़िम्मा उन महिलाओं को दिया गया है जो पितृसत्तात्मक समाजों और रूढ़िवादी घरों से आती हैं। इस रेडियो स्टेशन द्वारा उन्हें अपने अधिकारों को समझने, उनके संघर्षों को समझने में मदद करने, उनकी समस्याओं का समाधान खोजने और बाल विवाह, वैवाहिक शोषण, पर्यावरण संरक्षण और भावी पीढ़ी का पालन–पोषण जैसे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम के निकटवर्ती गांवों में बड़ी संख्या में मछुआरा समुदाय को राहत है। कदल ओसाई सामुदायिक रेडियो मछुआरा समुदाय के लिए जानकारियों और सूचना का एक आसान और श्रेष्ठ माध्यम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मछुआरे समुद्र में दूर होते हैं तो उन पर नजर रखने के लिए कदल ओसाई एक प्रभावी तरीका है।

कदल ओसाई क्षेत्र के मछुआरों को मौसम से संबंधित जानकारी और समुद्री खतरों से संबंधित जागरूकता प्रदान करता रहा है। यह सिर्फ बारिश, ज्वार और चक्रवात तक ही सीमित नहीं है बल्कि एक बहु–उद्देश्यीय रेडियो चैनल है जो पर्यावरण जागरूकता, मछुआरों में रोज़गार के अवसरों के बारे में जागरूकता, महिलाओं के स्वास्थ्य, महिला उत्पीड़न और अन्य सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करता है। हाल के चुनावों के दौरान, रेडियो ने मतदान के महत्व पर जागरूकता कार्यक्रम भी प्रसारित किए। यह मछुआरों को सामाजिक और पर्यावरणीय संदेश देने में यूनिसेफ और एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन जैसे संगठनों के साथ भी काम करता है। कदल ओसाई लोगों से संवाद करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक बन गया है। पंबन और आसपास के अन्य द्वीपों में फैले लगभग 5,000 लोगों के श्रोता आधार के साथ, कदल ओसाई आपात स्थिति, सरकारी परियोजनाओं और योजनाओं के बारे में प्रचार करने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करता है। आर्मस्ट्रांग फर्नांडो के अनुसार, "हमने जबर्दस्त प्रभाव देखा है – **मछुआरों ने समुद्री कछुओं को पकड़ना और वनस्पतियों को भी नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया है। उन्होंने समुद्र में प्लास्टिक डंप करना भी बंद कर दिया है।**"

कदल ओसाई जैसे कई सामुदायिक रेडियो, जो ग्रामीण समुदायों से सीधे जुड़े हैं, उनमें वित्तीय बाधाओं के कारण विकास में बाधा आ रही है। खराब ट्रांसमिशन रेंज सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। एक सामुदायिक रेडियो में आमतौर पर 15 किमी. की दूरी को कवर करने वाली न्यूनतम प्रसारण सीमा होती है, लेकिन कदल ओसाई के मामले में, यह पर्याप्त नहीं है। कदल ओसाई के स्टेशन निदेशक के अनुसार, "हमारे मछुआरे समुद्र में हर दिन कम से कम 25 किमी. की दूरी तय करते हैं, और खराब ट्रांसमिशन रेंज के कारण हम उन तक पहुंचने में असमर्थ हैं। हमारा रेडियो केवल 15 किमी. तक की दूरी तय करता है। इसके कारण हम सभी मछुआरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।" उनका यह भी कहना है कि वर्तमान में कदल ओसाई रेडियो स्थानीय कपड़ा दुकानों के विज्ञापनों की मदद से चलता है, लेकिन यह मासिक खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है जो लगभग एक लाख रुपये तक आता है।

2018 में जब चक्रवाती तूफान गाजा ने राज्य में दस्तक दी, तो कदल ओसाई की टीम ने प्रशासन के साथ मिलकर ग्रामीणों को महत्वपूर्ण संदेश देने का काम किया। लेकिन कम फ्रिक्वेंसी के कारण ट्रांसमिशन बाधित हो गया। विशेष श्रेणी के आधार पर ट्रांसमिशन रेंज बढ़ाने का प्रावधान है, जिसके प्रयास कदल ओसाई के लिए आवश्यक हैं।

महाराष्ट्र के वर्धा से प्रसारित 'एमगिरी सामुदायिक रेडियो' वर्धा ज़िले में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाईज़ेशन, एमगिरी द्वारा संचालित किया जाता है। यह सामुदायिक रेडियो किसानों के लिए कृषि से संबंधित उन्नत तकनीकों के प्रयोग इत्यादि से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित करता है। साथ ही, छोटे उद्योगों को उन्नत तकनीक के साथ विकसित करने के तरीके भी इस रेडियो के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। एमगिरी सामुदायिक रेडियो मराठी भाषा में कार्यक्रम प्रसारित करता है।

सांगली, महाराष्ट्र के जलिहाल गांव में यह आम प्रथा है कि यदि महिला बेटे को जन्म नहीं देती तो उसे घर से निकाल दिया जाता है। जलिहाल स्थित 'येरलवनी कम्युनिटी रेडियो' ने इस तरह की कुप्रथाओं से लोगों को बाहर निकालने में बहुत मदद की है। कृषि में सर्वोत्तम वैज्ञानिक तरीकों के साथ किसानों की मदद करना और बाल विवाह के दुष्प्रभावों पर समुदाय को शिक्षित करना और बालिकाओं को जन्म देने के कलंक को मिटाना येरलवनी सामुदायिक रेडियो पर प्रसारित कुछ प्रमुख मुद्दे हैं।

कई शोधों में यह तथ्य सामने आया है कि शिक्षा और जागरूकता की कमी ने असम के डिब्रूगढ़ ज़िले में चाय बागान श्रमिकों के जीवन को प्रभावित किया है। इससे कार्यस्थल पर श्रमिकों और उनके परिवारों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी, बाल विवाह, मातृ मृत्यु दर में वृद्धि और शिशु मृत्यु दर जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। डिब्रूगढ़ स्थित 'रेडियो ब्रह्मपुत्र' में इन मुद्दों पर जागरूकता के लिए कार्यक्रमों का निर्माण किया जा रहा है ताकि श्रमिक अपने जीवन को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के अपने अधिकारों को समझ सकें।

तमिलनाडु के कोटागिरी में स्थित सामुदायिक रेडियो 'रेडियो कोटागिरी' ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी से ग्रामीण समुदाय की स्थानीय चुनौतियों के विषय में जागरूकता विषयक कार्यक्रमों का निर्माण कर रहा है। ग्रामीण महिलाएं जो अपने जीवन की ज़िम्मेदारियों में व्यस्त थीं, रेडियो कोटागिरी में उनके कार्य ने उन्हें ग्रामीण समुदाय के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं को समझने का अवसर दिया। तमिलनाडु के डिंडुगल में 'पसुमाई एफएम सामुदायिक रेडियो' का सबसे बड़ा प्रभाव स्थानीय लोगों में तथ्यों और नकली समाचारों के बीच अंतर करने की जागरूकता को लेकर पड़ा है। यह रेडियो सामाजिक बुराइयों जैसे बाल विवाह, श्रमिकों के शोषण और शिक्षा और स्वास्थ्य पर जागरूकता की बात करता है।

कंधमाल उड़ीसा का एक पिछड़ा ज़िला है जहां बुनियादी ढांचे और संचार के साधन सर्वसुलभ नहीं हैं। 'रेडियो मुस्कान' इस ज़िले में संचार का एक प्रमुख साधन बन कर उभरा है। यह रेडियो प्रसारण के साथ, ग्रामीण समुदाय की सेवा, उनकी समस्याओं के निराकरण और उनकी आवाज प्रशासन तक पहुंचाने के लिए एक लोकप्रिय मंच बन गया है।

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से प्रसारित सामुदायिक रेडियो पोस्ट

तमिलनाडु की महिला मछुआरा स्थानीय रेडियो के एंकर से बात करते हुए

ग्रेजुएट कॉलेज, गाजीपुर द्वारा संचालित किया जाता है। इस सामुदायिक रेडियो के माध्यम से पशुपालन, कृषि इत्यादि के विकास हेतु कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। यह सामुदायिक रेडियो भोजपुरी में प्रसारित होता है। आज़मगढ़ में 'वॉयस ऑफ आज़मगढ़' रेडियो स्टेशन का संचालन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है जिन्होंने समुदाय में बदलाव लाने के लिए पितृसत्तात्मक मानदंड को समाप्त करने के लिए कार्य किए हैं। यहां सामुदायिक महिलाओं को रेडियो पर अपनी चुनौतियों के बारे में बात करने और अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहित करने का अधिकार दिया जा रहा है।

सामुदायिक रेडियो की स्थापना के लिए कौन, कहां कर सकता है आवेदन?

सामुदायिक रेडियो स्टेशन का लाइसेंस केवल तीन श्रेणियों में दिया जाता है, जिसमें शैक्षणिक संस्थान (कॉलेज और विश्वविद्यालय), गैर–सरकारी संगठन और कृषि विज्ञान केंद्र शामिल हैं। यह निकाय कम से कम पांच साल से सेवा में होने चाहिए। यदि आप अपने क्षेत्र में सामुदायिक रेडियो स्टेशन आरंभ करना चाहते हैं तो आपको इनमें से किसी एक निकाय से संपर्क करना होगा। सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू करने के लिए एक ठोस कारण की भी आवश्यकता होती है। कारण में लक्षित दर्शकों और लक्षित क्षेत्र का विवरण भी शामिल होना चाहिए। इन सभी विवरणों के साथ, प्रस्ताव सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेजा जा सकता है।

सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लाइसेंस के लिए आवेदन करने पर, वॉयरलैस ऑपरेटिंग लाइसेंस (डब्ल्यूओएल) के लिए भी आवेदन करना चाहिए। औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट भेजा जाता है, जो लक्षित दर्शकों, क्षेत्र और बुनियादी लाभों को स्पष्ट करता है। यदि कोई गैर–सरकारी संगठन, शैक्षणिक संस्थान या कृषि विज्ञान केंद्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लिए आवेदन करता है, तो उसे अपने कार्यक्षेत्र का विवरण और उद्देश्यों का उल्लेख करना होगा।

इसके बाद मंत्रालय द्वारा आवेदक संस्था की कार्यप्रणाली और क्षमता पर विचार किया जाता है।

संचार और आईटी मंत्रालय के अंतर्गत वॉयरलैस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग द्वारा वॉयरलैस ऑपरेटिंग लाइसेंस को मंजूरी मिलने के बाद, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो रेडियो के भौगोलिक क्षेत्रों का दौरा करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वॉयरलैस माध्यम में कोई हस्तक्षेप न हो। सबसे महत्वपूर्ण कार्य एक ट्रांसमीटर प्राप्त करना है। ट्रांसमीटर प्राप्त करने से पहले सरकार को सूचित किया जाना चाहिए और अनुमति लेनी चाहिए। साथ ही अगर कोई इसके ट्रांसमीटर को बेचना चाहता है, तो सरकार को सूचित किया जाना चाहिए। ट्रांसमीटर के लिए एक टॉवर स्थापित किया जाता है, जिसके लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है।

सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए एक संगठन के पास न्यूनतम पूंजी 10 से 15 लाख रुपये होनी चाहिए। विज्ञापनों की अनुमति प्रति घंटे 5 मिनट के लिए है। हालांकि भारत सरकार ने आश्वासन दिया है कि इसे बढ़ाकर 10 मिनट प्रति घंटा किया जाएगा। आवेदक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सामुदायिक रेडियो सहायता योजना (सीआरएसएस) के तहत वित्त पोषण सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना के लिए आवेदन करने के लिए मानदंड और विवरण मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in पर उपलब्ध हैं।

कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, स्टूडियो स्थापित किया जाता है। स्टार्टअप सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लिए आवश्यक न्यूनतम स्थान 10X10 फिट का होना चाहिए। सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लिए जिन तकनीकी उपकरणों की आवश्यकता होती है, उनमें शामिल हैः मिक्सिंग कंसोल–1, माइक्रोफोन–2 से 4, पेशेवर हेडफ़ोन–2 से 4, स्टूडियो स्पीकर–2, फोन–इन कार्यक्रमों के लिए टेलीफोन हाइब्रिड सिस्टम, साउंड कार्ड–2, माइक स्टैंड –2 से 4, ऑडियो केबल, स्टूडियो और कार्यक्रमों के संपादन के लिए पीसी या लैपटॉप–2, 50 वाटवीएचएफ एफएम ट्रांसमीटर एंटीना, आरएफ केबल्स (आरजी 213) और यूपीएस के साथ रखरखाव मुक्त बैटरी के साथ, एंटीना के लिए टॉवर, जेनरेटर, कार्यालय फर्नीचर आदि। आवश्यक मानव संसाधनों में एक स्टेशन प्रबंधक, उत्पादन प्रभारी, तकनीशियन और रखरखाव इंजीनियर, शोधकर्ता जो समुदाय से नवीनतम जानकारी प्राप्त करता है, कार्यक्रम प्रचार और रिकॉर्डिंग के लिए कई स्वयंसेवक, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता या आरजे या रेडियो जॉकी स्वयंसेवक शामिल होते हैं।

सामुदायिक रेडियो के लाइसेंस के अंतर्गत 100 वॉट (प्रभावी विकिरणित शक्ति – ईआरपी) रेडियो स्टेशन का संचालन होता है, जिनका कार्यक्षेत्र लगभग 12 किलोमीटर की त्रिज्या में हो, यानि इस क्षेत्रफल में रहने वाले जन–समुदाय के अनुरूप कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है। सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को 50 फीसदी कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर, स्थानीय भाषा या बोली में तैयार करने की सलाह दी जाती है जिसमें स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। विकास कार्यक्रम पर जोर दिया जाता है। भारत में सामुदायिक रेडियो पर समाचार कार्यक्रम प्रतिबंधित हैं। हालांकि, सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि खबर की कुछ श्रेणियों को रेडियो पर प्रसारित करने की अनुमति है, जिनमें मौसम की स्थिति के बारे में जानकारी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्यौहारों के कवरेज, शैक्षिक घटनाओं के बारे में जानकारी, सार्वजनिक बिजली और पानी की आपूर्ति जैसी उपयोगिताओं से संबंधित घोषणाएं, आपदा चेतावनी और स्वास्थ्य सूचना आदि शामिल हैं। सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लिए किसी भी स्रोतों से धन जमा करने पर सख्त प्रतिबंध है।

देशभर के सामुदायिक रेडियो कार्यकर्ताओं ने 'कम्युनिटी रेडियो फोरम ऑफ़ इंडिया' के संरक्षण में देश के सामुदायिक रेडियो का एक नेटवर्क स्थापित किया है, ताकि कार्यक्रम निर्माताओं के प्रशिक्षण को समन्वित किया जा सके और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की मदद की जा सके। वर्तमान में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या 262 है। सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 500 करना है। इससे देश में सामुदायिक रेडियो के अभियान को मजबूती मिलेगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट और कम्युनिटी रेडियो फैसिलिटेशन सेंटर वेबसाइट पर जाकर सामुदायिक रेडियो के विषय में अधिक जानकारी ली जा सकती हैः

https://mib.gov.in/

https://www.mib.gov.in/broadcasting/community-radio-stations-0

http://crfc.in/

सामुदायिक रेडियो श्रोता अपने मोबाइल में किसी भी अन्य एफ.एम. रेडियो स्टेशन की तरह सुन सकता है, जिसमें उसे अपनी भाषा में स्थानीय जानकारियों से लेकर अनेक आवश्यक सूचनाएं और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्राप्त होते हैं। आज आवश्यकता है कि अधिक से अधिक ग्रामीण युवाओं को सामुदायिक रेडियो स्टार्ट–अप से जोड़ा जाए और इसके लिए सामुदायिक रेडियो की नीतियों में कुछ बदलाव करने होंगे। अभी तक सामुदायिक रेडियो से बड़ी संख्या में महिला किसान, मछुआरे और ग्रामीण युवा स्वयं सेवक जुड़े हैं जो बगैर वेतन के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सामुदायिक रेडियो की परिभाषा लाभ के सौदे में तो नहीं आती पर यहां कार्य करने वाले तमाम लोगों के वेतन और दैनिक खर्चे की आपूर्ति के लिए विज्ञापनों के समय में बढ़ोत्तरी और आय के अन्य उपायों के विषय में सोचना होगा। अन्यथा सामुदायिक रेडियो स्टेशन का महत्व डिजिटल मीडिया की चकाचौंध में दब जाएगा। आरंभिक पूंजी में स्थानीय प्रायोजकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है।

(लेखक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं एवं विज्ञान संचार के राष्ट्रीय आयोजनों से संबद्ध हैं।)

ई–मेल : **nkapoor/vigyanprasar.gov.in**

कोरोना के खिलाफ कारगर 'योग'

–ईश्वर वी बसवरेड्डी

खुद को स्वस्थ रख कर बीमारियों से बचना आज दुनिया भर में इंसान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। योग इस चुनौती से निपटने में हमारी सहायता करता है। यह शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में मददगार है। यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन का संतुलन बना कर तनाव से मुक्ति दिलाता है। योग शरीर को लचीला बना कर उसे स्वस्थ रखने में भी मदद करता है।

तंदुरुस्ती और रोगों से बचाव के लिए हम सदियों से योग का अभ्यास करते आ हैं। पिछले वर्ष जब भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू हुआ, उस समय योग और पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियां इससे बचाव में बहुत उपयोगी साबित हुईं। देश में लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में बंद लोगों ने योग को सहर्ष अपनाया। कुछ समय पहले आई कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर में तो अस्पतालों और चिकित्सकों ने इलाज के साथ ही योग पर ज़ोर देना शुरू कर दिया है।

21 जून, 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा के बाद इसे विश्व भर में स्वीकृति मिली है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब स्वास्थ्य के लिए वैश्विक आंदोलन बन गया है। हम आज अपनी बहुमूल्य विरासत को विश्व भर में अपनाए जाने पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। योग के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों से इसके क्षेत्र में होने वाले शोधों को बल मिला है। दुनिया भर में अब चिकित्सा के साथ–साथ योग अपनाने पर भी ज़ोर दिया जा रहा है। पिछले छह वर्षों में भारत और समूचे विश्व में योग के संदेश को लोगों तक पहुंचाने और इसके व्यापक प्रसार के लिए आयुष मंत्रालय के प्रयास काफी सराहनीय हैं।

सदियों से चली आ रही यह परंपरा आज भी भारतीयों की जीवनशैली का हिस्सा बनी हुई है। इसका कारण यह है कि योग मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। योग के विभिन्न दर्शनों और गुरू–शिष्य परंपरा के कारण विभिन्न पारंपरिक स्कूलों का उदय हुआ है। प्रत्येक स्कूल का अपना दृष्टिकोण और अभ्यास होता है। व्यापक रूप से प्रचलित योग साधनाएं हैं– यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि बंध और मुद्राएं।

सामान्य रूप में योग को आध्यात्मिक रूप में देखा जाता है या फिर स्वयं को चुस्त–दुरस्त रखने के लिए एक व्यायाम के रूप में। इससे अलग हटकर योग का उपयोग चिकित्सा में भी है जिसे योग चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। अनादिकाल से सतत

अभ्यास, चिंतन–मनन के जरिए ही इस योग थेरेपी का विकास हुआ है। वर्तमान में योग थेरेपी न सिर्फ महामारी से लड़ने में मानव को सक्षम बना सकती है बल्कि स्वास्थ्य को नए आयाम में भी परिभाषित कर सकती है।

योग अनिवार्य रूप से सूक्ष्मविज्ञान पर आधारित आध्यात्मिक अनुशासन है। यह मन और शरीर के बीच तालमेल बनाने के साथ ही विचार और क्रिया, संयम और पूर्ति, मानव और प्रकृति, स्वास्थ्य और कुशलता के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है। योग स्वस्थ जीवन जीने की कला और विज्ञान है।

प्राचीनकाल से लेकर आज तक प्रसिद्ध योग गुरुओं की शिक्षा से योग पूरे विश्व में फैल गया है। अब लोग बीमारियों की रोकथाम, प्रबंधन और स्वस्थ रहने के लिए योग पर विश्वास करने लगे हैं। दुनिया भर में लाखों लोग योग के अभ्यास से लाभान्वित हुए हैं। इसी वजह से योग का अभ्यास फल–फूल रहा है और अधिक जीवंत होता जा रहा है।

वर्तमान महामारी में योग की भूमिका

कोरोना जैसी घातक महामारी से उबरने की कोशिश के संदर्भ में योग अत्यंत उपयोगी हो गया है। जन स्वास्थ्य, निवारक दवा, शारीरिक और मानसिक दोनों मोर्चों पर व्यक्तिगत देखभाल पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। नियमित रूप से योग अभ्यास करने से कोविड–19 से पीड़ित उन हजारों लोगों को राहत मिली है जिन्होंने बीमारी के विभिन्न प्रतिकूल प्रभावों से पूरी तरह से मुक्त होने में योग की सहायता ली।

प्राणायाम (नाड़ीशोधन, उज्जयी, भ्रामरी आदि) का सही संयोजन कोविड–19 संक्रमण को कम करने में एक व्यापक हस्तक्षेप का ज़रिया बनता है। यहां जरूरत है सचेत रहते हुए गहरी, धीमी, लयबद्ध सांस लेने पर जोर देने की। सोने से पहले 15 मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास (अनुलोम–विलोम प्राणायाम) नींद की गहराई को बढ़ाता है जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। योग अभ्यास को नियमित रूप से करने से लोगों को सामान्य स्वास्थ्य और प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करने में मदद मिलेगी और इस तरह से योग घातक बीमारियों के खिलाफ एक निवारक उपाय के रूप में काम करेगा।

एक चिकित्सा के रूप में योग

एक चिकित्सा (थेरेपी) के रूप में योग का अभ्यास अब दुनिया के कई हिस्सों में चिकित्सा की अन्य पद्धतियों के विकल्प के रूप में किया जा रहा है। योग करने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। योग अभ्यास के कई लाभों में से एक रक्तचाप नियंत्रण है जिसका सबसे अधिक अध्ययन किया गया है। रक्तचाप और अन्य हृदय रोगों के जोखिम को कम करने के लिए योग के संभावित लाभों के कई रिव्यू हैं लेकिन अभी यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि योग चिकित्सा से किस हद तक रक्तचाप को नियंत्रित किया जा सकता है या इसके अन्य कारगर फायदे क्या हैं।

योग चिकित्सा से टाइप–2 मधुमेह वाले वयस्कों की ग्लूकोज़ सहिष्णुता और इंसुलिन संवेदनशीलता, लिपिड प्रोफाइल, मानवमिति और रक्तचाप जैसे सूचकांकों में सुधार देखा गया है। इससे ऑक्सीडेंट डेमेज में कमी पाई गई है। यह भी पाया गया है कि योग के अभ्यास से मधुमेह के रोगियों की दवा पर निर्भरता को कम किया जा सकता है और यह मधुमेह से प्रभावित लोगों में हृदय संबंधी रोगों को रोकने और नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। जीवनशैली और मांसपेशियों, अस्थियों से संबंधित बीमारियों के बेहतर प्रबंधन में योग चिकित्सा के प्रभाव को साबित करने के लिए पीयर रिव्यूड जर्नल में कई शोध प्रकाशित हुए हैं।

एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए समग्र जीवनशैली अपनाना और आहार, व्यायाम आदि का पालन करना ज़रूरी है। आधुनिक समाज वर्तमान में जीवनशैली संबंधी विकारों की महामारी का सामना कर रहा है जिससे बचने के लिए स्वयं व्यक्तियों को सचेत रूप से खुद में बदलाव लाने होंगे। योग एक उचित और स्वस्थ जीवनशैली को बहुत महत्व देता है।

योग के मुख्य घटक

1. आहार : योग एक स्वस्थ, पौष्टिक आहार पर ज़ोर देता है जिसमें ताज़ा भोजन, हरा सलाद, अंकुरित भोजन, अपरिष्कृत अनाज और ताज़े फलों के संतुलित सेवन के साथ पर्याप्त मात्रा में ताज़े पानी का सेवन शामिल है। प्यार और स्नेह के साथ तैयार और परोसे जाने वाले सात्विक आहार के बारे में सजग रहना भी ज़रूरी है।

2. विहार : अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर और दिमाग को आराम देने के लिए उचित मनोरंजक गतिविधियां ज़रूरी हैं। इसमें उचित विश्राम, क्रिया–वाक–विचारों और सामूहिक गतिविधियों में शांति बनाए रखना शामिल है जिसमें व्यक्ति अहम की भावना खो देता है। कर्म योग अहम की भावना को खोने और सार्वभौमिकता की भावना प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट तरीका है।

3. आचार : व्यायाम जैसी स्वस्थ गतिविधियों के महत्व पर भी योग ज़ोर देता है और नियमित रूप से आसन, प्राणायाम और क्रियाओं की सिफारिश करता है। सांस और हृदय के स्वास्थ्य को ऐसी गतिविधियों से बल मिलता है।

4. विचार : कुशल–क्षेम के लिए सही विचार और जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। नैतिक रूप से संयम और नियम (यम और नियम) का पालन करने से मन संतुलित रहता है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, "इस दुनिया में हर किसी की ज़रूरत पूरी हो सकती है लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के लालच की पूर्ति नहीं हो सकती"।

योग चिकित्सा के सिद्धांत और अवधारणा

- चित्त–वृत्तिनिरोध, क्रियायोग और अष्टांग योग सिद्धांत जैसा कि पतंजलि के योग सूत्रों में मिलता है।
- उपनिषदों में पाए जाने वाले "पंचकोश" (पांच स्तर/शरीर) का सिद्धांत।

- पतंजलि योग सूत्र और हठयोग में विभिन्न प्रकार के शुद्धि के सिद्धांत।
- हठयोग और कुंडलिनी योग में पाए जाने वाले वायु और प्राण (नाड़ी शुद्धि) के अवरुद्ध चैनल को खोलने, कमल और चक्र, प्राणायाम, मुद्रा और दृष्टि को खोलने के सिद्धांत।
- पतंजलि योग सूत्र, मंत्र योग और हठयोग की तर्ज पर मन से काम करना।
- भगवद्गीता से कर्म–ज्ञान–भक्ति की तर्ज पर काम करना।
- तंत्र योग के कुछ पहलुओं को भी विभिन्न योग अभ्यासों में एकीकृत किया जाता है।

शरीर को शुद्ध करने के उपाय

हठयोग का उद्देश्य शरीर, मन और ऊर्जा की गतिविधियों और प्रक्रियाओं के बीच संतुलन बनाना है। मानव चेतना के विकास के लिए ज़िम्मेदार सुषुम्ना नाड़ी को जगाने में यह संतुलन मदद करता है। इसमें चक्रों और नाड़ियों की शुद्धि ही पहला कदम है।

शरीर से अशुद्धियों को पूरी तरह से हटाने के लिए नाड़ियों को छह अलग–अलग तरीकों से शुद्ध किया जाता है जो प्राण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाता है। इन शुद्धिकरण प्रक्रियाओं को छह वर्गों में बांटा गया है और इसलिए उन्हें अक्सर षटक्रिया या षटकर्म कहा जाता है। ये षटक्रियाएं हैं–

1. धौती 2. बस्ती 3. नेति 4. त्राटक 5. नौली 6. कपालभाति

शुद्धि–क्रियाओं के मुख्य प्रभाव

1. शरीर के अंगों की सफाई, सक्रियता और पुनरोद्धार
2. अंगों के कार्यों को टोन करना
3. डिसेन्सिटाइज़ेशन
4. आंतरिक सजगता का विकास

ज्ञान योग का अभ्यास

विज्ञान के वर्तमान युग ने मनुष्य को एक तार्किक प्राणी बना दिया है। ज्ञान योग वास्तविक और असत्य प्रकृति के बीच भेद करने में मदद करता है क्योंकि गलत ज्ञान के कारण सांसारिक घटनाओं को सत्य मान लिया जाता है जबकि ऐसा है नहीं। ज्ञानयोग का मार्ग बुद्धिजीवियों के लिए उपयुक्त है और उपनिषदों के महत्वपूर्ण योगदान 'वास्तविकता और खुशी' के विश्लेषण पर केंद्रित है। इसमें मन, बाहरी और आंतरिक दुनिया से संबंधित कई अन्य मूलभूत प्रश्न उठाए जाते हैं। बुद्धि के मूल आधार तक पहुंचने के लिए बुद्धि को भी शामिल करते हुए बुनियादी प्रश्न उठाए जाते हैं।

कर्मयोग का अभ्यास

इस मार्ग में कर्म के फल के प्रतिवैराग्य की भावना के साथ क्रिया करना शामिल है। इससे मनुष्य अपने आप को आसक्तियों से मुक्त करता है जिससे उसके मन में एक स्थिरता आती है, जो वास्तव में योग है। 'समत्वं योगः उच्यते'। क्रिया और समझ के साधन (कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय) शुद्ध हो जाते हैं (भगवद्गीता 2.48,49)।

भक्ति योग का अभ्यास

भावनाओं पर नियंत्रण पूजा के मार्ग की कुंजी है जिसमें परमात्मा से शुद्ध प्रेम शामिल है और पूर्ण समर्पण इसकी विशेषता है। भक्ति का मार्ग इसमें शामिल ऊर्जा का उचित उपयोग करके भावनात्मक अस्थिरता पर नियंत्रण पाने का वरदान है। योग मूल रूप से एक निवारक जीवन विज्ञान है और इसलिए सभी जीवनशैली विकारों से निपटने के लिए योग परामर्श भी योग चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण घटक है। परामर्श प्रक्रिया एकतरफा मामला नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है जो पहली मुलाकात से शुरू होती है और विभिन्न स्तरों पर प्रत्येक सत्र के साथ जारी रहती है। रोगियों को उनकी स्थिति को समझने में मदद करना, समस्या के मूल कारण का पता लगाना और उनके लिए खुद को बदलने के लिए एक स्वस्थ अवसर पैदा करना, चिकित्सक का धर्म है। धर्म ने परिभाषित किया है कि सही व्यक्ति के लिए सही जगह पर और सही समय पर सही तरीके से सही काम करना। इन योग चिकित्सा पद्धतियों के लाभों को देखना शुरू करने में हमें कई महीने लग सकते हैं।

योग की क्रिया का तंत्र

निम्नलिखित कुछ तंत्र हैं जिनके माध्यम से योग एक एकीकृत मन–शरीर औषधि के रूप में कार्य करता है:

1. विभिन्न शुद्धि क्रियाओं के माध्यम से संचित विषाक्त पदार्थों को साफ करने और सूक्ष्म व्यायाम (शरीर के सभी अंगों के लिए सहज गति) के माध्यम से सहजता के बोध का विकास होता है। यह कई संक्रमणों को रोकता है।

2. उचित पौष्टिक आहार के साथ एक योगिक जीवनशैली को अपनाने से सकारात्मक एंटीऑक्सीडेंट की वृद्धि होती है और इस प्रकार शरीर में मुक्त कणों (रेडिकल्स) को निष्क्रिय कर देता है। सक्रिय पोषक तत्वों को एनाबॉलिक, रिपेरेटिव और उपचार प्रक्रियाओं पर काम करने में सक्षम बनाता है।

3. बिना किसी तनाव के स्थिर और आरामदायक तरीके के विभिन्न शारीरिक आसन के जरिए पूरे शरीर को स्थिर करता है। शारीरिक संतुलन और स्वयं के साथ सहजता की भावना मानसिक/भावनात्मक संतुलन को बढ़ाती है और सभी शारीरिक प्रक्रियाओं को स्वस्थ तरीके से संचालित होने में सक्षम बनाती है।

4. योग स्वायत्त श्वसन तंत्र पर नियंत्रण में सुधार करता है। यह श्वास पैटर्न ऊर्जा उत्पन्न करता है और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ाता है। मन और भावनाएं हमारे सांस लेने के पैटर्न और गति से संबंधित हैं और इसलिए सांस लेने की प्रक्रिया का धीमा होना स्वायत्त कामकाज, पाचन प्रक्रियाओं के साथ–साथ भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को भी प्रभावित करता है।

5. योग सांस के साथ शरीर की गतिविधियों को एकीकृत करता है जिससे मन और शरीर का तालमेल बनता है। योग में भौतिक शरीर का संबंध अन्नमय कोष (हमारे शारीरिक अस्तित्व) से और मन का संबंध मनोमय कोष (हमारे मनोवैज्ञानिक अस्तित्व) से

है। प्राणायाम कोष (श्वास की ऊर्जा द्वारा कायम हमारा शारीरिक अस्तित्व) उनके बीच में है। सांसों के जरिए ही मन और शरीर के बीच संतुलन बनता है।

6. यह मन को सकारात्मक रूप से की जाने वाली गतिविधियों पर केंद्रित करता है। ऊर्जाप्रवाह को बढ़ाता है जिसका परिणाम शरीर के विभिन्न हिस्सों और आंतरिक अंगों में स्वस्थ परिसंचरण के रूप में सामने आता है। जहां मन जाता है, वहां प्राण प्रवाहित होता है।

7. योग चिंतनशील प्रथाओं के माध्यम से एक शांत आंतरिक वातावरण बनाता है जो बदले में होमोस्टैटिक तंत्र के सामान्यीकरण को सक्षम बनाता है। योग सभी स्तरों पर संतुलन या समत्व के बारे में है। मानसिक संतुलन शारीरिक संतुलन पैदा करता है और इसके विपरीत भी शारीरिक संतुलन से मन भी संतुलित होता है।

8. शारीरिक और मानसिक तकनीकों के माध्यम से शरीर–भावना–दिमाग को आराम देता है जो बाहरी और आंतरिक तनावों के जवाब में हमारे दर्द की सीमा और मुकाबला करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। यह जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है जैसा कि कई गंभीर रोगों के मामलों में देखा गया है जहां अन्य उपचार कोई सांत्वना देने में सक्षम नहीं होते।

9. यम–नियम और विभिन्न यौगिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से जीवन और नैतिक जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण के माध्यम से आत्मविश्वास और आत्मबल को बढ़ाता है। विश्वास, आत्मविश्वास और आत्मबल ही कायाकल्प और स्फूर्ति के लिए सबसे जरूरी हैं।

10. मनोवैज्ञानिक–तंत्रिका तंत्र–प्रतिरोधक क्षमता–एंडोक्राइन पर विशेष ज़ोर देते हुए योग मानव शरीर की सभी प्रणालियों को सामान्य करने की दिशा में काम करता है। अपनी निवारक और पुनर्स्थापना क्षमताओं के अलावा योग का उद्देश्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाना भी है जिससे हमें अपने जीवन में सामने आने वाली स्वास्थ्य चुनौतियों से पार पाने में मदद मिलती है। बेहतर स्वास्थ्य की यह अवधारणा आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल में योग के अद्वितीय योगदानों में से एक है क्योंकि योग की लोगों की स्वास्थ्य में निवारक और साथ ही प्रोत्साहन दोनों भूमिका है। यह सस्ता भी है और रोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य की अन्य प्रणालियों के साथ मिलाकर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

क्लेश और वृत्ति के प्रबंधन में योग के सिद्धांत

योग स्वयं के वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति कीदिशा में एक मार्ग है और इस आध्यात्मिक लक्ष्य की तलाश में योग के अभ्यासियों ने अनादिकाल से इस कला और विज्ञान को विकसित किया है। योग स्वयं की वास्तविक प्रकृति है।

यह एक सतत अनुभव का मार्ग है जो चेतना की विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए अंततः यर्थाथ या कैवल्यम के रूप में परिभाषित अनंत शुद्ध चेतना में समाहित हो जाता है।

कैवल्यम की यह अवस्था 'चित्तवृत्ति–निरोध' या सभी मानसिक प्रक्रियाओं के समाप्त होने से ही प्राप्त की जा सकती है। पतंजलि पहले कदम के रूप में मैत्री (उन लोगों के प्रति मित्रता जो स्वयं के साथ सहज हैं), करुणा (पीड़ितों के प्रति संवेदना), मुदिता (पुण्यों के प्रति प्रसन्नता) और उपेक्षणम (बुराई की उपेक्षा और परिहार) जैसे सही मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास की वकालत करते हैं और फिर चित्तवृत्तिविनिरोध की अवस्था को प्राप्त करने केलिए अभ्यास–वैराग्य, अष्टांगयोग और क्रियायोग के अभ्यास का सुझाव देते हैं। अभ्यास धैर्य और दृढ़ता के साथ नियमित/समयनिष्ठ अभ्यास है और वैराग्य सभी सांसारिक चीजों और जीवन के सभी सुखों के प्रति आसक्ति और भोग से एक आभासी स्वतंत्रता को दर्शाता है। अभ्यास और वैराग्य के अभ्यास से विवेकपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है।

क्रिया योग के तीन भाग

1. इंद्रियों को प्रशिक्षित करना और शुद्ध करना (तप)
2. शिक्षाओं के संदर्भ में स्वाध्याय (स्वाध्याय)
3. भक्ति और स्वयं को उस रचनात्मक स्रोत में जाने देना जिससे हम उभरे हैं (ईश्वर प्राणिधान)। वैराग्य और क्रिया योग दोनों का अभ्यास स्थूल और सूक्ष्म विचार पैटर्न (वृत्ति और कलेश) को कम करता है, जैसे कि इंद्रियों के साथ बातचीत के माध्यम से विचार/जानकारी। यह क्लेश को तनु नामक एक क्षीण अवस्था में कम कर देता है, जबकि आवेगशीलता क्लेश कम हो जाते हैं। इसके बाद पतंजलि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान जैसे अष्टांग योग के अभ्यास की वकालत करते हैं जो समाधि की स्थिति में ले जाता है और प्रज्ञा के प्रकाश के साथ क्षीण क्लेश को जला देता है। ज्ञान को ऋतंभरा प्रज्ञा (पीवाईएस, 1.48) के रूप में जाना जाता है, जो पुरुष की वास्तविक प्रकृति और विवेक–ख्याति के रूप में जानी जाती बुद्धि से अलग है।

इस प्रकार, व्यापक और समग्र होने के कारण योग स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवनशैली के लिए एक सटीक माड्यूल है। स्वास्थ्य के योगिक सिद्धांत वेलनेस या क्षेम को मजबूत और विकसित करने में मदद करते हैं जिससे हम तनाव का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। इस यौगिक "स्वास्थ्य बीमा" को तनाव की धारणा को सामान्य करके, प्रतिक्रिया को तनाव के प्रति बेहतर बनाकर और विभिन्न योगभ्यासों के अभ्यास के माध्यम से प्रभावी ढंग से तनाव से मुक्त होकर हासिल किया गया है। योग का नियमित अभ्यास लोगों को प्रतिरोधक क्षमता, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार में मदद करेगा और इस प्रकार महामारी के खिलाफ एक निवारक उपाय के रूप में काम करेगा।

संदर्भः i) पारंपरिक योग ग्रंथ ii) डॉ एम वी भोले के टीचिंग नोट्स/लेख

(लेखक मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार में निदेशक हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी है।)

ई–मेल : ibasavaraddi@yahoo.co.in

ग्रामीण विकास में कृषि की भूमिका

–अशोक सिंह

यूं तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही निरंतर देश ने कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति की है लेकिन हाल के वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में देश ने नई ऊंचाईयां हासिल की हैं। देश के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित उन्नत कृषि तकनीकियों और किसानों द्वारा इन्हें अपनाने से खाद्यान्न ही नहीं बल्कि फल–सब्जियों तथा बागानी फसलों के उत्पादन में भी विश्व में गौरव पताका फहराने में भारत ने सफलता की नई मिसाल कायम की हैं। भारत, आज विश्व का शीर्ष फल उत्पादक देश बन चुका है और सब्जी उत्पादन में भी शीर्ष देशों में गिनती होती है। हरित क्रांति के बाद श्वेत क्रांति, नीति क्रांति, पीली क्रांति जैसी अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियां भी कृषि विकास की परिचायक हैं। देश के आर्थिक विकास में योगदान के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली बहुसंख्यक आबादी की उन्नति में भी कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

भारतीय संदर्भ में बात करें तो कृषक और ग्रामीण भारत को एक ही सिक्के के दो पहलू के तौर पर देखा जा सकता है। इसके पीछे सहज और सरल कारण है देश की 60 प्रतिशत (वर्ष 2011 जनगणना) से अधिक आबादी की कृषि पर निर्भरता। दूसरे शब्दों में यह कहना गलत नहीं होगा कि कृषि की चहुंमुखी प्रगति से सीधे तौर पर ग्रामीण विकास जुड़ा हुआ है। ग्रामीण जनसंख्या वर्तमान में भी शहरी आबादी की तुलना में कहीं अधिक है। वर्ष 2019 में विश्व बैंक द्वारा जारी अनुमान के अनुसार यह संख्या 85 करोड़ से भी अधिक बताई गई थी। इनमें से अधिकांश लोगों की आजीविका के लिए कृषि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्भरता किसी से छिपी हुई नहीं है। निकट भविष्य में इस स्थिति में बहुत अधिक बदलाव की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि इसके उलट कोरोना काल में शहरों से बड़ी संख्या में लोगों का गांवों की ओर पलायन होने से यह अनुपात और ज्यादा भी हो सकता है।

कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान

हालांकि यह सही है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृषि की देश की सकल घरेलू उत्पादन (GDP) में भागीदारी लगभग 51.9 प्रतिशत (CSO द्वारा जारी आंकड़े) थी जोकि वर्ष 2012–13 में घटकर 13.7 प्रतिशत के निम्नतम–स्तर तक जा पहुंची थी। वर्ष 2020–21 के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर बात करें तो 17 वर्षों (यानी कि वर्ष 2003–04) के बाद देश के सकल घरेलू उत्पादन (GDP) में कृषि की भागीदारी बढ़कर 19.9 प्रतिशत पर जा पहुंची है। इस तथ्य से समूचे देश की अर्थव्यवस्था का कृषि पर निर्भरता का आभास होता है। यहां पर गौरतलब है कि इस कोरोना संकट की अवधि में अन्य सेक्टर्स की विकास दर काफी नीचे रही थी वहीं दूसरी ओर, कृषि विकास दर 3.4 प्रतिशत के स्तर पर बनी रही। यह देश में कृषि क्षेत्र की क्षमता को इंगित करता है।

नई कृषि तकनीक से बदली तकदीर

मेरठ ज़िले के लावड़ गांव के किसान इरशाद अहमद ने अपनी इच्छाशक्ति के बल पर न केवल अपनी तकदीर बल्कि पूरे इलाके की तस्वीर बदल डाली। दूर–दूर से किसान उनके खेत देखने व उनसे खेती के गुर सीखने आते हैं। उन्होंने कृषि की उन्नत तकनीक अपनाकर पेड़ी गन्ने से सर्वाधिक 1,600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की रिकॉर्ड पैदावार लेने में कामयाबी हासिल की और यह साबित करके दिखा दिया कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास विभाग ने उन्हें प्रोत्साहित भी किया। अपनी मेहनत व सूझबूझ से उन्होंने वर्ष 2009 की राज्य गन्ना प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। इसके लिए 23 दिसंबर, 2009 को सरदार बल्लभभाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ में आयोजित एक समारोह में उन्हें प्रशस्ति–पत्र, स्मृति चिह्न एवं दस हज़ार रुपये का चेक देकर सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया।

इरशाद ने गन्ना उत्पादन में नई तकनीक ट्रैंच विधि को अपनाया है। इस तरीके से गन्ना बोने में गन्ने की आंख के तीन टुकड़े लंबाई में डालने की जगह दो टुकड़े नालियों में चौड़ाई में अगल–बगल में डाले जाते हैं। गन्ना शोध वैज्ञानिकों के मुताबिक ट्रैंच विधि से बुआई करने में गन्ने की पैदावार में 40 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी होती है। साथ ही इरशाद अहमद ने गन्ने की 2 नालियों के बीच में बची हुई 90 सें.मी. की खाली जगह में गेंदे के फूलों की खेती शुरू की है। गेंदे की खुशबू से एक तो गन्ने की फसल में कीड़े लगने का ख़तरा घटता है, साथ में फूलों की बिक्री से आमदनी में भी बढ़ोत्तरी हुई है। उन्हें देखकर दूसरे किसान भी प्रेरणा लेने लगे हैं।

कृषि और ग्रामीण विकास : यह निर्विवादित सत्य है कि मानव विकास के साथ ही कृषि का भी सतत विकास होता रहा है। घुमंतू जीवन से निकलकर समुदाय और गांव बसाकर आहार के लिए खेती के महत्व को काफी पहले से समझ लिया गया था। तत्कालीन समय में समूचे गांव की अर्थव्यवस्था की धुरी कृषि के इर्द–गिर्द ही घूमती थी और आज भी कमोबेश वही स्थिति बनी हुई है। आहार, आजीविका साधन, पशुपालन से लेकर अन्य सभी ज़रूरी वस्तुओं की मांग किसी–न–किसी रूप में कृषि से संबंधित है। यही नहीं, भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में बहुसंख्यक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहती है और वहां की सरकारें भी ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाती हैं। इस क्रम में कृषि आधारित बुनियादी ढांचे, सब्सिडी आदि पर काफी निवेश भी किया जाता है, ताकि स्थानीय कृषकों को इसका उत्पादन प्रक्रिया में लाभ मिले। विकासशील देशों में संसाधनों के अभाव में सरकारें चाहकर भी समुचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पाती हैं। ऐसे में किसानों को सामुदायिक आधार पर या व्यक्तिगत तौर पर प्रयास कर संसाधन जुटाने या इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के प्रयास करने पड़ते हैं। प्रायः यह देखने में आता है कि ऐसे प्रयासों के नतीजे अत्यंत उत्साहवर्धक और सकारात्मक होते हैं। इन संसाधनों का लाभ सामुदायिक–स्तर पर स्थानीय लोगों को मिलता है। इतना ही नहीं रोज़गार के अवसर, आमदनी में बढ़ोत्तरी और साथ ही जीवन–स्तर में भी बदलाव दिखाई पड़ने लगता है।

टिकाऊ एवं समग्र ग्रामीण विकास : शुरुआत में यह स्पष्ट करना ज़रूरी है कि टिकाऊ ग्रामीण विकास की कसौटी किन लक्ष्यों एवं मानकों पर आधारित है। बुनियादी तौर पर ग्रामीण इलाके के भीतर होने वाले अवसंरचनात्मक विकास सहित अन्य प्रकार के संसाधनों की निरंतर बढ़ती उपलब्धता को मोटे तौर पर विकास की परिभाषा में शामिल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कृषि प्रगति, वित्तीय एवं सामाजिक ढांचे की स्थापना, रोज़गार सृजन, भूमिहीन किसानों के लिए पर्याप्त खाद्य एवं आवास की सुनिश्चितता आदि भी इसके अहम् हिस्से हैं। सरल शब्दों में बात करें तो ग्रामीण विकास से आशय है आर्थिक प्रगति, ग्रामीण लोगों की आय में सतत वृद्धि, राजनीतिक एवं सामाजिक तौर पर स्वतंत्रता तथा शिक्षा, चिकित्सा सहित अन्य सुविधाओं और संसाधनों तक आसानी से पहुंच।

आमदनी बढ़ाने में सहायक कृषि : कृषि उत्पादन और इससे जुड़े द्वितीयक उद्योग (प्रसंस्करण ,पशुपालन, मछली पालन) ग्रामीण लोगों के लिए न सिर्फ आजीविका अर्जन हेतु प्रभावी माध्यम उपलब्ध करवाते हैं बल्कि रोज़गार सृजन के भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वैज्ञानिक खेती के प्रति निरंतर बढ़ती जागरूकता और अधिकाधिक किसानों द्वारा परंपरागत खेती के तौर–तरीकों के बदले आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने में दिलचस्पी दिखाने के फलस्वरूप हाल के वर्षों में तमाम फसलों की उत्पादकता में काफी बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। नतीजतन कम निवेश में अधिक लाभ पाने के अवसरों में भी आशातीत वृद्धि किसानों के लिए एक नया अनुभव सिद्ध हो रहा है। प्रयोगधर्मी एवं प्रगतिशील किसानों द्वारा अमूमन इस तरह का जोखिम उठाया जाता है और उनकी सफलता को देखकर आसपास के किसान भी सहज ही इस ओर आकर्षित होकर खेती की तकनीकों को अपनाना शुरू कर देते हैं। हाल के वर्षों में तमाम ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं जिनमें किसानों की सफलता गाथाओं से प्रेरित होकर समूचे गांव में परिवर्तन की बयार बहने लगती है। विश्व बैंक द्वारा भी इस बारे में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास में उच्च दर होने से ग्रामीण निर्धनता को प्रभावी एवं समग्र रूप से दूर करने में महत्वपूर्ण मदद मिलती है।

ग्रामीण विकास में कृषि प्रसार तंत्र की अहम भूमिका

कृषि अनुसंधानशालाओं में वैज्ञानिकों की अथक मेहनत से विकसित नई कृषि तकनीकियों, फसल प्रणालियों, नई एवं उन्नत किस्मों सहित अन्य जानकारियों को ज़मीनी–स्तर तक लाने और किसान समुदाय को इनसे परिचित करवाने का दायित्व कृषि प्रसार से जुड़े ट्रेंड कर्मियों द्वारा व्यापक स्तर पर किया जाता है। ये किसानों के बीच रहकर उनको उन्नत तकनीकियों के फायदे और इनके प्रयोग से सम्बंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण देने में अत्यंत प्रभावी

भूमिका निभाते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं कि इन सूचनाओं और जानकारियों का टिकाऊ एवं सतत उत्पादन में बढ़ोत्तरी के रूप में दूरगामी एवं स्थायी प्रभाव किसानों की ज़िंदगी पर पड़ता है। इस क्रम में मानव श्रम दक्षता में सुधार के रूप में एक अन्य सकारात्मक पहलू भी उभरकर सामने आता है। संक्षेप में कहा जाए तो समग्र ग्रामीण विकास का आधारभूत ढांचा तैयार करने में कृषि प्रसार तंत्र की अहम हिस्सेदारी होती है।

ग्रामीण विकास की बुनियादी चुनौतियां

1. अशिक्षा : ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षर आबादी आज भी कम नहीं है। यही कारण है कि ये समय रहते सही एवं उपयुक्त निर्णय करने में अक्सर असफल रहते हैं और गरीबी के साये से चाह कर भी बाहर निकल नहीं पाते।

2. परंपरागत कृषि से जुड़ाव : जैसाकि पहले भी उल्लेख किया गया है कि अधिकांश ग्रामीण आबादी की आय का मूल स्रोत कृषि एवं इससे संबद्ध व्यवसाय हैं। इसका मतलब साफ़ है कि बिना कृषि उन्नति के लोगों की आय में वृद्धि संभव नहीं है। लकीर के फ़कीर बने रहने वाले किसानों की दरिद्री का भी संभवतः यही कारण बताया जा सकता है जिसमें कि वे परंपरागत कृषि को त्यागकर वैज्ञानिकों द्वारा सुझाई गई तकनीकों और फसलक्रमों को अपनाने को आसानी से तैयार नहीं होते।

3. संसाधनों का अभाव : अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में जल सिंचाई, विद्युत आपूर्ति, ऋण एवं उत्पादों के विक्रय हेतु बाज़ार सुविधाओं आदि का अभाव बना हुआ है। सीमित संसाधनों के बूते किए गए सरकारों के विभिन्न प्रयासों के बावजूद स्थितियों में बहुत बदलाव नहीं हो सका है। सिंचाई साधनों की कमी और मानसून पर निर्भरता के कारण अधिकांश किसान ज़्यादा जोखिम उठाने से डरते हैं और आधुनिक कृषि की तकनीकों को अपनाने से हिचकिचाते हैं।

4. निम्न कृषि उत्पादकता : भारत द्वारा निरंतर कृषि उत्पादन का रिकॉर्ड बनाने के बावजूद यह कटु सत्य है कि विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में कई महत्वपूर्ण फसलों और कृषि उत्पादों के मामले में देश की औसत उत्पादकता काफी कम है। समय रहते इसमें बढ़ोत्तरी करनी ज़रूरी है ताकि कम–से–कम लागत में अधिकाधिक उत्पादन लिया जा सके। इससे किसानों की आमदनी में वृद्धि के साथ रोज़गार के नए अवसर भी बढ़ेंगे।

5. जलवायु परिवर्तन : वैश्विक–स्तर पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कृषि ही नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। विशेषज्ञों की राय में कृषि उत्पादन पर इसके प्रतिकूल प्रभावों के कारण फसल उत्पादन में बड़े पैमाने पर कमी आने की आशंका है। इसी कारणवश दुनियाभर में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल फसल प्रणालियों और तकनीकों के विकास पर ज़ोर दिया जा रहा है ताकि फसलोत्पादन पर पड़ने वाले प्रतिकूल असर को कम–से–कम किया जा सके, अन्यथा मानव आबादी के लिए निकट भविष्य में खाद्य सुरक्षा का संकट खड़ा हो सकता है।

6. जल की कमी : कृषि क्षेत्र, जल का सबसे बड़ा उपभोगकर्ता है। बढ़ते जल संकट की वजह से जल का अत्यधिक इस्तेमाल करने वाली फसलों (धान, गन्ना आदि) का अस्तित्व संकट में आ सकता है वैज्ञानिक कम–से–कम जल के प्रयोग से उत्पादन की नई विधियां और ऐसी ही उपयुक्त किस्मों के विकास पर निरंतर कार्यरत हैं।

7. भंडारण और परिवहन सुविधाओं का अभाव : अक्सर यह देखने में आता है कि बम्पर फसल उत्पादन की स्थिति में किसानों को मजबूरन इतनी कम कीमत पर अपनी फसलों (खासतौर पर सब्जियां और फल जैसे तुरंत ख़राब होने वाले उत्पाद) को बेचना पड़ जाता है कि उनकी लागत तक नहीं निकल पाती। ऐसा शीत भंडारण सुविधा तथा बाज़ार तक उत्पादों को पहुंचाने संबंधित समुचित परिवहन संसाधनों के अभाव में होता है।

8. स्वास्थ्य एवं शिक्षण सुविधाओं की कमी : देश में 2011 की जनगणना के अनुसार करीब साढ़े छह लाख गांव हैं। इनमें छोटे और बड़े, हर तरह के गांव शामिल हैं। इनमें बहुत से गांव/ग्रामीण क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधा का अभाव है। ऐसे में निर्धनता की स्थिति और संसाधनों की कमी देखने को मिलती है। इसका परिणाम स्थानीय लोगों के गिरते स्वास्थ्य तथा अशिक्षा के रूप में देखा जा सकता है।

इनके अलावा भी कई अन्य कारण हैं जिनसे कृषि उत्पादन

पांच सौ किसानों को सिखा चुके हैं नगदी खेती के गुर

चम्बा ब्लॉक में चोपड़ीयाल गांव के 70 वर्षीय मंगलानंद डबराल ने न सिर्फ पहाड़ में खेती के तौर–तरीके बदल अपनी आर्थिक स्थिति को मज़बूत बनाया है बल्कि अन्य किसानों को भी प्रेरित किया है। नतीजा आज क्षेत्र में करीब पांच सौ किसान नगदी फसलों का उत्पादन कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। मंगलानंद, किसानों को कीवी उत्पादन के लिए निरंतर प्रेरित कर रहे हैं। खुद पांचवीं पास डबराल ने साबित कर दिया शिक्षा का अर्थ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। अनुभवों का निचोड़ ही असल शिक्षा है।

यही वजह है कि क्षेत्र के कृषि अधिकारी भी उनसे सलाह–मशविरा करने से नहीं हिचकिचाते। नगदी फसल और बागवानी के लिए प्रसिद्ध चम्बा– मसूरी फलपट्टी को विकसित करने में मंगलानंद डबराल का भी योगदान है।

उन्हें नौकरी के दौरान विचार आया कि पारंपरिक फसलों की बजाय कुछ हटकर किया जाए। इसी के साथ शुरू हुआ आलू, मटर, बीन, गोभी और मूली का उत्पादन। वे बताते हैं कि इससे मुनाफा तो हुआ, लेकिन पानी की कमी से सिंचाई की दिक्कत रही। इस पर उन्होंने वर्षा जल संग्रहण की योजना बनाई। जल संग्रहण के लिए टैंकों का निर्माण कराया तो समस्या का समाधान भी हो गया। डबराल खेतों में शुरू से ही जैविक खाद इस्तेमाल करते रहे हैं। उनके अनुसार 'पांच साल पहले मैंने कीवी उत्पादन की तैयारी की, शुरुआत में मुश्किल भी हुई। फिर पॉलीहाउस में तापमान नियंत्रित कर नर्सरी तैयार की। आज एक फसल से सौ क्विंटल कीवी मिल रही है।"

महिलाओं की कृषि में बढ़ती भागीदारी

वर्ष 2018 के आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि देश में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी (80 प्रतिशत) तेज़ी से बढ़ी है। इनकी भूमिका स्वरोज़गाररत कृषक महिला (48 प्रतिशत), कृषि श्रमिक (33 प्रतिशत) से लेकर कृषि उद्यमियों के रूप में देखी जा सकती है। यह भी वास्तविकता है कि महिला कृषि उद्यमियों को औपचारिक प्रशिक्षण के अभाव में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। इसके लिए ज़रूरी है कि उनके समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर ज़िला या पंचायत में करवाई जाए। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस तरह की योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से आने वाले समय में महिला सशक्तीकरण बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकता है। अब तो बहुत से ऐसे स्वयंसेवी संगठन हैं जो इन महिला कृषकों को जोड़ने और उनके सबलीकरण की दिशा में प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं। इन कृषिरत महिलाओं के सशक्तिकरण का परिणाम अगर उच्च कृषि आय एवं पारिवारिक जीवन स्तर में बढ़ोत्तरी के तौर पर सामने आए तो किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए।

और किसानों की आमदनी बाधित होती है। इनमें संस्थागत–स्तर पर ऋण सुविधाओं की अपर्याप्त व्यवस्था,विक्रय हेतु बड़े बाज़ार का स्थानीय स्तर पर प्रायः अभाव, समय पर कृषि आदानों की अनुपलब्धता, कृषि श्रमिकों का शहरों की ओर पलायन, वैज्ञानिक कृषि के तौर–तरीकों के प्रति प्रायः उदासीनता, कृषि मशीनीकरण में पिछड़ापन आदि का प्रमुख तौर पर उल्लेख किया जा सकता है।

वर्ष 2022 तक दोगुनी कृषक आय : कृषि विकास से ही ग्रामीण खुशहाली का रास्ता निकलता है। संभवतः इसी सोच के आधार पर वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक कृषक आय को दोगुना करने का संकल्प लिया गया है, ताकि ग्रामीण आबादी के जीवन–स्तर को ऊपर उठाया जा सके। इस क्रम में लक्षित कार्यों में प्रमुख तौर पर गरीबी में कमी, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन से तापमान बढ़ने के कारण कृषि को होने वाली हानि में कमी एवं कीटों से फसल सुरक्षा जैसे मुद्दों को भी महत्व दिया गया है। कृषि प्रसारकर्मियों द्वारा स्थानीय जलवायु और बाज़ार की मांग के आधार पर सही एवं उपयुक्त फसल चक्रों की संस्तुति, मृदा जांच के अनुसार खाद और उर्वरकों का प्रयोग, समय पर कीटों और रोगों से बचाव आदि जैसे पहलुओं पर समय रहते जानकारियां उपलब्ध करवाना आदि इसी कार्यक्रम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं।

सरकारी योजनाएं : इसी तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के लिए 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम को लागू किया गया है, जिसमें इन इलाकों के युवाओं के लिए हुनर आधारित प्रशिक्षण एवं रोज़गार के अवसर बड़े पैमाने पर सृजित किए जाने का प्रावधान है। यहीं नहीं इसमें देशव्यापी स्तर पर समस्त पंचायतों को हाईस्पीड इंटरनेट से जोड़ने की व्यवस्था भी है। 'ई–नाम' या इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट भी एक अन्य सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य देशभर के कृषि उत्पादकों को एक विशाल विक्रय मंच प्रदान करते हुए उनके उत्पादन का बेहतर मूल्य दिलवाना है। इनके अलावा भी कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण एवं कृषि विकास को ध्यान में रखकर चलाए जा रहे हैं।

ग्रामीण उत्थान में कृषि विज्ञान केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में कार्यरत देश की शीर्ष कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान प्रबंधन संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना देश के प्रत्येक ज़िले में की जा चुकी है। वर्तमान में 722 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। इनके बुनियादी उद्देश्यों में किसानों, ग्रामीण युवाओं और कृषिरत महिलाओं को वैज्ञानिक खेती से परिचित करवाना, परंपरागत खेती के बदले उन्नत खेती के प्रति जागरूक बनाना, खेत–स्तर पर प्रयोगात्मक प्रशिक्षण का आयोजन, स्थानीय जलवायु के अनुसार उन्नत किस्मों और फसलों की संस्तुति करना,अल्प अवधि एवं कम लागत में तैयार होने वाली फसल पद्धतियों के बारे में जानकारी देना, खाद्य प्रसंस्करण की नई तकनीकों से अवगत करवाना आदि जैसे विभिन्न मुद्दे शामिल हैं। साल–दर–साल इनके द्वारा आयोजित ट्रेनिंग से लाखों की संख्या में किसान लाभान्वित होते हैं।

ग्रामीण विकास में उपयोगी वैकल्पिक कृषि व्यवसाय

कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण : आलू सहित कसावा, शकरकंद, जिमीकंद टेनिया, याम अरारोट आदि की आधुनिक उत्पादन एवं संरक्षण तकनीकें अथवा प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां अपनाकर किसान अपनी आमदनी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकते हैं। इन केंद्रीय फसलों से कई तरह के मूल्यवर्धित खाद्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं। इनमें प्रमुख तौर पर आलू के चिप्स और कसावा तैयार किए जाने वाले स्नैक्स फूड, पास्ता आदि का ज़िक्र किया जा सकता है। जैव इथेनोल उत्पादन में भी कसावा का कम महत्व नहीं है। आने वाले समय में इन उत्पादों की पोषण महत्व के कारण मांग बढ़नी स्वाभाविक है। इसी तरह से शहरी जीवन में इंस्टेंट फूड के तौर पर भी इन्हें बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है।

औषधीय पौधों की खेती : इसबगोल के बीज के आवरण को भूसी के नाम से जाना जाता है और इसमें कई तरह के औषधीय गुण होते है। वैश्विक बाज़ार में इसबगोल की भूसी निर्यात करने वाला भारत एकमात्र देश है। इसकी व्यावसायिक खेती से आकर्षक कमाई बड़ी आसानी से की जा सकती है। इसी तरह से कलौंजी, करी पत्ता, लैमन घास, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, मेथे सहित अन्य औषधीय महत्व के पौधों की व्यावसायिक खेती पर ज़ोर दिया जा सकता है।

जावा सिट्रोनेला के तेल से कमाई : इसके पत्तों से लेमनग्रास की तरह का तेल निकलता है। यह तेल बाज़ार में 1000 से 1200 रुपये/किलोग्राम की दर से बिकता है। खेती के पहले वर्ष में 150–200 किलोग्राम तथा दूसरे से पांचवें वर्ष तक 200–300 किलोग्राम तक तेल इस बहुवर्षीय घास रूपी फसल की कटाई से

प्राप्त हो जाता है। पहले साल ही इसकी बुआई पर खर्च होता है। उसके बाद आगामी वर्षों में इस पर नगण्य खर्च होता है। मोटे तौर पर इससे किसान को शुद्ध लाभ 50–70 प्रतिशत तक या 80 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर तक मिल जाता है।

कोको उत्पादन से आमदनी : देश में दूध और कोको उत्पादन बढ़ने से चॉकलेट उद्योग में काफी तेज़ी देखने को आ रही है। पूरी दुनिया में जहां चॉकलेट इंडस्ट्री में ठहराव की स्थिति आ रही है तो वहीं दूसरी ओर भारत में यह काफी तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में देश के दुग्ध एवं कोको उत्पादक कृषक चॉकलेट उद्यमी के तौर पर अपनी आमदनी को काफी बढ़ा सकते हैं। सरकारी तौर पर भी इस उद्यम को अपनाने वाले किसानों को सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। इस व्यवसाय को स्टार्टअप के रूप में भी ग्रामीण युवा बड़े पैमाने पर अपनाने के बारे में सोच सकते हैं।

लाख की खेती : लाख, करीना लाका नामक कीट से उत्पादित होने वाली प्राकृतिक राल है। लाख के कीट पलाश, कुसुम, तथा बेर के पेड़ों पर पाले जाते हैं। इन वृक्षों की शाखाओं से ये कीट रस चूसकर अपना आहार प्राप्त करते हैं। ये कीट अपनी सुरक्षा के लिए राल का स्राव कर एक प्रकार का कवच अपने चारों ओर बना लेते हैं। यही राल बाद में लाख के रूप में टहनियों से खुरचकर निकाला जाता है। छत्तीसगढ़ सरीखे राज्य में इसे उद्योग का दर्जा दिए जाने से इसके उत्पादकों को बड़ी आसानी से ऋण सुविधाएं भी अब मिल सकती हैं।

कृषि वानिकी से आय : कृषि वानिकी का महत्व कृषक आय बढाने में कम नहीं है। अब तक कृषि वानिकी को महज़ इमारती लकड़ी प्राप्ति का एक ज़रिया माना जाता था। बदलते समय के साथ इस सोच में बदलाव आया है और कृषि वानिकी के माध्यम से अब औषधीय एवं सगंधीय पौधों का बड़े पैमाने पर उत्पादन, कागज़ उद्योग के लिए कच्चे माल के तौर पर आवश्यक लुगदी, जैव ईंधनों के उत्पादन के लिए पेड़जनित बीजों का उत्पादन, रेशम कीट पालन जैसी अनेक संभावनाएं सामने आई हैं।

खरपतवार को बनाएं आमदनी का जरिया : कई खरपतवार ऐसी भी होते हैं जिनका औषधियों के उत्पादन में खासा महत्व है। ऐसे खरपतवारों के उत्पादन से किसान कमाई कर सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अंतर्गत संचालित केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर ऐसे महत्वपूर्ण खरपतवारों के औषधीय गुणों की पहचान करके किसानों के लिए अतिरिक्त आय का माध्यम विकसित करने के कम में जुटा हुआ है। ऐसे खरपतवारों में चिरचिटा, पुनर्वा, इन्द्रायण, चामकस, शंखपुष्पी, मकोय, सर्फोका, त्रिकंटक आदि का नाम उल्लेखनीय है।

(लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकाओं खेती (मासिक), फलफूल (द्विमासिक) एवं कृषिका के प्रधान संपादक हैं।)

ई–मेल : ashok.singh.32@gmail.com

आर्थिक गतिविधियों का विस्तार ज़रूरी

–राजीव थियोडोर

खाद्य सुरक्षा हासिल करने, आय बढ़ाने और रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए कृषि की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी। हालांकि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम आधुनिक कृषि को बढ़ावा दें जो प्रौद्योगिकी और बाज़ारों से संचालित हो। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कृषि आधारित औद्योगीकरण द्वारा संचालित किया जाना चाहिए जो धीरे–धीरे गैर–कृषि क्षेत्र में स्थानांतरित हो सकता है।

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सतत् रूप से संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था की सहायक है और उसमें योगदान देती रही है। भले ही भारत तेज़ी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा हो लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि की हिस्सेदारी पिछले 17 वर्षों में पहली बार लगभग 20 प्रतिशत तक पहुंच गई है जिससे यह सकल घरेलू उत्पाद के प्रदर्शन में एकमात्र उज्जवल क्षेत्र बन गया है। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद कृषक समुदाय के लचीलेपन ने कृषि को एकमात्र ऐसा क्षेत्र बना दिया है जिसने 2020–21 में स्थिर कीमतों पर 3.4 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज़ की है जबकि अन्य क्षेत्रों में गिरावट आई थी। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 2019–20 में 17.8 प्रतिशत था जो बढ़कर 2020–21 में 19.9 प्रतिशत हो गया। इससे पूर्व जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 2003–04 में 20 प्रतिशत था।

नवीनतम अनुमानों के अनुसार जो बड़ी तस्वीर उभरती है वह यह है कि सरकार ने 2021–22 फसल वर्ष के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 307.3 मिलियन टन निर्धारित किया है, जो पिछले साल के अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 303.3 मिलियन टन से 1.3 प्रतिशत अधिक है। सरकार ने कहा कि वह बीज और उर्वरक सहित कृषि आदानों की उपलब्धता के साथ सहज है। दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में बागवानी फसलों का उत्पादन वित्त वर्ष 2020 में 320.48 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) रिकॉर्ड किया गया है। भारत में विश्व की सबसे बड़ी पशुधन आबादी 535.78 मिलियन है जो विश्व की पशुधन आबादी का लगभग 31 प्रतिशत है। देश में दुग्ध उत्पादन जो वित्त वर्ष 2020 में 198 मीट्रिक टन था उसके वित्त वर्ष 2021 में बढ़कर 208 मीट्रिक टन होने की उम्मीद है यानी 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि। भारतीय चीनी मिल संघ (आईएसएमए) के अनुसार अक्टूबर 2019 और मई 2020 के बीच चीनी के सीज़न में भारत में चीनी का उत्पादन 26.46 मीट्रिक टन तक पहुंच गया। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कुल मिला कर

कृषि और संबद्ध गतिविधियों ने 2020–21 के दौरान स्थिर कीमतों पर 3.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (प्रथम अग्रिम अनुमान)। प्रमुख निर्यात स्थलों में यूएसए, सऊदी अरब, ईरान, नेपाल और बांग्लादेश शामिल थे जिनको भारत ने समुद्री उत्पाद, बासमती चावल, भैंस का मांस, मसाले, गैर–बासमती चावल, कच्चा कपास, खली, चीनी, अरंडी का तेल और चाय का निर्यात किया।

विगत पांच वर्ष की अवधि (2018–19 तक) में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) क्षेत्र लगभग 9.99 प्रतिशत की औसत वार्षिक विकास दर (एएजीआर) से बढ़ रहा है जबकि 2011–12 की कीमतों पर कृषि में यह दर 3.12 प्रतिशत और विनिर्माण क्षेत्र में 8.25 प्रतिशत है। सरकार ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात बढ़ाने के लिए खाद्य उत्पादों में 10900 करोड़ रुपये की उत्पादन–आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंज़ूरी दी है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के अनुसार भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने अप्रैल 2000 और सितंबर 2020 के बीच संचयी रूप से लगभग 10.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) इक्विटी को आकर्षित किया है।

भावी प्रयास – आर्थिक गतिविधियों के विस्तार की आवश्यकता

इस परिदृश्य में इस क्षेत्र को विश्लेषणात्मक और सैद्धांतिक नज़रिये से देखें। कृषि ग्रामीण समाज का ताना–बाना है और दुनिया के कई देशों में यह प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। कोई भी सहसा और व्यापक बदलाव जो कृषि क्षेत्र पर प्रभाव डालता है, उसके आर्थिक रूप से विकासशील देशों में सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता से संबंधित गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जिन देशों में इस क्षेत्र का आर्थिक महत्व कम है, वहां भी कृषि, विशेषकर भूमि उपयोग के कारण, ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रामीण विकास में कृषि का मुख्य संभावित योगदान रोज़गार, सहायक व्यवसायों और पर्यावरण सेवाओं का सहायक होने से संबंधित है। परिधीय क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को संबल प्रदान करने के लिए कृषि आवश्यक हो सकती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास के लिए ग्रामीण विकास नीतियों में कृषि गतिविधियों में सुधार और सहायक सेवाओं को बढ़ावा देकर इसके योगदान का लाभ उठाना चाहिए। कृषि सुधार के संदर्भ में विश्व व्यापार संगठन के नियमों में पर्याप्त लचीलापन होना चाहिए ताकि ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया जा सके विशेष रूप से सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए। दुनिया भर के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मुख्य रूप से भूमि उपयोग और ग्रामीण क्षेत्रों की सक्षमता के एक प्रमुख घटक को दर्शाती है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोज़गार और व्यावसायिक अवसरों, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण की गुणवत्ता में कृषि और संबंधित गतिविधियों का महत्वपूर्ण योगदान है। जिस सीमा तक कृषि किसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भाग होती है, वही इसके एक क्षेत्र के रूप में महत्व को दर्शाता है और ग्रामीण विकास के लिए इसके संभावित आर्थिक योगदान को निर्धारित करता है। कुछ देशों में कृषि किसी क्षेत्र की प्राथमिक आर्थिक गतिविधि हो सकती है और अधिकांश आबादी के लिए रोज़गार का प्रमुख स्रोत हो सकती है। यह स्पष्ट है कि ऐसे क्षेत्रों में समग्र सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता अभिन्न रूप से कृषि क्षेत्र की स्थिति के साथ जुड़ी हुई है। हालांकि अधिकांश आर्थिक रूप से विकसित देशों में कृषि विविधीकृत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अपेक्षाकृत छोटा भाग होती है; साथ ही, अधिकांश क्षेत्रों में राष्ट्रीय संपदा और रोज़गार के अनुपात के मामले में कृषि के महत्व में गिरावट आ रही है। यह उन देशों में ग्रामीण विकास में कृषि की संभावित भूमिका को कम नहीं करता है लेकिन वैकल्पिक आर्थिक गतिविधियों के योगदान को भी शामिल किया जाना चाहिए जो रोज़गार और आर्थिक प्रगति के लिए स्थायी संभावनाएं प्रदान कर सकती हैं। चूंकि विभिन्न देशों में ग्रामीण विकास में कृषि का योगदान काफी हद तक भिन्न है इसलिए समाज को अधिकतम लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नीतिगत अनुक्रियाओं को उसी प्रकार से विशिष्ट होने की आवश्यकता है।

देश 2022 तक कृषि आय को दोगुना करने के लक्ष्य को छूने के लिए कमर कस रहा है जिसमें अगले कुछ वर्षों में कृषि के बुनियादी ढांचे जैसे सिंचाई सुविधाओं, वेयरहाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज में निवेश में वृद्धि के कारण बेहतर गति उत्पन्न होगी। इसके अलावा, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के बढ़ते उपयोग से भारतीय किसानों की उपज में सुधार होगा। वैज्ञानिकों द्वारा दालों की जल्दी तैयार हो जाने वाली किस्मों के लिए ठोस प्रयास करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के कारण आने वाले कुछ वर्षों में भारत के दालों में आत्मनिर्भर होने की उम्मीद है।

अगले पांच वर्षों में सरकार मत्स्य पालन क्षेत्र में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी। सरकार 2024–25 तक मछली उत्पादन को 220 लाख टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रख रही है। आने वाले समय में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा खाद्य सुरक्षा और क्वालिटी आश्वासन प्रणालियों जैसे कुल गुणवत्ता प्रबंधन (टीक्यूएम) जिसमें आईएसओ 9000, आईएसओ 22000, आपदा विश्लेषण एवं संकट नियंत्रण बिंदु (एचएसीसीपी), अच्छी उत्पादन कार्यप्रणालियां (जीएमपी), और अच्छी स्वच्छता प्रथाएं (जीएचपी) शामिल हैं, अपनाने से कई लाभ मिलेंगे। वर्ष 2022 तक भारत का कृषि निर्यात 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना है।

भारत को 2024–25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत को वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2025 तक वास्तविक रूप से प्रति वर्ष 9 प्रतिशत की दर से विकास करना होगा। आत्मनिर्भर भारत भी हमारा एक उद्देश्य है। अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी। ग्रामीण पुनरुद्धार से 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के

साथ–साथ आत्मनिर्भर भारत के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रबल संभावनाएं निहित हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जीडीपी में 25–30 प्रतिशत योगदान देती है। परंपरागत रूप से कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोज़गार का मुख्य स्रोत रही है लेकिन यह स्थान गैर–कृषि क्षेत्र द्वारा लिया जा रहा है। ग्रामीण पुनरुद्धार के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों के रहने और काम करने के लिए एक बेहतर स्थान बनाने की परिकल्पना हो। सरकार ने इस बार कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ाकर 16.50 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि को भी बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सूक्ष्म सिंचाई कोष की राशि को भी दोगुना कर दिया गया है। ऑपरेशन ग्रीन योजना को अब व्यापक बना कर उसमें जल्दी खराब होने वाले 22 कृषि उत्पादों को शामिल कर लिया गया है। देश की 1,000 और मंडियों को ई–नाम से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। ये सभी फैसले सरकार की सोच, मंशा और दूरदर्शिता को दर्शाते हैं। लगातार बढ़ते कृषि उत्पादन के दौरान भारत को 21 वीं सदी में फसल उपरांत क्रांति यानी खाद्य प्रसंस्करण क्रांति और मूल्यवर्धन की आवश्यकता है। देश के लिए बहुत अच्छा होता यदि यह कदम दो या तीन दशक पहले उठाए गए होते। अब हमें उस समय की क्षतिपूर्ति करनी है जो हमने खो दिया है और इसलिए हमें आने वाले दिनों में अपनी तैयारियों और गति को बढ़ाना होगा।

देश के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र का वैश्विक बाज़ार में विस्तार करने और गांवों के पास कृषि उद्योगों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि ग्रामीणों को गांव में ही कृषि से संबंधित रोज़गार मिल सकें। जैविक और निर्यात समूहों को इस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है ताकि गांवों के कृषि–आधारित उत्पाद शहरों में जाएं और शहरों के औद्योगिक उत्पाद गांवों तक पहुंचें। देश में अभी भी लाखों सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां कार्यरत हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है और समय की मांग भी है कि उनका विस्तार किया जाए और उन्हें मज़बूत किया जाए। आवश्यक सुधारों के साथ सरकार ने लगभग 11000 करोड़ रुपये की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन की योजना भी बनाई है जिसका लाभ उद्योग उठा सकते हैं।

ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत सभी फलों और सब्जियों को किसान रेल से एक जगह से दूसरी जगह भेजने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। किसान रेल भी आज देश में कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क का एक सशक्त माध्यम बन गई है। किसान रेल छोटे किसानों और मछुआरों को बड़े बाज़ारों और उच्च मांग वाले बाज़ारों से जोड़ने में सफल हो रही है। पिछले छह महीनों में लगभग 275 किसान रेल चलाई गई हैं और लगभग एक लाख मीट्रिक टन फलों और सब्ज़ियों की ढुलाई की गई। यह न केवल छोटे किसानों के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है बल्कि इससे उपभोक्ताओं और उद्योगों को भी लाभ पहुंच रहा है।

खाद्य सुरक्षा हासिल करने, आय बढ़ाने और रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए कृषि की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी। हालांकि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम आधुनिक कृषि को बढ़ावा दें जो प्रौद्योगिकी और बाज़ारों से संचालित हो। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कृषि आधारित औद्योगीकरण द्वारा संचालित किया जाना चाहिए जो धीरे–धीरे गैर–कृषि क्षेत्र में स्थानांतरित हो सकता है। कृषि उपरांत गतिविधियों जैसे कृषि प्रसंस्करण, पैकेजिंग, कोल्डचेन, कोल्ड स्टोरेज और परिवहन में निवेश की आवश्यकता होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक सक्षम और अनुकूल नियामक माहौल बनाने की भी आवश्यकता होगी। कृषि अवसंरचना कोष से संबंधित नवीनतम कृषि कानून और सार्वजनिक निवेश स्वागत योग्य कदम हैं। यह चुनिंदा वस्तुओं के लिए कलस्टर बनाने और उचित आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने की मांग है। हम उत्पादन बढ़ा कर मूल्य

में कटौती और आय तथा रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने का लाभ उठा कर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित 'विशेष आर्थिक ज़ोन' विकसित करने का प्रस्ताव करते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ाने और रोज़गार सृजन के लिए कृषि और गैर–कृषि क्षेत्रों के बीच एक मज़बूत तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। उत्पादन से प्रसंस्करण और फिर विपणन से कृषि क्षेत्र द्वारा संचालित औद्योगिकीकरण विकसित किया जा सकता है। इस तरह के तालमेल से कृषि क्षेत्र को बाज़ार संचालित वस्तुओं का उत्पादन करने, परिवहन लागत कम करने, कार्य क्षेत्र यानी खेत पर पारिश्रमिक मूल्य प्राप्त करने और खेती से उत्पन्न कचरे को कम करने में मदद मिलेगी। विभिन्न डेयरी उत्पादों के लिए अमूल दूध कृषि आधारित प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और विपणन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस तरह के मॉडल को देश के विभिन्न भागों में अन्य कृषि वस्तुओं के लिए दोहराया जाना चाहिए। कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) या कृषक हित समूहों के माध्यम से किसानों को एकजुट करने से छोटे और सीमांत किसानों के लिए उनकी कमज़ोर हैसियत के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई होगी और आय बढ़ाने के लिए उनकी मोल–भाव की क्षमता बढ़ेगी।

ग्रामीण औद्योगीकरण को विकसित करने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रीय सकल मूल्यवर्धन में उनका हिस्सा लगभग 32 प्रतिशत है। वे लगभग 111 मिलियन श्रमिकों को रोज़गार प्रदान करते हैं। निर्यात में एमएसएमई से संबंधित उत्पादों की हिस्सेदारी 2018–19 के दौरान लगभग 48 प्रतिशत थी। सरकार सकल मूल्यवर्धन में उनके योगदान को 50 प्रतिशत और निर्यात में 75 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए कमर कस रही है। यह लगभग 150 मिलियन श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने की परियोजना है। इस तरह के बड़े लक्ष्यों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होगी; प्रौद्योगिकियों, वित्त और बाज़ारों तक पहुंच बनाने के लिए प्रभावी संस्थानों की आवश्यकता होगी जो एमएसएमई को सक्षम बनाएं; और इसके अलावा विनिर्माण तथा व्यवसाय योजना में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास की आवश्यकता होगी। ग्रामीण समाज के परिवर्तन में ग्रामीण–शहरी तालमेल की भूमिका अहम् होगी। खेतों से छोटे शहरों और मेगासिटी तक के ग्रामीण–शहरी संपर्क तंत्र को मज़बूत करने से ग्रामीण श्रमिकों, उत्पादन, वितरण, बाज़ार, सेवायें, खपत और पर्यावरणीय स्थिरता को लाभ मिलेगा। बढ़ते शहरी क्षेत्रों और नई प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न नए बाज़ार अवसर स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा देंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान (PURA) की अवधारणा पर यहां फिर से विचार करने की ज़रूरत है। इसमें शहरी क्षेत्रों के बाहर ग्रामीण केंद्रों में आर्थिक अवसर उत्पन्न करने के लिए शहरी आधारभूत संरचना और सेवाओं को विकसित किए जाने की बात कही गई है। इनमें बेहतर सड़क नेटवर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में ये औसत रूप से खराब हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश भी गरीबी कम करने और कृषि विकास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। विनियामक आवश्यकताओं को सरल बनाने और भूमि व श्रम कानूनों में सुधार करके एक सक्षम कारोबारी माहौल तैयार करने की आवश्यकता है। सरकार ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा बैंक, स्किल इंडिया आदि पहलें शुरू की हैं। संसाधनों, बाज़ारों और बुनियादी ढांचे के आधार पर ग्रामीण केंद्रों के विकास के लिए क्षेत्रों को खोजने की आवश्यकता है। कार्यान्वयन में राज्य सरकारों का सहयोग महत्वपूर्ण होगा।

ग्रामीण औद्योगीकरण में निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सरकार की भूमिका एक सक्षम कारोबारी माहौल बनाने की होनी चाहिए – सड़क, रेल, वायु और जल संरचना; सुनिश्चित बिजली की आपूर्ति; कर अनुपालन को सरल बनाना; निर्माण और व्यवसाय शुरू करने के लिए एकल खिड़की मंजूरी; ऋण तक आसान पहुंच; और स्थिर नीतियां। निजी क्षेत्र वहां निवेश करेगा जहां व्यापार का माहौल अधिक अनुकूल है। अक्सर ये शहरों में या शहरों के आसपास में होता है। निजी क्षेत्र अविकसित और सीमांत क्षेत्रों में कदम नहीं रखेगा। सरकार इन क्षेत्रों में प्रोत्साहन की पेशकश कर सकती है और सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रणाली के तहत कार्यक्रम शुरू कर सकती है। ऐसे क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण कई उत्तम परियोजनाएं व्यवहार्य नहीं हो सकती हैं। ऐसे मामलों में सरकारी फंडिंग के जरिए 'व्यवहार्यता की कमी' को पाटने के लिए प्रमुख घटकों को खोजा जा सकता है। अविकसित और सीमांत क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कर अवकाश भी सहायक होगा।

आईसीटी यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की अपार क्षमता का दोहन करने की आवश्यकता है। यह प्रौद्योगिकियों, सेवाओं और वित्त तक पहुंच में सुधार के लिए साधन प्रदान करता है। आईसीटी साधनों से भी प्रभावी प्रशासन, निगरानी और कार्यक्रम कार्यान्वयन किया जा सकता है। डिजिटल गैप को पाटने में टेक स्टार्टअप सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत की जीडीपी में चालू वित्त वर्ष में 9.5 प्रतिशत तक गिरावट आ सकती है। लेकिन कुछ सापेक्षता के साथ कि आने वाले महीनों में महामारी क्या रुख लेती है, कई विशेषज्ञों ने वी–आकार के सुधार का पूर्वानुमान लगाया है। लॉकडाउन के दौरान कृषि क्षेत्र ने अपना लचीलापन और विकास क्षमता दिखाई। गैर–कृषि क्षेत्र के साथ मिल कर कृषि तेज़ी से विकास कर सकती है। ग्रामीण पुनरुद्धार न केवल वांछित लक्ष्यों को पूरा करेगा बल्कि गरीबी को घटाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगा।

निष्कर्ष

इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान यह क्षेत्र संकट का सामना कैसे करता है, किस प्रकार सरकारी प्रयासों से देशभर में 140 मिलियन कृषि परिवार प्रभावित होते हैं और उसके बाद विकासशील दुनिया के एक बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की घोषणा के तुरंत बाद भारत की वित्तमंत्री ने 1.7 ट्रिलियन रुपये के पैकेज की घोषणा की जो ज़्यादातर कमज़ोर वर्गों (किसानों सहित) को कोरोना महामारी के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए थी। इस घोषणा के अनेक लाभों में एक थी पीएम–किसान योजना जिसके तहत आय सहायता के रूप में किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपये की अग्रिम राशि जमा करना शामिल था। सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी मजदूरी गारंटी योजना मनरेगा के तहत लगे श्रमिकों के लिए मज़दूरी दर भी बढ़ा दी। कमज़ोर वर्ग की देखभाल के लिए एक विशेष योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की गई है। अगले तीन महीनों के लिए पंजीकृत लाभार्थियों को अतिरिक्त अनाज आवंटन की भी घोषणा की गई। अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को, जिनमें ज़्यादातर प्रवासी मज़दूर शामिल हैं, नकद और भोजन सहायता की भी घोषणा की गई है जिसके लिए एक अलग पीएम–केयर्स (प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष) फंड बनाया गया। महामारी की दूसरी लहर के देश को अपनी चपेट में लेने के साथ ही इस बार सरकार ने कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 1.65 ट्रिलियन रुपये कर दिया। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि को भी बढ़ाकर 400 बिलियन रुपये कर दिया गया। सूक्ष्म सिंचाई निधि कोष की राशि को भी दुगुना कर दिया गया है।

तत्काल चुनौतियां

इन सभी उपायों के बावजूद और लोगों तथा वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध जारी रखने के मद्देनज़र कृषि अर्थव्यवस्था पर कोविड–19 महामारी के नकारात्मक प्रभाव के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं। यह भारत में रबी की फसलों की खेती का चरमकाल है और गेहूं, चना, मसूर, सरसों, आदि जैसी फसलें (सिंचित क्षेत्र में धान सहित) कटाई अवस्था में हैं या तैयार होने की कगार पर हैं। यह वह समय है जब मनोनीत सरकारी एजेंसियों द्वारा सुनिश्चित खरीद कार्यों के लिए कटाई उपरांत फसलें मंडियों तक पहुंचती है। इसके अलावा, जल्दी खराब होने वाले फलों और सब्ज़ियों, डेयरी उत्पादों, मछली आदि की आपूर्ति में किसी भी तरह का व्यवधान लगातार बढ़ते हुए मध्यम वर्ग के साथ–साथ शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जुटी आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े सभी व्यक्तियों/उपक्रमों को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता है। कुछ क्षेत्रों से अपने पैतृक स्थानों पर श्रमिकों के प्रवासन ने घबराहट का माहौल पैदा कर दिया क्योंकि वे फसल कटाई के कामों और उत्पादों की कटाई उपरांत गतिविधियों जैसे भंडारण और विपणन केंद्रों में व्यवस्था दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किसानों, कृषि श्रमिकों और कटाई और बुवाई से संबंधित मशीनों को लॉकडाउन के दायरे से बाहर करने के लिए अधिसूचना जारी की है।

तालाबंदी के दौरान, ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को खाद्यान्न, फल और सब्जियां और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना सरकारी मशीनरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। इस दौरान आपूर्ति श्रृंखला का निर्विघ्न कामकाज और इसमें शामिल लोगों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों का महत्व सर्वोपरि है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) वस्तुओं की रेल और सड़क द्वारा अंतिम छोर पर मौजूद वितरण एजेंटों तक ढुलाई संबंधित सरकारी एजेंसियों द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। आबादी के आरक्षित वर्ग को निर्धारित दिशा–निर्देशों और प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए वस्तुओं का वितरण, विशेष रूप से सामाजिक दूरी को ध्यान में रखना आदि की प्रभावी रूप से निगरानी की जानी चाहिए।

किसी भी आपदा या महामारी की सबसे बड़ी मार ग़रीब तबका सहता है। लगभग 85 प्रतिशत भारतीय कृषि परिवार छोटे और सीमांत किसानों के हैं और कृषकों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा भूमिहीन खेत मजदूरों का है इसलिए कोविड–19 महामारी से किसी भी नुकसान को रोकने के लिए नेकनीयती से कार्यान्वित किए जाने वाले कल्याणकारी उपाय निश्चित रूप से उनकी मदद करेंगे। कृषि और संबद्ध गतिविधियों से आजीविका कमाने वाले ज़्यादातर वे लोग, जो इस महामारी के दौरान अनौपचारिक रोज़गार से होने वाली अपनी आमदनी खो चुके हैं, उनको वैकल्पिक तरीकों (नकद हस्तांतरण) से सहायता करनी होगी जब तक कि अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर नहीं आ जाती है। कृषि जिंसों की मांग को बनाए रखने के लिए प्रमुख संभार–तंत्र में निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा, उपयुक्त नीतियों और प्रोत्साहनों द्वारा ई–कॉमर्स और डिलीवरी कंपनियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित छोटे और मध्यम उद्यमों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था ढह न जाए।

कृषि श्रमिकों की कमी की तात्कालिक चिंताओं को दूर करने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहनों के साथ राज्य संस्थाओं, कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) या कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) के माध्यम से मशीनरी की आसान उपलब्धता की सुगम सुविधा प्रदान करने वाली नीतियां होनी चाहिए। भूमिहीन मज़दूरों और श्रमिकों का वेतन रोज़गार सुनिश्चित करने के साथ–साथ किसान पर मौद्रिक बोझ को कम करने के लिए कृषि श्रमिकों के वेतन का आंशिक भुगतान (शेष वेतन राशि का भुगतान किसान द्वारा) करने के लिए मनरेगा निधियों का लाभ उठाने का भी सुझाव दिया गया है। सरकार के घोषित उपायों से संबंधित प्रश्नों का जवाब

देने और किसानों की शिकायतों को दूर करने के अलावा कृषि क्रियाकलापों पर सलाह देने; कृषि–आदानों की उपलब्धता बताने के लिए सरकार द्वारा समर्पित टोल–फ्री हेल्पलाइन/कॉल सेंटर (स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में) की स्थापना की जानी चाहिए।

कोविड–19 महामारी के चलते अभूतपूर्व स्वास्थ्य आपदा होने के कारण भविष्य के बजट आवंटन का प्रमुख हिस्सा ज़ाहिर तौर से (और तार्किक रूप से) स्वास्थ्य क्षेत्र को मिलेगा। लेकिन कृषि अर्थव्यवस्था की अपरिवर्तनीय क्षति को कम करने के लिए प्राथमिक क्षेत्र से निवेश नहीं हटाना चाहिए। जब तक अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं लौटती, तब तक विनिर्माण और सेवा क्षेत्र एक छोटी अवधि तक गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। इस प्रकार कृषि क्षेत्र पर विकास के इंजन के रूप में ध्यान केंद्रित करना और खाद्य (और पोषण) सुरक्षा में लचीलापन लाना भी बहुत उपयुक्त होगा। इस संकटपूर्ण दौर में जब जलवायु परिवर्तन पहले से ही कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, अनुसंधान और नवाचार पर उपयोगी निवेश बहुत अर्थपूर्ण होगा।

कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने और इसके विकास के लिए भूमि पट्टे पर देना, अनुबंध कृषि और निजी कृषि बाज़ार आदि जैसे संरचनात्मक सुधारों का लंबे समय से समर्थन किया गया है। लेकिन राज्य सरकारों द्वारा इन विधानों का कार्यान्वयन एक समान नहीं किया गया है इसलिए इस क्षेत्र की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हुआ है। इन सुधारों के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक इच्छाशक्ति की ज़रूरत है। कोविड उपरांत काल में राज्यों के उत्साह में मंदी की चिंताओं से केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को उपयुक्त प्रोत्साहन प्रणाली प्रदान करके निपटा जा सकता है।

आबादी के बढ़ने के साथ भारत में खाद्यान्न की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन हरितक्रांति के नकारात्मक बाहरी कारकों विशेष रूप से पर्यावरणीय हितों से समझौता और चंद प्रमुख अनाज की किस्मों की ही खेती के दुष्परिणाम अब तक सामने आए हैं। ऐसे में यह वांछनीय है कि अधिक उपयुक्त पोषण मॉडल को अपनाया जाए जिसमें पोषण पर अधिक बल हो, जहां आहार में अधिक विविधता हो। कोविड उपरांत स्थिति एक स्वस्थ आबादी के लिए मौजूदा खाद्य और कृषि नीतियों को पुनरुद्देशित करने का अनूठा अवसर प्रदान करती है।

कुछ वैश्विक संगठनों द्वारा कृषि वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की वैश्विक चिंताएं बल्कि अटकलें लगाई जा रही हैं। भारत में चावल, मांस, दुग्ध उत्पाद, चाय, शहद, बागवानी उत्पाद आदि वस्तुओं का व्यापार अधिशेष होने के नाते इन्हें स्थिर कृषि निर्यात नीति के साथ निर्यात करके अवसरों का लाभ उठा सकता है। भारत के कृषि निर्यात का मूल्य 2018–19 में 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और यह अनुकूल नीतियों से और अधिक बढ़ सकता है। निर्यात को प्रोत्साहन देने वाले बुनियादी ढांचे और संभार–तंत्र के विकास के लिए निजी क्षेत्र के निवेश और सहयोग की आवश्यकता होगी जो किसानों की आय बढ़ाने के दीर्घकालिक हितों में होगा।

(लेखक पत्रकार हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई–मेल : rajivtheodore@gmail.com

ग्रामीण विकास में मददगार एसडीजी संकेतक

–अभिषेक सुराना
–डॉ. सुदीप कुमावत

सरकार द्वारा विकास के अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे है लेकिन ज़मीनी–स्तर पर उनका गुणात्मक आंकलन करने के लिए सतत विकास लक्ष्स सूचकांक काफी उपयोगी सिद्व होगा। जिन संकेतकों में ग्राम पंचायतें पिछडी हुई है, उन संकेतकों में सुधार करने हेतु संबंधित विभागों से समन्वय किया जाएगा तथा जिन पंचायतों में इन संकेतकों की स्थिति सही है उनसे प्रेरणा लेकर सभी विभाग अन्य पंचायतों मे प्रगति बढ़ाकर इस दूरी को दूर कर सकते हैं।

देश के ग्रामीण विकास मे ग्राम पंचायतों की महत्ता को सर्वोपरि समझते हुए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा ग्राम पंचायतों के विकास हेतु पिछले कुछ दशकों से अथक प्रयास किए जा रहे है। देश की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है इसलिए ग्रामीण विकास देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश की खुशहाली एवं समृद्धि का रास्ता गांव की गलियों से होकर गुज़रता है। अतः देश का विकास करने के लिए सर्वप्रथम गांवों का सर्वांगीण विकास करना आवश्यक है।

इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर राजस्थान के जयपुर ज़िले में ब्लॉक गोविन्दगढ़ का सतत् विकास लक्ष्य सूचकांक तैयार किया गया है। इस सूचकांक की गणना का मूल उद्देश्य ग्रामीण जनकल्याण एवं ग्राम पंचायत के विकास के लिए ग्राम पंचायतों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करना है जिससे ग्राम पंचायत–स्तर पर आम जन के बीच असमानताओं में कमी लाना, सभी को घर, सभी को भोजन, न्याय–शांति एवं अच्छा जीवन–स्तर प्रदान करने के साथ–साथ पर्यावरण की सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके तथा साथ ही, एक समृद्व ग्राम पंचायत का निर्माण हो सके।

सतत विकास लक्ष्य सूचकांक संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा सहमति प्राप्त सबसे महत्वाकांक्षी विकास का एजेंडा है। इसमें वैश्विक–स्तर पर 17 लक्ष्य 169 टार्गेट तय किए गए हैं जिन्हें 2016–2030 तक की समय अवधि में सभी सदस्य देशों द्वारा अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है।

सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों (MDG) के विपरीत सतत विकास लक्ष्यों में विकसित व विकाससील देशों के मध्य कोई अंतर नहीं है तथा ये लक्ष्य सभी देशों को प्राप्त करने हैं ताकि कोई भी पीछे ना रहे। इस सिद्वांत 'पीछे कोई ना छूटे' पर कार्य करते हुए ब्लॉक

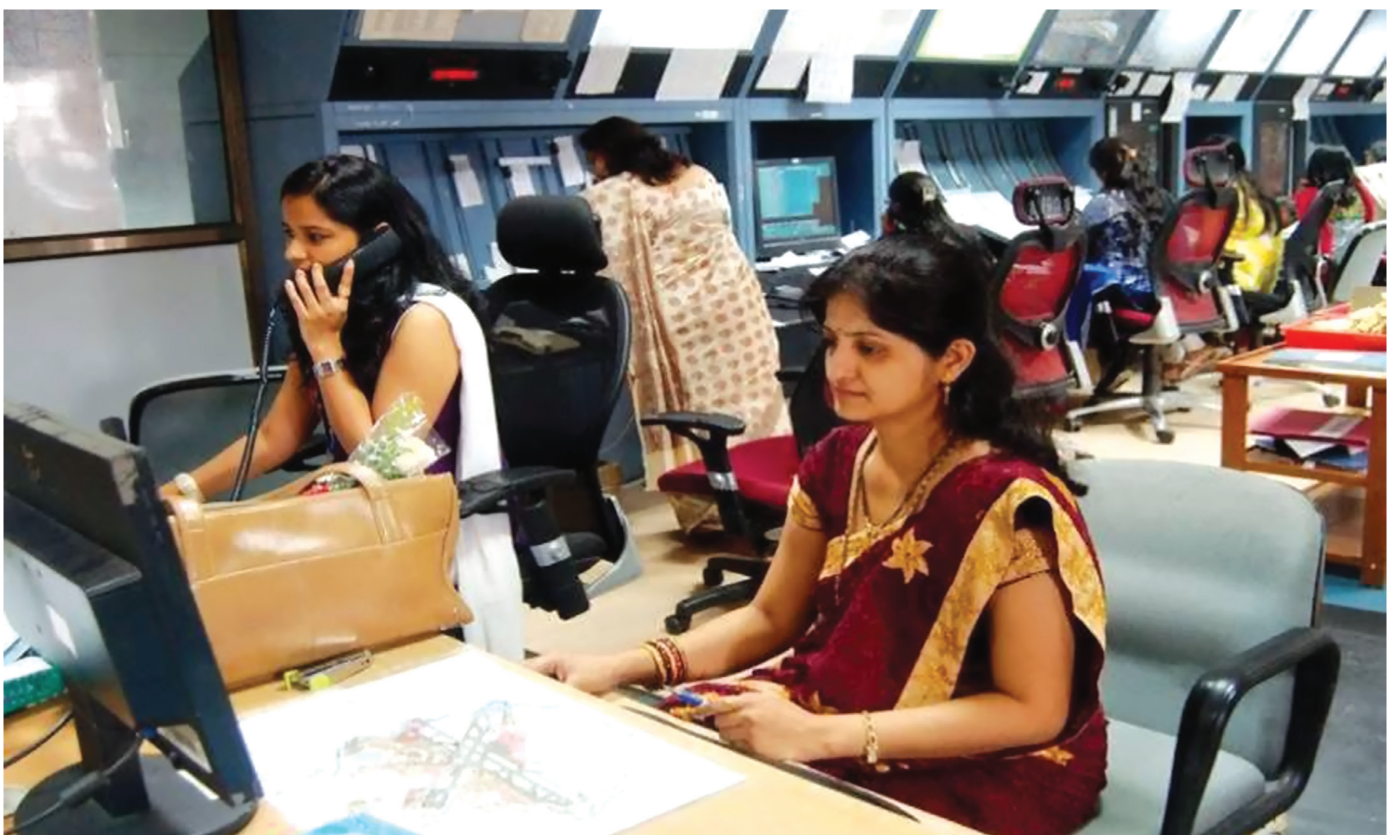

गोविन्दगढ़ की 45 ग्राम पंचायतों पर सतत विकास लक्ष्य सूचकांक बनाया गया है ब्लॉक–स्तरीय सूचकांक 9 लक्ष्यों के 24 संकेतकों पर बनाया गया है जिनका विवरण तालिका–1 में दिया गया है।

तालिका–1 में 9 लक्ष्यों के 24 संकेतको पर सूचकांक बनाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य सरकारी योजनाओं के गुणात्मक परिणामों का अध्ययन करना है। वर्तमान में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य इन कार्यक्रमों को सतत विकास लक्ष्य सूचकांक से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास करना है।

गणना विधि : नीति आयोग तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा सूचकांकों की गणना में प्रयुक्त गणनाविधि का उपयोग ब्लॉक–स्तरीय सतत विकास लक्ष्य सूचकांक की गणना में किया गया है। गणना में राष्ट्रीय–स्तर पर निर्धारित संकेतकों एवं ग्राम पंचायत–स्तर पर उपलब्ध समंकों के

तालिका–1 सूचकांक की गणना में उपयोग में लिए गए संकेतकों का लक्ष्यवार विवरण

क्र. सं.	लक्ष्य	सतत विकास लक्ष्य सूचकांक संकेतक
1	गरीबी का अंत	बीपीएल परिवारों का प्रतिशत, मनरेगा में रोज़गार का प्रतिशत, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लाभार्थियों का प्रतिशत, आवासहीन परिवारों का प्रतिशत
2	भुखमरी का अंत	एन.एफ.एस.ए. परिवारों का प्रतिशत
3	आरोग्य एवं कल्याण	संस्थागत प्रसव एवं टीकाकरण का प्रतिशत
4	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	साक्षरता दर, सरकारी विद्यालयों में दिव्यांगों के लिय रेम्प की सुविधा।
5	लैंगिक समानता	लिंगानुपात, महिलाओं के विरूद्व अत्याचार, दहेज प्रताड़ना के केसो की संख्या
6	शुद्व जल एवं स्वच्छता	पेयजल की उपलब्धता, सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की उपलब्धता
7	किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा	कितने परिवारों तक बिजली कनेक्शन की उपलब्धता, एलपीजी गैस कनेक्शन, बिजली से संचालित नलकूपों का प्रतिशत, सोलर से संचालित नलकूपों का प्रतिशत।
8	संधारणीय शहर और समुदाय	प्रधानमंत्री आवास योजना में पूर्ण हुए आवासों का प्रतिशत
9	शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थान	जन्म रजिस्ट्रेशन, आधार कवरेज, मर्डर के केस, सड़क दुर्घटना, कुल अपराधों का प्रतिशत

आधार पर कुछ संशोधित संकेतकों का उपयोग किया गया है।

गणना में प्रयुक्त संकेतकों के समंकों के माप की यूनिट भिन्न–भिन्न प्रकार की होने के कारण इनको तुलनात्मक बनाने के लिय, समान रूप में लाने हेतु समंकों की वैल्यु का 0 से 100 की सीमा में सामान्यीकरण किया गया है। सामान्यीकरण करने के लिए नीति आयोग के सकारात्मक व नकारात्मक संकेतकों का उपयोग किया गया है। तथा प्रत्येक संकेतक को समान भार दिया गया है।

लक्ष्य में सूचकांकों की गणना हेतु प्रयुक्त किए गए संकेतकों की नॉर्मिलाईज वेल्यूज़ का साधारण अंकगणितीय माध्य लिया गया है तथा प्रत्येक गोलवार स्कोर से समग्र स्कोर की गणना साधारण अंकगणितीय माध्यम के आधार पर की गई है।

एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स के अनुसार ही ब्लॉक सूचकांकों के परिणामों के आधार पर ग्राम पंचायतों को 4 श्रेणियो मे वर्गीकृत किया जाता है यथा एचीवर (एस.डी.आई.स्कोर 100 के बराबर) फ्रंट रनर (एस.डी.आई.स्कोर 100 से कम लेकिन 65 के बराबर या ज़्यादा) (परफॉर्मर) और एस्पिरेंट (एस.डी.आई.स्कोर 50 से कम) इसमें एचीवर वर्ग उच्चतम श्रेणी को प्रदर्शित करता है तथा एस्पिरेंट वर्ग निम्नतम श्रेणी को दर्शाता है।

इस गणना विधि का उपयोग करते हुए ब्लॉक की 45 ग्राम पंचायतों को निम्नानुसार एस. डी. जी. इंडेक्स स्कोर एंव रैक दी गई है।

उपरोक्त तालिका में नीति आयोग द्वारा प्रयुक्त गणना विधि का उपयोग करके ग्राम पंचायतवार एस.डी.जी. सूचकांक स्कोर व रैंक दिया गया है। इससे ग्राम पंचायतों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होगी और ग्रामीण विकास मे आ रही चुनौतियों को चिन्हित करके उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा सकेगा।

निष्कर्ष : सरकार द्वारा विकास के अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे है लेकिन ज़मीनी–स्तर पर उनका गुणात्मक आंकलन करने के लिए सतत विकास लक्ष्स सूचकांक काफी उपयोगी सिद्व होगा।

तालिका–2 : ग्राम पंचायतवार समग्र एस.डी.जी. इंडेक्स स्कोर एवं रैंक

ग्राम पंचायत	इंडेक्स स्कोर	रैंक
सामोद	76.07	1
गोविन्दगढ़	75.47	2
हस्तेड़ा	74.57	3
कालाडेरा	73.79	4
सिंगोद कलां	72.62	5
कुशलपुरा	72.23	6
आलीसर	71.75	7
चिथवाडी	70.87	8
नांगल कलां	70.63	9
निवाणा	70.39	10
महारकलां	70.18	11
अणतपुरा जैत	69.41	12
जयसिंहपुरा	69.38	13
हाडौता	68.98	14
इटावा भोपजी	68.76	15
डोला का बास	68.32	16
अमरपुरा	68.07	17
मण्डा–भिण्डा	67.99	18
नांगलभरडा	66.43	19
धिनोई	66.37	20
किशनपुरा	66.12	21
नांगलगोविन्द	65.83	22
मलिकपुर	65.6	23
मोरीजा	65.47	24
लोहरवाडा	64.9	25
सान्दरसर	64.73	26
विमलपुरा	64.43	27
हाथनोदा	64.19	28
टांकरडा	64.04	29
तिगरिया	63.54	30
खेजरोली	62.95	31
भूतेडा	62.18	32
जैतपुरा	60.68	33
ढोढसर	60.45	34
आष्टीकलां	60.36	35
विजयसिंहपुरा	60.28	36
नांगल कोजू	60.17	37
गुडलिया	59.49	38
उदयपुरिया	58.43	39
अणतपुरा चिमनपुरा	57.98	40
देवथला	57.16	41
जाटावाली	54.43	42
सिंगोदखुर्द	48.7	43
फतेहपुरा	46.67	44
धोबलाई	44.65	45

जिन संकेतकों में ग्राम पंचायतें पिछडी हुई है, उन संकेतकों में सुधार करने हेतु संबंधित विभागों से समन्वय किया जाएगा तथा जिन पंचायतों में इन संकेतकों की स्थिति सही है उनसे प्रेरणा लेकर सभी विभाग अन्य पंचायतों मे प्रगति बढ़ाकर इस दूरी को दूर कर सकते हैं।

एस.डी.जी. रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत के विकास कार्यों की प्राथमिकता तय की जा सकती है तथा ग्राम पंचायत GPDP प्लान में उन कार्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिन से गांव का सर्वागीण विकास हो सके। वास्तव में एस.डी.जी. संकेतकों का उपयोग करके 'कोई भी पीछे ना रहे' के सिद्वांत का अनुसरण किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत गांवों के विकास का सशक्त माध्यम है इसलिए ग्राम पंचायत स्तर पर सभी विभागों को ग्रामवार डाटा उपलब्ध करवाना चाहिए जिससे सरकार द्वारा संचालित सभी कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन व मूल्यांकन किया जा सके।

सतत विकास लक्ष्य सूचकांक ब्लॉक गोविन्दगढ़ की तर्ज पर सभी ग्राम पंचायतों पर निकाला जाना चाहिए इससे ग्रामीण विकास मे आ रही बाधाओं को दूर किया जा सकेगा।

केंद्र व राज्य द्वारा ग्रामीण विकास हेतु बहुत प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन वैश्विक लक्ष्यों व संकेतकों के आधार पर हमें मात्रात्मक की बजाय गुणात्मक परिणामों पर ध्यान देना होगा। आज ग्रामीण विकास की संकल्पना को परिपूर्ण करने हेतु एस.डी.जी. संकेतकों की आवश्यकता प्रतीत होती है।

(अभिषेक सुराना (आईएएस), उपखंड अधिकारी, चोमूं हैं; डॉ. सुदीप कुमावत, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, गोविंदगढ़, ज़िला जयपुर हैं।)

ई–मेल : bsogovindgarh.des@gmail.com

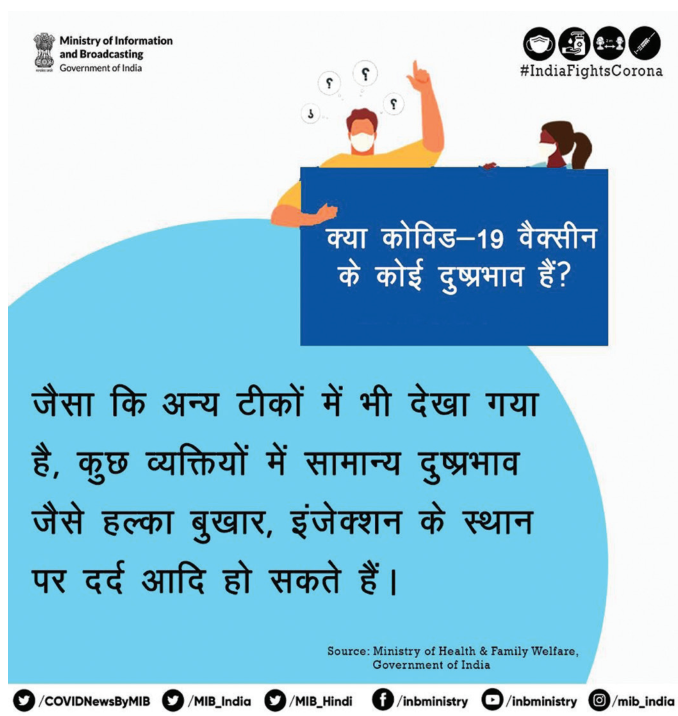

सफलता की कहानी

जनभागीदारी से लड़ी कोरोना के खिलाफ जंग

–हरि विश्नोई

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई गांवों ने सरकारी प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिला कर साथ दिया। साथ ही, जनभागीदारी व जागरूकता की जो मिसाल पेश की, वह बेमिसाल व दूसरों के लिए प्रेरणा है।

कोरोना महामारी के विरुद्ध शहरी व ग्रामीण सभी अपने–अपने ढंग से जंग लड़ रहे हैं। जहां एक ओर अधिकतर लोग खुद को बचाने में दूसरों को भूल गए, वहीं दूसरी ओर हमारे गांवों में ऐसे भी फरिश्ते थे, जो अपनी जान की बाज़ी लगा कर दूसरों को बचाने में लगे रहे। इस आपदा ने आपसी संबंधों व रिश्ते–नातों की परतें खोल दीं। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई गांवों ने सरकारी प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिला कर साथ दिया। साथ ही, जनभागीदारी व जागरूकता की जो मिसाल पेश की, वह बेमिसाल व दूसरों के लिए प्रेरणा है। गांववासियों द्वारा खुद अपने संसाधनों से गांव के प्राइमरी स्कूल में पूर्ण सज्जित आइसोलेशन वार्ड खोल कर सुविधाएं उपलब्ध कराने व बहुत से लोगों की जान बचाने की यह सच्ची गाथा सिद्ध करती है कि जहां चाह है वहां राह भी निकल आती है।

सामूहिक प्रयास

उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले की सदर तहसील में एक गांव है खानपुर। बीते मई माह में जब वहां लोगों को खांसी, बुखार आदि कोरोना के लक्षण दिखाई दिए तो गांव के शिक्षित युवा तुरंत सजग हो गए। उन्होंने सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार रणनीति बना कर सबसे पहले आपसी संचार के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, ताकि गांव के लोग घर बैठे ही संदिग्ध मरीज़ों की सूचना देकर तुरंत सहायता प्राप्त कर सकें। इसी माध्यम से उन्होंने सबको इस आपदा के बारे में समझाया, असावधानीजनित उसके संभावित खतरों से अवगत कराया, साथ ही सबका विश्वास व आत्मबल भी बढ़ाया। इस प्रकार उन्होंने वाट्सएप के माध्यम से सारे गांववासियों को आपस में जोड़ लिया, ताकि सामाजिक दूरी बनाकर आवश्यक तैयारी पूरी की जा सके तथा जरूरतमंदों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

दरअसल लॉकडाउन के कारण अधिकतर नौकरीपेशा लोग अपने घरों पर थे। उनमें डॉक्टर, इंजीनियर, फिज़ियोथिरेपिस्ट व शिक्षक आदि शामिल थे। अतः कई टीमें बना कर एक टीम को गांव की साफ–सफाई में लगाया, जिसने पूरे गांव की अच्छी तरह से सफाई करके 30 बुग्गी कूड़ा निकाल बाहर किया। दूसरी टीम ने स्प्रे मशीनो से पूरे गांव में सेनीटाइज़ेशन किया। इस टीम को पता था कि नज़दीकी शहरों में हालात अच्छे न होने के कारण वहां के अस्पताल पहले ही भरे हैं। अतः उन्होंने मुसीबत के समय में घबराने या लोगों को उनके हाल पर अकेला छोड़ने की बजाय सावधानी बरतने, पूर्व में ही सभी आवश्यक तैयारी करने व गांव में रह कर ही करोना से बचाव के कारगर उपाय करने शुरू कर दिए।

स्वेच्छा से सहयोग

आनन–फानन में आपसी सहयोग से 90 हज़ार रुपये एकत्र करके, उनसे 3500 मास्क, 100 थर्मामीटर, 50 स्टीमर, उसमें डालने वाले 500 कैप्सूल, विटामिन सी की 5 हज़ार गोलियां, 2 नेबुलाइज़र, 20 पीपीई किट, एक ऑक्सीजन सिलेंडर व 15 आक्सीमीटर आदि उपयोगी उपकरण खरीद कर तुरंत गांव में बंटवा दिए। सामुदायिक कल्याण के इस कार्य में गांव के सभी लोगों ने अपनी इच्छा व सामर्थ्य के अनुसार 11 रुपये से 11–11 हज़ार रुपये तक का अंशदान दिया ताकि इस आड़े वक्त में बिगड़े हुए हालात बदल कर जल्दी से जल्दी बेहतर हो सकें। निश्चय ही यह सर्वहित की दिशा में सहभागिता की सराहनीय मिसाल है।

ग्रामीण युवाओं ने बदल दी सूरत

हर काम में सरकार की ओर ताकने की बजाय खानपुर गांव में अपनी मदद खुद करने की यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से आसपास ही नहीं, दूर–दूर तक पहुंची व जब खूब सराही गई तो एक की सफलता दूसरों की प्रेरणा बन गई। मेरठ के ही नज़दीकी ग्राम गणेशपुर में भी यही हुआ। वहां के उच्च शिक्षित ग्राम प्रधान एम.ए, एलएलबी हैं। उन्होने अपने स्तर से गांव में ही एक ऐसा आइसोलेशन वार्ड बनवा दिया, जिसमें डॉक्टर, ऑक्सीजन कन्संट्रेटर व भोजन आदि की सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रहीं।

स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से शहरी इलाके बेशक गांवों से आगे हैं, लेकिन गांवों से जुड़े शिक्षित व समझदार लोग आगे आकर अपने इलाकों को बदल कर बेहतर बना सकते है। स्वार्थ से भरी दुनिया में सामूहिक हितों के लिए लोगों को संगठित करना सरल नहीं है, लेकिन यदि सेवाभाव, परोपकार व सर्वहित के साथ पहल की जाए तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। सफलता की ऐसी कहानियां अन्य ग्रामवासियों के लिए प्रेरणा बन उनकी जागरूकता बढ़ाती है व जनभागीदारी से ग्राम विकास की नई उम्मीद व उत्साह भी जगाती हैं।

समूह बनाकर स्वयं की सहायता करने का यह अनुपम व अनुकरणीय उदाहरण है। निश्चित तौर पर इस दिशा में सफलता की ऐसी गाथाएं नव उत्साह का संचार करती हैं। यदि सब मिलकर प्रयास करें तो सुधारात्मक परिवर्तन व अपने समाज व राष्ट्र का नवनिर्माण करना मुश्किल नहीं है।

(लेखक उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास विभाग में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी रह चुके हैं।)

ई–मेल : Vishnoi.hari@gmail.com

आयुष की हेल्पलाइन और संजीवनी एप

आयुष मंत्रालय ने एक समर्पित सामुदायिक सहायता हेल्पलाइन शुरू की है। इसके जरिए कोविड–19 की चुनौतियों के समाधान के लिए आयुष आधारित उपाय बताए जाएंगे। इसका टोल–फ्री नंबर 14443 है। यह हेल्पलाइन पूरे देश में शुरू हो गई है और सप्ताह के सातों दिन सुबह छह बजे से आधी रात बारह बजे तक खुली रहेगी।

हेल्पलाइन 14443 के जरिए आयुष की विभिन्न विधाओं, जैसे आयुर्वेद, होमियोपैथी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और सिद्ध के विशेषज्ञ, लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। ये विशेषज्ञ सिर्फ रोगी की काउंसलिंग और उपयोगी उपचार ही नहीं बताएंगे, बल्कि वे नज़दीकी आयुष केंद्रों की जानकारी भी देंगे।

विशेषज्ञ कोविड–19 से उबरने वाले रोगियों को दोबारा रोजमर्रा के काम शुरू करने और अपनी देखभाल के बारे में सलाह देंगे। यह हेल्पलाइन इंटरऐक्टिव वॉइस रेस्पांस (आईवीआर) आधारित है और हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। जल्द ही अन्य भाषाएं भी इसमें जोड़ दी जाएंगी। हेल्पलाइन एक बार में 100 कॉल्स ले सकती है। ज़रूरत को देखते हुए इसकी क्षमता बढ़ा दी जाएगी। हेल्पलाइन के जरिए आयुष मंत्रालय का प्रयास है कि देशभर में कोविड–19 के फैलाव को सीमित किया जाए। उसके इस प्रयास को गैर–सरकारी संस्था प्रोजेक्ट स्टेप–वन सहयोग कर रही है।

आयुष ने आयुष क्लीनिकल केस रिपॉजिट्री (एसीसीआर) पोर्टल और आयुष संजीवनी एप का तीसरा संस्करण भी लांच किया है। एसीसीआर पोर्टल (https://accr.ayush.gov.in/) आयुष चिकित्सकों और आम जनता, दोनों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा, जहां विभिन्न सुविधाएं मौजूद रहेंगी। इस पोर्टल का उद्देश्य आयुष चिकित्सा से संबंधित व्यक्तियों से प्राप्त क्लीनिकल परिणामों के हवाले से उसकी सूचना को बड़े पैमाने पर जमा करना है। पोर्टल से न सिर्फ सूचना मिलेगी, बल्कि विश्लेषण और अनुसंधान को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसके जरिए विभिन्न रोगों के उपचार में आयुष प्रणाली की क्षमता को दस्तावेजी रूप दिया जाएगा। पोर्टल से आयुष चिकित्सा से संबंधित समुदायों को तो लाभ होगा, लेकिन साथ–साथ जनता को भी आयुष की विभिन्न विधाओं के बारे में वैज्ञानिक समझ बढ़ाने में मदद मिलेगी। एसीसीआर पोर्टल का एक उल्लेखनीय तत्व यह है कि यह इसमें आयुष प्रणालियों के जरिए कोविड–19 मामलों के उपचार के बारे में सूचनाओं को एक अलग खंड में रखा जाएगा।

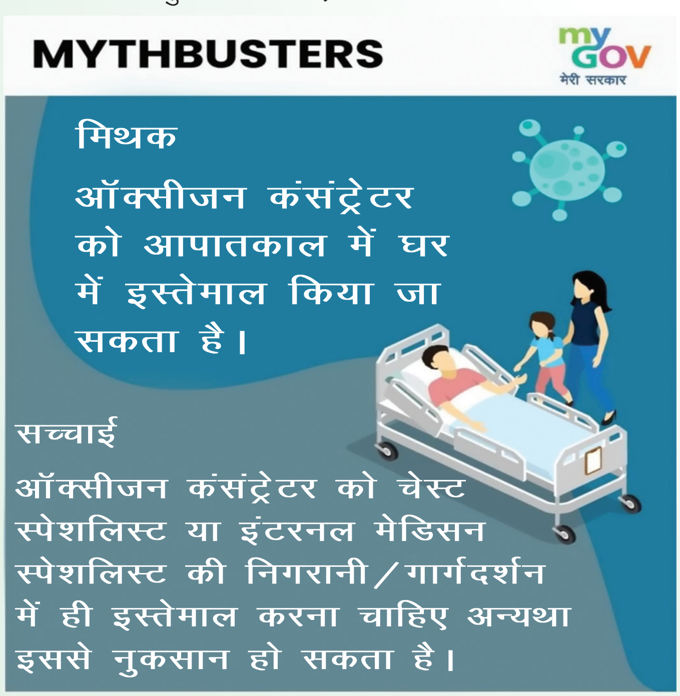

आयुष संजीवनी एप (तीसरा संस्करण) को गूगल प्ले स्टोर और आई–ओएस पर उपलब्ध करा दिया गया है। इस संस्करण में यह भी शामिल किया जाएगा कि आयुष 64 और कबूसुर कुडीनीर दवाओं सहित चुनी हुई आयुष औषधियों के लक्षण–रहित, हल्के और कम गंभीर कोविड मामलों के उपचार में क्या भूमिका रही। इसके बारे में अहम अध्ययन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि एक राष्ट्रीय वितरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके जरिए आयुष मंत्रालय घर में आईसोलेशन में रहने वाले कोविड मरीजों को दोनों कारगर आयुष दवायें निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है।

हमारी पत्रिकाएं

योजना
विकास को समर्पित मासिक
(हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू व 10 अन्य भारतीय भाषाओं में)

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

कुरुक्षेत्र
ग्रामीण विकास पर मासिक
(हिंदी और अंग्रेजी)

आजकल
साहित्य एवं संस्कृति का मासिक
(हिंदी तथा उर्दू)

रोज़गार समाचार
साप्ताहिक
(हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू)

बाल भारती
बच्चों की मासिक पत्रिका
(हिंदी)

घर पर हमारी पत्रिकाएं मंगाना है काफी आसान...

आपको सिर्फ नीचे दिए गए 'भारत कोश' के लिंक पर जा कर पत्रिका के लिए ऑनलाइन डिजिटल भुगतान करना है–
https://bharatkosh.gov.in/Product/Product

सदस्यता दरें

प्लान	योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल (सभी भाषा)	बाल भारती	रोज़गार समाचार	
वर्ष	रजिस्टर्ड डाक	रजिस्टर्ड डाक	मुद्रित प्रति (साधारण डाक)	ई-संस्करण
1	₹ 434	₹ 364	₹ 530	₹ 400
2	₹ 838	₹ 708	₹ 1000	₹ 750
3	₹ 1222	₹ 1032	₹ 1400	₹ 1050

सदस्यता शुल्क में रजिस्टर्ड डाक का शुल्क भी शामिल है। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र **नए ग्राहकों को अब रोज़गार समाचार के अलावा सभी पत्रिकाएं केवल रजिस्टर्ड डाक से ही भेजी जाएंगी।** पुराने ग्राहकों के लिए मौजूदा व्यवस्था बनी रहेगी।

ऑनलाइन के अलावा आप डाक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर से भी प्लान के अनुसार निर्धारित राशि भेज सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल ऑडर या मनीआर्डर '**अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय**' के पक्ष में **नई दिल्ली** में देय होना चाहिए।

रोज़गार समाचार की 6 माह की सदस्यता का प्लान भी उपलब्ध है, प्रिंट संस्करण रु. 265, ई-संस्करण रु. 200/-, कृपया ऑनलाइन भुगतान के लिए https://eneversion.nic.in/membership/login लिंक पर जाएं। डिमांड ड्राफ्ट 'Employment News' के पक्ष में **नई दिल्ली** में देय होना चाहिए।

अपने डीडी, पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर के साथ नीचे दिया गया 'सदस्यता कूपन' या उसकी फोटो कॉपी में सभी विवरण भरकर हमें भेजे। भेजने का पता है-
संपादक, पत्रिका एकांश, प्रकाशन विभाग, कक्ष सं. 779, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
अधिक जानकारी के लिए ईमेल करें- pdjucir@gmail.com
हमसे संपर्क करें – **फोन: 011-24367453,** (सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रात: साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक)

कृपया नोट करें कि पत्रिका भेजने में, सदस्यता शुल्क प्राप्त होने के बाद कम से कम आठ सप्ताह लगते हैं, कृपया इतने समय प्रतीक्षा करें और पत्रिका न मिलने की शिकायत इस अवधि के बाद करें।

सदस्यता कूपन (नई सदस्यता/नवीकरण/पते में परिवर्तन)

कृपया मुझे 1/2/3 वर्ष के प्लान के तहत .... पत्रिका .... भाषा में भेजें।

नाम (साफ व बड़े अक्षरों में) ....

पता : ....

.... जिला .... पिन ....

ईमेल .... मोबाइल नं. ....

डीडी/पीओ/एमओ सं. .... दिनांक .... सदस्यता सं. ....

आर. एन. आई./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2021-23
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2021-23
01 जून, 2021 को प्रकाशित एवं 5-6 जून, 2021 को डाक द्वारा जारी

R.N.I/708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2021-23
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2021-23
to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.

अब प्रिंट संस्करण और ई-बुक संस्करण उपलब्ध

भारत 2021

भारत के प्रांतों, केंद्रशासित प्रदेशों, भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों तथा नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की आधिकारिक जानकारी देने वाला

वार्षिक संदर्भ ग्रंथ

मूल्यः प्रिंट संस्करण ₹ 300/- ई-बुक संस्करण ₹ 225/-

पुस्तकें खरीदने के लिए प्रकाशन विभाग की
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in पर जाएं

ई-बुक एमेज़ॉन और गूगल प्ले पर उपलब्ध

देश भर में प्रकाशन विभाग के विक्रय केन्द्रों और
पुस्तक विक्रेताओं से भी खरीद सकते हैं

ऑर्डर के लिए संपर्क करें :
फोन : 011-24365609
ई-मेल : businesswng@gmail.com
हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए
कृपया **www.bharatkosh.gov.in** पर जाएं।

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड नई दिल्ली -110003
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

ट्विटर पर फोलो करें @DPD_India

प्रकाशक और मुद्रकः मोनीदीपा मुखर्जी, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020, वरिष्ठ संपादकः ललिता खुराना